Thursday, 30 August, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

गुरुवार, ३० अगस्त, १९६२

८ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों का निष्क्रमण

+

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० के० देव :

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री ब० कु० दास :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री श्रीनारायण दास :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री भागवत झा आज़ाद :

श्री भक्त दर्शन :

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

†*६९७. श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री सरकार मुरमू :

श्री अ० क० गोपालन :

श्री इम्बीचिबावा :

श्री यशपाल सिंह :

श्री विभति मिश्र :

---

†मूल अंग्रेजी में

1800 (Ai) LSD—1

श्री रिशांग किशिंग :
श्री राम रतन गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री ह० च० सौय :
श्री बेसरा :
श्री मरंडी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से संथाल, राजबंशी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का बड़े पैमाने पर निष्क्रमण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो जून, १९६२ के अन्त तक ऐसे कुल कितने व्यक्तियों ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया ;

(ग) इन निस्सहाय व्यक्तियों को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन्हें बसाने का इरादा रखती है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई, १९६२ के अन्त तक लगभग ११,००० सन्थाल पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये ।

(ग) अधिक कठिनाई में ग्रस्त परिवारों को उपदान सहायता योजना के अधीन राज्य सरकार से सहायता मिलती है ।

(घ) प्रथमतः दण्डकारण्य में १००० सन्थाल पुनर्वासित करने का फैसला किया गया ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** ये सहायता कार्य तदर्थ आधार पर किये जाते हैं या उस नीति के अनुसरण में जो अब विस्थापित व्यक्तियों पर लागू होगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हम ने कुछ निर्णय किये । इस समय स्थिति यह है ।

†**श्री प्र० रं०चक्रवर्ती :** उन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर जिन के कारण ये लोग अपने जीवन पर खेल कर सीमा पार करने को विवश हुए, क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों को आप्रव्रजक मानने और प्रव्रजक न मानने की नीति में संशोधन करेगी ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इन व्यक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । एक तो वे जो प्रव्रजिन प्रमाणपत्र ले कर वर्ष १९५८ से आ रहे हैं जहां पर स्पष्ट है कि वे कोई सहायता अथवा पुनर्वास लाभ नहीं मांगेंगे । दूसरे वे हैं जो पिछले ३ या ४ महीनों में, अधिकांशसन्थाल, जिनकी संख्या लगभग ११,००० है, आय हैं । उन के पास कोई प्रव्रजन प्रमाणपत्र नहीं हैं । हम ने मामले पर विचार किया है और हम उन को हर संभव सहायता, सुविधा और पुनर्वास सहायता दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** मंत्री महोदय ने बताया कि दण्डकारण्य में हजारों परिवार बसाये जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत से सन्थाल दण्डकारण्य क्षेत्र में जाने से इन्कार करते हैं ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव न मानने के क्या कारण हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** यह सच है कि आरम्भ में केवल थोड़े ही सन्थाल दण्डकारण्य जाने को राजी हुए क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि दण्डकारण्य भयंकर प्राणियों और चीतों से भरा है। बाद में सन्थालों के नेताओं का एक दल स्थिति देखने को दण्डकारण्य गया है। जैसाकि माननीय सदस्य ने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा, वे बड़े संतुष्ट हो कर वापस आये और वे अपने लोगों को दण्डकारण्य जाने को कह रहे हैं। और मैं सदन को बता दूं कि एक या दो दिन में ३०–४० परिवार और वहां चले जायेंगे और कुछ और बाद में जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह बताया गया है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को सहायता देगी। मैं जानना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये अपनी ओर से क्या कोई कदम उठाये हैं और कितनी सहायता दी है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : सहायता दो किस्म की होती है। एक तो रिलीफ की शक्ल में होती है और दूसरे रिहैबिलिटेशन की शक्ल में। रिहैबिलिटेशन के लिये तो हम ने फैसला किया है कि हम दण्डकारण्य में यह करेंगे। जहां तक रिलीफ का ताल्लुक है प्रान्तीय सरकार उन को देती रही है। लेकिन रिलीफ तो उस को दिया जाता है जो रिलीफ लेने के लिये आये। अगर कोई आये न तो रिलीफ किस को दें ?

†**श्री ब० कु० दास :** उन व्यक्तियों के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी जो कृषक नहीं हैं और जिन्हें दण्डकारण्य में नहीं बसाया जा सकता ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** सन्थाल किसान हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** दण्डकारण्य में बसाये जा रहे हजारों सन्थालों के अतिरिक्त राजबन्सियों और गैर-सन्थालों के बारे में, जो आये हैं, सरकार का क्या निर्णय है और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन के बारे में कोई योजना बनाई गई है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** ११,००० व्यक्तियों, जो बिना प्रव्रजन प्रमाणपत्र के आये हैं, में से सन्थालों की संख्या लगभग ९,५०० है और बाकी १,५०० व्यक्तियों के मामलों पर भी हम विचार करने को तैयार हैं, यदि वे इस अवधि में आये होंगे। जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है दण्डकारण्य योजना में एक नीति निर्धारित की गई है और उनके साथ उस योजना के अन्तर्गत व्यवहार किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक पूर्व पाकिस्तान के राजशाही और निकटवर्ती जिलों में तनाव रहा है और अल्पसंख्यक लोग इस देश को आ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन सब लोगों को, जो आ रहे हैं, पुनर्वासित करने की योजना बना रही है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं केवल उन्हीं का पुनर्वास कर सकता हूं जो पुनर्वासित होना चाहते हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : यहां आने वाले अल्पसंख्यकों की क्या प्रतिशतता है और वहां पर रहने वालों की क्या प्रतिशतता है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें कोई जानकारी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । मेरा सम्बन्ध कुछ सीमित हद तक केवल सन्थालों से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में अन्य अल्पसंख्यकों—राजबंसी और अन्यों—के बारे में भी पूछा गया है । कितने प्रतिशत आये हैं और कितने प्रतिशत वहां बचे हैं । ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं ने अभी उत्तर दिया है कि ११,००० व्यक्तियों, जो बिना प्रव्रजन प्रमाणपत्र के यहां आये हैं, में से लगभग ९,५०० सन्थाल हैं और बाकी १,५०० गैर-सन्थाल हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार ने बिहार में सन्थाल परगना में आये इन सन्थालों को बसाने के लिये बिहार सरकार से परामर्श करने के लिये कदम उठाये हैं और उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इस समय हम केवल इन व्यक्तियों को दण्डकारण्य में पुनर्वासित करने पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : पिछले ३–४ महीनों में आये इन ११,००० सन्थालों में से वास्तव में कितने व्यक्तियों ने सरकार से सहायता के लिये आवेदन किया है और उन्हें किस पैमाने पर सहायता दी जा रही है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत, पहले कुछ दिनों में जो सहायता दी गई, वह थोड़ा रुपया था । यह मामला इस संसद् में उठाया गया था और हम ने भी मामले की जांच की । फौरन ही मैं ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया । मैं ने उन को बताया कि हम कुछ अतिरिक्त धन देने को तैयार हैं और यदि वह कुछ धन फौरन चाहें तो मैं स्वविवेक अनुदान से कुछ धन उन्हें दे सकता हूं । परन्तु मुख्य मंत्री ने बताया कि सहायता लेने वाला कोई नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि वे लोग बहुत दुखी और परेशान हालत में हैं ? न वे माइगरेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और न ही रिलीफ के लिये सरकार के पास आ सकते हैं । ऐसी हालत में क्या सरकार खुद उन को इमदाद देने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट क्या उन के पास जाये ?

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** : बड़े पैमाने पर प्रव्रजन आर्थिक कठिनाई के कारण है अथवा उनके प्रति किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक सहकारिता कार्यकारी दल

\+

*६९८. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक सहकारिता कार्यकारी दल की सिफारिशों को किस तिथि से कार्यान्वित किया जाएगा ;

(ख) क्या निदेशक (औद्योगिक सहकारिता) की नियुक्ति हो गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह अपना काम कब तक आरम्भ करेंगे और इनको क्या काम सौंपे जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) औद्योगिक सहकारिता कार्यकारी दल की सिफारिशें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

औद्योगिक सहकारिता निदेशक को जिन्होंने ४ सितम्बर, १९६० को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अपना कार्य-भार सम्भाला है, निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :—

१. भारत में औद्योगिक सहकारिता आन्दोलन के विकास की गति को और अधिक बढ़ाना ।

२. विभिन्न बोर्डों में शामिल की गई भिन्न-भिन्न उद्योगों की औद्योगिक सहकारिताओं के संयुक्त लाभ की योजनाओं को कार्यान्वित करना जैसे सहकारी अधिकारियों और सदस्यों को प्रशिक्षण देना, शीर्षस्थ तथा केन्द्रीय सहकारिता बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के लिये धन की व्यवस्था सम्बन्धी मामले, औद्योगिक सहकारी समितियों की राज्य तथा प्रादेशिक संस्थाओं को सहायता देना तथा सहकारी विभागों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना ।

३. औद्योगिक सहकारिताओं सम्बन्धी अखिल भारतीय बोर्डों / आयोग के कार्यक्रम और नीतियों का सामना करना ।

४. सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी विभागों से सम्पर्क बनाये रखने तथा उन्हें वे सुविधायें देना जिनकी आवश्यकता औद्योगिक सहकारिताओं को होती है ।

५. राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय भी करना तथा इस क्षेत्र में उनको कार्यान्वित करने के लिये जो आवश्यक उपाये किये जाने हैं, उन्हें करने पर जोर देना ।

६. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के आंकडे रखना ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बयान में बताया गया है जो कि सभा पटल पर रखा गया कि डायरेक्टर इण्डस्ट्रियल कोओप्रेटिव्ज़ लगभग दो वर्ष से काम कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि

इस दो वर्ष की अवधि में क्या इस डायरेक्टर ने कोई लाभप्रद काम किया है, यदि किया है तो क्या उसका विवरण दिया जाएगा ?

श्री कानूनगो : सबसे पहले तो यह समझ लिया जाना चाहिये कि सारा काम कोग्रोप्रेटिव्ज का स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये नहीं हो सकता है । बहुत से प्रोग्राम्ज़ और बहुत सी स्कीम्ज़ बनाई गई हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट वालों ने कबूल किया है । रिज़र्व बैंक और दूसरी आगनाइज़ेशन्ज़ इस डायरेक्टोरेट से सलाह मशविरा करती हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सहकारी कार्यकारी दल की सिफारिशों में से कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं जिनको अभी तक सरकार ने नहीं माना है और उन पर अमल नहीं किया है ?

श्री कानूनगो : करीब-करीब सब मान ली गई हैं और ७ नवम्बर, १९५९ का एक रेज़ोल्यूशन इस बारे में इस हाउस के सामने २४ नवम्बर, १९५९ का पेश किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मन्त्री महोदय ने बताया कि इस कार्यकारी दल की सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गयी हैं। क्या इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें कोई और चीज़ लेना चाहती थीं ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे विशेषत: दस्तकारी तथा हथकरघा उद्योगों में औद्योगिक सहकारी समितियां बनाई जायें ?

†**श्री कानूनगो :** पिछले १५ वर्षों से यह लागू है ।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम को लागू करना

†*६९९. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने और किन-किन राज्यों ने यह अधिनियम अब तक लागू नहीं किया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर, जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता, यह अधिनियम अब सभी राज्यों में लागू हैं । बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं और क्रियान्वयन व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ख) बाकी राज्यों में, उदाहरणत: आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में और सभी संघ राज्य-क्षेत्रों में नियमों के शीघ्र प्रकाशन और/अथवा क्रियान्वयन व्यवस्था करने के लियें कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) क्रियान्वयन कर्मचारियों की भरती और नियुक्ति और अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अन्तिम रूप देना ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किसी अन्य नियम के अन्तर्गत कोई सुविधा नहीं मिल रही है और क्या उन्होंने कोई और नियम बनाये हैं और यदि हां, तो क्या उसके बारे में मन्त्री महोदय को बता दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हाथी :** संघ राज्य क्षेत्रों समेत बाकी राज्यों में नियमों को शीघ्र प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या भारत सरकार हिमाचल प्रदेश प्राधिकारियों को कर्मचारियों के अहित में नियमों को, जब तक मन्त्री महोदय द्वारा बताये गये नियम नहीं बन जाते हैं, क्रियान्वित न करने के आदेश देगी ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में, हमने सभी राज्यों को प्रारूप नियम भेज दिये हैं और हमने आदेश दिये हैं कि इन प्रारूप नियमों का पालन किया जाये । इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा प्रश्न था —

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने नियम लागू न करके केन्द्रीय सरकार के प्रारूप नियमों को लागू करने को कहेगी ।

†**श्री हाथी :** जी, हां । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है हम उन्हें अधिनियम के अधीन हमारे द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने को कहेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू तथा काश्मीर में रेलें नहीं हैं और वहां पर मोटर परिवहन ही परिवहन का साधन है, क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर सरकार को भी वहां पर एक ऐसा ही अधिनियम बनाने की सिफारिश करेगी ?

†**श्री हाथी :** यह अधिनियम वहां लागू नहीं होता है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में मोटर मज़दूरों का कानून पूरी तरह से लागू हो गया है, वहां पर उस पर अमल करने में कोई कठिनाई तो नहीं आई या इसके बारे में कोई शिकायत तो गवर्नमेंट के पास नहीं आई ।

†**श्री हाथी :** अभी तक तो कोई नहीं आई ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** विभिन्न राज्यों में व्यवस्था का क्या गठन है और उनको क्या कृत्य सौंपे गये हैं ?

†**श्री हाथी:** चीफ इन्सेपेक्टर हैं और अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में देखभाल करने के लिये इन्सपेक्टर हैं । अधिनियम में यह सब व्यवस्था है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत हस्पताल

†*७००. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमाकृत २.५ लाख कर्मचारियों के लिये कलकत्ता और हावड़ा के अस्पतालों में केवल २४६ पलंग हैं ;

(ख) बीमाकृत कर्मचारियों के लिये पृथक् अस्पतालों के निर्माण में लगातार विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हुगली और २४ परगना जिला में ३.५ लाख और कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त अपस्तालों सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पूरी की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) ५०६ पलंग (२९६ सामान्य, और २१० क्षय रोग) उपलब्ध हैं ।

(ख) आरम्भ में विलम्ब मुख्यतः कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों और भीड़भाड़ वाले कलकत्ता शहर में और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के कारण हुआ । तथापि दो अस्पतालों के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई और दो अन्य का निर्माण आरम्भ हो चुका है । अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करने के लिये राष्ट्रीय चिकित्सा संस्था की इमारत को खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अस्पतालों में अधिक बिस्तर सुरक्षित करके और निर्माणाधीन और निर्माण किये जाने वाले वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का इस्तेमाल करके ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** पिछले दो या तीन वर्षों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कि अस्पताल बनाये जायेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी कोई निश्चित तिथि निर्धारित की गयी है कि तब तक कि ये तैयार हो जायेंगे और फिर उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या क्या होगी ?

†**श्री हाथी :** निर्माणाधीन दो अस्पताल अगस्त, १९६३ तक तैयार हो जायेंगे और दोनों अस्पतालों में, मैं समझता हूं, बिस्तरों की संख्या २०० होगी ।

†**डा० रानेन सेन:** क्या पश्चिम बंगाल में पृथक् अस्पताल न बनाने का एक कारण पृथक् अस्पतालों के बारे में बगाल सरकार का रवैया है ?

†**श्री हाथी :** मूलतः कुछ बातचीत हुई थी । परन्तु अब हमने श्रम मन्त्री और मुख्य मन्त्री से बातचीत कर ली है और भूमि आदि प्राप्त करने के लिये विभिन्न तरीकों पर उन्होंने चिन्ता प्रकट की है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालिज और अस्पताल खरीदने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†श्री हाथी : मैं समझता हूं कि उस बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

रेफ्रीजरेटरों का आयात

†*७०१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैफ्रिजरेटरों का आयात पूर्णतया बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने प्रतिशत आयात किया जाता है और किन देशों से;

(ग) अब तक इन रैफ्रिजरेटरों के निर्माण के लिये कितने लाइसेंस गैर-सरकारी निर्माताओं को दिये गये हैं;

(घ) इन फैक्टरियों का कुल उत्पादन कितना है;

(ङ) क्या इनमें विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि हां, तो क्या सब फैक्टिरियों को सहयोग मिला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां। रैफ्रिजरेटरों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है।

(ग) से (च). आठ फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें से पांच में उत्पादन हो रहा है। वर्ष १९६१ और १९६२ में (जनवरी से जून तक) उनका कुल उत्पादन क्रमश: ९,७२५ नग और ५,२९२ नग रहा। इन पांच फर्मों में से, जिन में उत्पादन हो रहा है, दो फर्मों में विदेशी सहयोग है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हमारे देश में जो रैफ्रिजरेटर बनाये जाते हैं वह बिल्कुल देशीय सामान से बनाये जाते हैं या सामान का भी आयात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुछ भाग ऐसे हैं जैसे कि ठंडी तांबे की ट्यूब और सील्ड कम्प्रैसर, जिनका आयात किया जाता है। काफी का भारत में निर्माण किया जाता है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने बताया किन दो फर्मों में विदेशी सहयोग है। इस सहयोग का क्या स्वरूप है। यह तकनीकी है या वित्तीय ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अधिकांश तकनीकी सहयोग है। परन्तु कुछ रायल्टी भुगतान भी करना पड़ता है।

†**श्री ब० कु० दास** : देशी रैफ्रिजरेटर के मूल्य की आयातित रैफ्रिजरेटर के मूल्य से क्या तुलना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कई वर्षों से हम देशीय रैफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आयातित रैफ्रिजरेटरों की अपेक्षा उन का मूल्य २५ प्रतिशत अधिक है।

श्री म० ला० द्विवेदी : विदेशों से आयात किय् हुए रैफ्रिजरेटरों की कीमत, जैसा कि विदेशों में मालूम हुआ है, एक्साइज वगैरह मिला कर १,००० रु० से अधिक नहीं होती, और भारत में बने हुए आल्विन प्रैस्ट कोल्ड रैफ्रिजरेटरों की लागत का दाम ५०० रु० से अधिक नहीं होती, फिर भी वे १,९०० रु० से अधिक में बेचे जाते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो कम्पनियां यहां रैफ्रिजरेटर बना रही हैं वे अधिक दाम क्यों चार्ज कर रही हैं और वह कब तक कम हो जायेंगे।

श्री मनुभाई शाह : यह तो ख्याल की बात है जो दाम कि ज्यादा बताये गये। मैं ने अभी बतलाया था कि हालांकि कई सालों से उन का इम्पोर्ट नहीं होता है फिर भी मेरे ख्याल से उन के दाम २५ परसेन्ट ज्यादा हैं। उसका कारण यह है कि अलग-अलग साइजेज हैं, कितने क्यूबिक फीट का रैफ्रिजरेटर है, प्रेस्ड कोल्ड स्टील का है या मामूली माइल्ड स्टील का है, बहुत सी वैराइटीज हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि दाम २५ परसेन्ट ज्यादा हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि दाम कब तक कम होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बाद में सही, मैं आप को बुला लूंगा।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : देशीय रैफ्रिजरेटरों की किस्म की आयातित रैफिजरेटरों की किस्म से क्या तुलना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कई वर्षों से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। किस्म संतोषजनक है। मूल्य के प्रश्न के बारे में भी, जब उत्पादन बहुत अधिक होगा तो मूल्यों में कमी आ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : क्या देश की मांग पूरा करने के लिये संभरण पर्याप्त है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारत में निर्मित रैफ्रिजरेटरों के बारे में क्या यह सच है कि रैफ्रिजरेटरों की सरकारी मांग वृद्धि पर है और यदि हां, तो सरकार सिद्धान्तों और आदर्शों के अतिरिक्त और क्या चीज शीत्संगार में रखना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बिना विभाग के मंत्री ने बताया कि स्कूटरों का मूल्य घट कर १५०० रुपये होना चाहिये जिस का मतलब है कि मूल्य में कमी होने की काफी गुंजाइश है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रैफ्रिजरेटरों के बारे में भी मूल्य में कमी के प्रश्न की जांच की गयी है और मंत्री महोदय का क्या अनुमान है कि मूल्य कितना होना चाहिये और मूल्य को उस स्तर पर लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यद्यपि हम मूल्य कम करने के लिये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मूल्यों में कब और किस हद तक कमी होगी। परन्तु सामान्य अनुभव यह है कि जैसे उत्पादन बढ़ेगा, मूल्य कम होंगे ही।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ विदेशी दूतावासों द्वारा आयातित रैफ्रिजरेटर मंडी में परोक्ष रूप से पहुंच रहे हैं और उन के लिये बहुत अधिक मूल्य लिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इतनी बड़ी मात्रा में निर्माण कर रहे हैं कि राजनयिक पदाधिकारियों के जरिये आने वाली किसी चीज से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसा मैंने कई बार बताया है, कारों के मामले में ऐसी कठिनाई है और रैफ्रिजरेटरों के मामले में नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न :

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। यदि आप प्रश्न के एक भाग के पूछे जाने की अनुमति नहीं देते तो आप प्रश्न के उस भाग को अनुमति न दें और मंत्री महोदय से प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने को कहें। नियमों में भी ऐसी व्यवस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे लिये यह कठिन है। प्रश्न इतना पेचीदा है कि एक भाग को दूसरे से पृथक करना कठिन है। (**अन्तर्बाधा**)।

छोटे पैमाने क उद्योग

+

†*७०२. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने वाले विभिन्न संगठनों के कार्यों का समन्वय करने के लिये राज्यों में सलाहकार समितियां बनायी जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों में वे बनायी जा चुकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सलाहकार समिति बनाने का प्रश्न राज्य सरकारों को निर्देशित कर दिया गया है और उनमें से कुछ से उत्तर प्रतीक्षित हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिन राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कानूनगो** : इस के पक्ष में । पहले राज्य सरकारों को सहमत होना है फिर सदस्यों को मनोनीत करना है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार को विभिन्न संगठनों द्वारा एक ही कार्य करने के कारण छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में हलचल का पता है, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रथम तो कोई हलचल नहीं है । मामली अतिछेदन की संभावना है । हम उसको क्षेत्र में और समन्वय समिति में विभिन्न बोर्डों के बीच संगठन द्वारा दूर करना चाहते हैं । इस को आगे राज्य स्तर पर इन संगठनों द्वारा दूर किया जायेगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : जब देश भर में छोटे पैमाने के उद्योगों की देखभाल करने और प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्र में एक बड़ा संगठन है तो ये सलाहकार समितियां बनाने का क्या विशेष लाभ है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : समय समय पर बनाये गये कार्यक्रमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है । हम उन्हें केवल निदेश दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस रूप में काम करना है । अत: राज्य स्तर पर ऐसी सलाहकार समितियां बनाना बहुत आवश्यक है ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई उत्तर मिल गया है, यदि हां, तो उत्तर का स्वरूप क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी नहीं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि तकनीकी जानकारी और पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रगति धीमी है और कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है; यदि हां, तो छोटे पैमाने के उद्योगों को सभी आवश्यक सहायता देने के लिये यह सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक तकनीकी समस्या आ सम्बन्ध है, हमारे पास पर्याप्त सलाहकर हैं । वित्त के बारे में कठिनाई थी परन्तु अब बहुत ऋण उपलब्ध है । बाकी के लिये मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के संभरण की है, जिस की कमी है ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव है ताकि मुख्य नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों का समूहन रोका जा सके छोटे पैमाने के उद्योग शहरों के पास पनपते हैं और उस से पिछड़े क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं होता ।

†**श्री कानूनगो** : हम कार्यक्रम पहले वर्ष में ४० कम विकसित क्षेत्रों के विकास का है जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न श्री यलमन्दा रेड्डी, श्री दशरथ देव, श्री रघुनाथ सिंह ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रश्न संख्या ७०३ ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या ७१२ और ७१५ भी इस के साथ लिये जा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आसानी से उनका उत्तर दिया जा सके तो उनका उत्तर एक साथ दिया जा सकता है ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्रीमान्, तीनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री बीरेन दत्त सभा में उपस्थित हैं ?

†**श्री वीरेन दत्त** : हां, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया जाये ।

त्रिपुरा में भारतीय जंगल की गश्ती पार्टी पर पाकिस्तान का हमला

†*७०३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री दशरथ देव :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६२ में लगभग तीन सौ पाकिस्तानियों ने त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर बेलोनिया सब-डिवीजन में सिद्दीनगर में भारतीय राज्य क्षे त्र में प्रवेश किया था और ड्यूटी पर तैनात भारतीय जंगल की गश्ती पार्टी पर हमला किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने और ढ़ाका में हमारे उप-उच्चायुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र दिये हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा से अपहृत भारतीय नागरिक

†*७१२. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त १९६२ में पाकिस्तानी हमलावरों ने त्रिपुरा से दो भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनको वापस त्रिपुरा लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि अपहृत व्यक्तियों की पाश्विक ढंग से हत्या की गई और उनके सर कटे शव संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र में जंगल में फेंके गये।

त्रिपुरा प्रशासन और ढाका में उप-उच्चायुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और अनुरोध किया है कि अपराधियों को पकड़ कर कड़ा दण्ड दिया जाये। मृत व्यक्तियों के परिवारों के लिए प्रतिकर की भी मांग की है।

त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा हमले

†*७१५. **श्री हेम बरुआ :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ सप्ताहों में त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा हमले किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप सीमा के इस ओर रहने वाले भारतीयों को बहुत नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जुलाई और अगस्त १९६२ के महीनों में पाकिस्तानियों ने कितने हमले किये थे तथा सीमा क्षेत्रों में रहने वाली जनता की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (घ). अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुलाई तथा अगस्त, १९६२ में त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों ने सतरह छापे मारे। ब्यौरा तथा प्रत्येक घटना के बारे में की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]**

विवरण के लेखानुसार उचित स्तर पर पूर्वी पाकिस्तान प्राधिकारियों को विरोध प्रकट किया गया है। पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने अभी तक किसी भी विरोध-पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा करने के लिये पर्याप्त उपाय किये जा चुके हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ३०० पाकिस्तानी हिन्दुस्तान की सीमा में आये थे इन में क्या फौजी सिपाही और आर्म्ड पुलिस के सिपाही भी थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये ३०० पाकिस्तानी घातक अस्त्रों से सुसज्जित थे। मैं नहीं जानती कि वे नियमित सेना कर्मचारी हैं या नहीं।

†**श्री दशरथ देव** : क्या जून, १९६२ की घटना में पाकिस्तानियों ने किसी भारतीय का अपहरण किया था और यदि हां, तो क्या वे लौटा दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जैसा कि मैं पहिले ही बता चुकी हूं, दो व्यक्तियों के सिर कटे पाये गये और उनके शव प्राप्त हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके अतिरिक्त, क्या कोई भारतीय जीवित ले जाया गया था और फिर लौटा दिया गया ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** क्योंकि ये तीनों प्रश्न एक साथ लिये गये हैं, मैं नहीं जानती कि वह किसका उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री दशरथ देव :** मैं तारांकित प्रश्न संख्या ७०३ का उल्लेख कर रहा हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** तीन भारतीय वन चौकीदार घायल हुए थे । कोई व्यक्ति नहीं ले जाया गया ।

†**श्री हेम बरुआ :** इसका ध्यान रख कर कि प्रधान मंत्री ने त्रिपुरा प्रशासन को परामर्श दिया था कि हमारे देश में अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों को न निकाला जाये, उनमें से ५०,००० सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के उद्देश्य से क्या हमारे प्रधान मंत्री का यह प्रस्ताव इस पाकिस्तानी गड़बड़ के होने पर भी ज्यों का त्यों है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अब जो कहा गया है, वह बड़ा ही दुःखदायी है । मैं नहीं जानता कि इसका प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध है । मैं ने किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव नहीं दिया था । हुआ यह था कि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा अनेक व्यक्तियों के निकाले जाने पर, मैं निश्चित संख्या भूल गया . . . . इस से . . . .

†**श्री हेम बरुआ :** ५१८ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि इससे भी अधिक । बाद में, हम ने इस गति को धीमी करने का निश्चय किया क्योंकि इससे गड़बड़ हो रही थी और क्योंकि हो सकता है कि भेजे गये कुछ व्यक्ति अवैध आप्रवासी न हों । उनकी स्थिति की जांच करनी पड़ी । हुआ यह कि बाद में पाकिस्तानी अवैध आप्रवासियों की बड़ी संख्या जो त्रिपुरा गये थे, वहां से स्वयं चले गये । शायद, उन्हें डर था कि भविष्य में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । अतः, वे स्वयं बड़ी संख्या में वहां से चले गये । वर्तमान स्थिति यही है । उन में से कुछ अब भी जा रहे हैं । मेरे साथी ने जो ये घटनाएं पढ़ी हैं, उनका सम्बन्ध बाहर गये तथा अन्य व्यक्तियों से है या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है । फिर भी, यह मामला प्रत्येक बड़ा दुःख देता है।

†**श्री वीरेन दत्त :** क्या सरकार का ध्यान प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि त्रिपुरा के बलोनिया सब-डिविज़न में पाकिस्तान ने भारतीय विमान-क्षेत्र का उल्लंघन किया है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** ध्यान आकर्षित करने की जिस सूचना पर हम आज विचार करेंगे, उसका विषय यही है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या पुलिस को आदेश दे दिये गये हैं कि भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुसने वाले सशस्त्र पाकिस्तानियों पर गोली चलाई जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्पष्ट है कि किसी भी सशस्त्र छापे का मुकाबला हर प्रकार को यहां तक कि गोली चलाकर भी किया जाना चाहिए । प्रायः ऐसा होता है, जहां कि पुलिस नहीं है । वे सीमा पर प्रत्येक स्थान पर नहीं रह सकते । वे आते हैं वे जाते हैं । यह सब बहुत जल्द होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं प्रधान मंत्री का ध्यान हाल में कराची में प्रेसीडेंट अय्यूब खां के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि "हम इस ढंग से युद्ध करेंगे जो संसार के इतिहास में अभूतपूर्व होगा," और क्या पाकिस्तानी गड़बड़ ये घटनायें, जो ६ जुलाई से १३ अगस्त तक तेरह हुईं, दर्शाती हैं कि यह एक बड़े खेल का अंग हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर काफी कार्यवाही की गई है जो इतिहास में अभूतपूर्व है। मैं नहीं जानता, जिस वक्तव्य का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं वह मैंने नहीं देखा है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने शब्दशः उल्लेख किया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि यह किसी नई भंयकर स्थिति का अंग है या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पाकिस्तान की ओर से अभूतपूर्व मूर्खता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह पाकिस्तान की ओर से अभूतपूर्व मूर्खता है या हमारी अभूतपूर्व निर्बलता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : वक्तव्य में 'पाकिस्तानी राष्ट्रजन' का निरन्तर प्रयोग है । क्या पाकिस्तानी राष्ट्रजन से अभिप्राय पाकिस्तानी असैनिक व्यक्ति से है या पाकिस्तान की सशस्त्र सेना तथा पुलिस के कर्मचारियों से भी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां कहीं वे सशस्त्र सैनिक हैं, वहां उनका विशेष उल्लेख है । अन्यथा इसका अर्थ है पाकिस्तानी राष्ट्रजन।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : कुछ दिन पहले प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था त्रिपुरा सेना के युद्ध नियंत्रण में है यद्यपि वहां सेना के कोई यूनिट नहीं थे । सीमा पार सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा किये गये अपहरण का ध्यान रख कर, क्या सरकार के विचाराधीन सीमा चौकी के व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने और उनकी गोलीमार-क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि संख्या बढ़ाई जा रही है । मैं विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता । हां, इनका ध्यान रख कर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है।

आकाशवाणी का हिन्दी प्रसारण

+

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :

†मूल अंग्रेजी में

*७०४. श्री यशपाल सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री तर्नसिंह :
श्री बागड़ी :
श्री पटनायक :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री नाथ पाई :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बेरवा कोटा :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के हिन्दी प्रसारणों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है अथवा किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में विभिन्न हिन्दी संस्थाओं से सलाह ली है ; और

(ग) क्या किसी ने इस परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) और (ग) आकाशवाणी की इस नीति के क्रम में कि हिन्दी को आसान बनाया जाए और इसको बोल-चाल की भाषा के अधिक निकट लाया जाए, १ जुलाई, १९६२ को तजरबे के तौर पर दोपहर के समय एक समाचार बुलेटिन चालू किया गया था । इस बारे में कुछ सामान्य प्रतिवेदन मिले हैं जो शायद इस ग़लत फ़हमी के कारण हैं कि हिन्दी शब्दों के स्थान पर अरबी और फ़ारसी के शब्द इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब आज से १२ वर्ष पूर्व देश की भाषा और उसके स्वरूप का निश्चय हो चुका और आकाशवाणी पर लगातार तब से उसका प्रयोग किया जा रहा था तो अब १२ वर्ष के पश्चात् ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि जिससे उस में परिवर्तन करने की आवश्यकता आप को पड़ी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हमें अभ्यावदन मिले हैं । सभा में भी अभ्यावेदन किया गया था कि आकाशवाणी की भाषा सरल बनाई जाये ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : सभा में कब ?

श्री अन्सार हरवानी : अनेक बार (**अन्तर्बाधा**) ।

होदय : शान्ति, शान्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस महीने की ५ तारीख को भी सत्तारूढ़ दल ने एक संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकार किया था कि आकाशवाणी की भाषा सरल बनाई जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हमारा संबंध सरकार से है । हमारा संबंध दलों से नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल यह दर्शाने के लिए कहा गया कि कुछ जनमत, जनता का दबाव भी है । अन्यथा, हमारा कोई संबंध नहीं है, चाहे वे कुछ भी करें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आकाशवाणी की जब से भाषा सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया गया है उसके पश्चात् देश में और समाचारपत्रों में पर्याप्त रोष है, यदि हां, तो क्या उस रोष को शान्त करने के लिए समिति बनाई गई हैं अथवा उस समिति के निर्णयों को माना भी जायेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह परामर्शदाता समिति है । हम समाचार बुलेटिनों की भाषा की जांच अवश्य करेंगे और हम यह देखेंगे कि समिति की क्या सिफारिश है । मैं समिति की सिफारिशों का पूर्वानुमान करना नहीं चाहता ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हिन्दी को सरल बनाया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी को सरल बनाने का यह अर्थ है कि उस में बड़े-बड़े उर्दू या संस्कृत के लफ्ज रख दिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह की गलतफहमी है लेकिन ऐसी बात करन का इरादा नहीं है ।

डा० गोविंद दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की क्या सिफारिशें होती हैं उस पर विचार किया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी जो भी सिफारिशें हों क्या वे मान्य की जायेंगी या वह सिफारिशें अगर मंत्री जी ठीक समझेंगे तो मान्य की जायेंगी और अगर उनको ठीक नहीं समझेंगे तो नहीं मानी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब जाहिर है कि वह सलाहकार समिति है और लाजिमी तौर पर उसकी सिफारिशें गवर्नमेंट पर मान्य नहीं हो सकती हैं । इस बात को पूछने की कोई जरूरत नहीं है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं किसी की बात का पूर्व अनुमान लगाना नहीं चाहता । यह तथ्य हीन प्रश्न है ।

श्री त्यागी : जिस तरीके से रोजमर्रा के लफ्जों को इस्तेमाल कर के हिन्दी को आसान करने की कोशिश की गई है क्या उसी तरीके से उर्दू को भी आसान करने की कोशिश की जा रही है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यद्यपि यह एक अलग प्रश्न है, फिर भी मैं कहूंगा कि उर्दू को भी सरल बनाने की कोशिश है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अरबी, फार्सी और संस्कृत के बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग होता है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : उर्दू प्रसारण को भी सरल बनाने की कोशिश है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक सलाहकार समिति की स्थापना की है । मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सलाहकार समिति

---

†मूल अंग्रेज़ी में

की स्थापना की गई है तो उस से पहले ही शब्दों को सरल करने का कार्य क्यों शुरू कर दिया गया और क्या यह तब तक के लिए रोका नहीं जा सकता है जब तक कि सलाहकार समिति अपनी राय इस सम्बन्ध में नहीं दे देती है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : ये प्रसारण १ जुलाई से आरम्भ हुए हैं । अतः सभा के लिए यह बात आश्चर्यजनक नहीं है । काफी समय बाद १ जुलाई को ये आरम्भ किये गये थे । उसके लिए परामर्शदाता समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव : पहली जुलाई से पेश्तर जो न्यूज बुलेटिन निकलते थे उन में हिन्दी, अंग्रेज़ी और उर्दू के शब्द आते थे तो अब क्या जरूरत आन पड़ी कि नये तरीके से न्यूज बुलेटिन छापे जायें और यह नया परिवर्तन किया जाये ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम हिन्दी समाचार प्रसारणों में ऐसा कोई उर्दू शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो पहले प्रयोग नहीं होता था । इस प्रकार हम कोई शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री सिद्धान्ती : क्या मंत्री महोदय अपने आप को हिन्दी का स्वरूप निश्चित करने के लिए प्रामाणिक समझते हैं, यदि नहीं, तो इसका बिना निश्चय किये हुए वे पहले ही इसे बिगाड़ने का यत्न क्यों कर रहे हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

†**श्रीमती विमला देवी** : क्या हिन्दी बोलने वाले संसत्सदस्यों को सरल हिन्दी बोलने के लिए सहमत करने का कोई प्रस्ताव है ताकि हम सब समझ सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या हमारे देश में प्रयोग किये जाने के लिए हिन्दी शब्दों का ऐसा स्तरीकरण कर दिया गया है कि उनके बारे में कोई मतभेद नहीं है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हमारी कठिनाई यह है कि अभी भाषा का रूप निश्चित नहीं हुआ है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न का यह कोई उत्तर नहीं है ।

†**श्री दाजी** : इस बात का ध्यान रखकर कि सरल हिन्दी चाहने वाले व्यक्तियों को भी आकाशवाणी में आरम्भ की जाने वाली हिन्दी से दुःख होता है और इस बात का भी ध्यान रखकर कि समिति नियुक्त की गई है, क्या सरकार इस अन्तःकाल में विद्यमान हिन्दी को बिगाड़ने से रोकेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : किसी विद्यमान हिन्दी को बिगाड़ने की बात नहीं है ।

†**श्री दाजी** : यह अत्यधिक बिगड़ गई है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह कोई हिन्दी नहीं है ।

श्री गुलशन : आकाशवाणी से जो हिन्दी बोली जाती है वह मश्किल होती है और देहाती लोगों को वह समझ में नहीं आती है, मैं जानना चाहता हूं कि उस हिन्दी से देहाती लोगों को कोई फायदा होता है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना यह है कि ग्रामीण व्यक्तियों को हिन्दी प्रसारणों से कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत कठिन है। श्रीमती यशोदा रेड्डी।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं यह जानना चाहती हूं कि १ जुलाई से आकाशवाणी की हिन्दी में चेंज होने के कारण हिन्दी-पंडित लोगों के अलावा हमारे देश के कामन पीपल से कुछ एप्रिसियेशन आया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : अनेक बधाई-पत्र प्राप्त हुए हैं ..... (**अन्तर्बाधा**)। उत्तर प्रदेश में उप-कुलपतियों ने भी मुझे लिखा है।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या कोई विशेष अनुदेश दिये गये हैं.....

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वे कौन व्यक्ति हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछने चाहियें।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कम से कम हमें उप-कुलपतियों के नाम बताये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी बोल रहे हैं। आपस में बातचीत हो रही है। वह अध्यक्ष-पीठ की अनुमति के बिना उपकुलपतियों के नाम जानना चाहते हैं। श्रीमती महिषी।

†**श्रीमती महिषी** : क्या सरलीकरण के बारे में समिति को कोई विशेष अनुदेश दिये गये हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : समिति समाचार बुलेटिनों की जांच कर सकती है और कह सकती है कि त्रटि कहां है और सरलीकरण कहां किया जाना चाहिये।

स्कूलों में टेलीविजन के द्वारा शिक्षा

*७०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में जो टेलीविज़न द्वारा शिक्षा देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, क्या उसके वैज्ञानिक मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किन तथ्यों का पता लगा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां।

(ख) मूल्यांकन का काम अभी जारी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, दिल्ली में टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा देने का जो काम शुरू किया गया है, इसका अध्ययन या स्टडी कब समाप्त हो जायेगी ?

श्री शामनाथ : ख्याल यह है कि सितम्बर के दूसरे हफ्ते तक, जो स्टडी हो रही है, वह खत्म हो जायगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई कठिनाइयां सामने आईं, जिनकी वजह से यह अध्ययन करना पड़ा, या कोई और वजह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शामनाथ : कोई ख़ास कठिनाइयां सामने नहीं आईं, लेकिन चूंकि फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन की मदद से यह काम हो रहा है, इसलिये यू० एस० ए० के एक एक्सपर्ट, जो इस तमाम चीज़ को देख रहे हैं, यह रिपोर्ट देंगे कि जो स्कीम जारी हुई है, उस से स्कूलों के बच्चों को किस हद तक फ़ायदा हुआ है ।

भारत में आर्थिक विकास

†*७०६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री रामेश्वर टीटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि भारत में आर्थिक विकास की औसत दर कई अन्य एशियाई देशों की अपेक्षा काफी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण, १९६१ में बताया गया है कि वर्ष १९५०-५१ से वर्ष १९५८-५९ तक की अवधि में भारत की वास्तविक उत्पादन-वृद्धि की औसत वार्षिक दर ३ प्रतिशत थी । सर्वेक्षण में छः एशियाई देशों को शामिल किया गया था जिन में से चार देशों में वृद्धि की दर भारत से अधिक है ।

(ख) ऐसी असंबंधित सांख्यकी का तनिक महत्व है । आर्थिक विकास की प्रक्रिया जटिल है और इस में आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवस्थात्मक परिवर्तन शामिल हैं । अकेला देशनांक, जैसा राष्ट्रीय आय प्राक्कलनों में परिवर्तन, जो सर्वथा तुलनात्मक हैं, और उन से गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि एशिया के कौन-कौन से देशों से हमारी स्थिति नीचे है ?

श्री नन्दा : एशिया के छः देशों में चाइना, ताइवान, फ़िलिपाइन्ज़ और थाइलैन्ड ऊपर हैं । पाकिस्तान और हमारा देश दोनों ब्रैकेटिड हैं और उनका रेट आफ़ ग्रोथ तीन परसेंट है ।

†**श्री त्यागी** : क्या इस दल ने रिपोर्ट में आर्थिक विकास के ढंग के बारे में कोई उल्लेख किया है ? यदि हां, तो क्या उन्हों ने यह भी उल्लेख किया है कि उस कारण धन का अत्यधिक एकत्रीकरण हुआ है ?

श्री नन्दा : इस पहलू का इस से कोई संबंध नहीं है । इस का संबध विकास से है । इस से पता लगा है कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे है, परन्तु इस के साथ ही यह भी सच है कि अन्य देशों में विनियोजन की दर भारत की अपेक्षा बहुत अधिक है, अर्थात् भारत की अपेक्षा एक देश में यह दर १९ प्रतिशत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने ये आंकड़े एक दिन अपने भाषण में दिये थे ।

†**श्री नन्दा** : हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सर्वेक्षण ने इस देश में आर्थिक वृद्धि की कम दर होने के कारण बताये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कारणों की जांच की है ?

†**श्री नन्दा :** पहिली बात तो यह कि यह मिश्रित स्थिति है और इन आंकड़ों में कोई तुलना नहीं है । हमारे मामले में हमारा अपना विनियोजन ८ प्रतिशत है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वक्तव्य में कोई कारण दिये गये हैं ?

†**श्री नन्दा :** हां । ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार ने उन कारणों की मान्यता की जांच की है और यदि हां, तो उस मान्यता के बारे में उनके क्या निष्कर्ष हैं ?

†**श्री नन्दा :** ये बातें स्पष्ट हैं। विदेशी सहायता हमारी अपनी राशि की पांच या छः गुनी अधिक है । उन देशों में देश की बचत की दर भी काफी अधिक है । तीसरी बात यह है कि यह उपभोक्ता उद्योग है जिन में अधिकतर विनियोजन पूंजीगत वस्तु उद्योगों में होता है और निर्माण में अधिक समय लगता है । अतः परिणाम कुछ देर से प्राप्त होता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या ये निष्कर्ष उचित आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद निकाले गये ? यदि हां, तो सर्वेक्षण का आधार क्या था ?

†**श्री नन्दा :** ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र को प्रत्येक देश देता है । वह निकाय प्रत्येक राष्ट्र के आंकड़ों की मान्यता की जांच पड़ताल नहीं करता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय दूसरी योजना काल में कम हो गई जबकि पहिली योजना काल में वह इस से अधिक थी ? यदि हां, तो क्या इसका कारण अकुशल, अप्रभावी या दोषपूर्ण आयोजन था या कुछ और कारण थे ?

†**श्री नन्दा :** नहीं, श्रीमान ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यदि केवल राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति वृद्धि की जाये, तो क्या यह सच होगा कि भारत इन देशों की सूची में कुल आय लेने की अपेक्षा अधिक गिरा हुआ है ?

†**श्री नन्दा :** हम प्रति व्यक्ति आय पर विचार कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह भारत के लिये हानिकारक नहीं है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या संयुक्त राष्ट्र ने या उसकी किसी समिति या आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है और अन्य देशों को उन्नत देशों तथा अल्प-विकसित देशों के बीच के अन्तर को कम करने के कोई सुझाव दिये हैं क्योंकि यह रिपोर्ट सभी अल्प विकसित देशों के बारे में है ?

†**श्री नन्दा :** मोटा निष्कर्ष यह है कि पूंजी-सहायता की प्राप्ति अल्प-विकसित देशों में अधिक होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सर्वेक्षण से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि विनियोजन राशि के अभाव की अपेक्षा योजना को कार्यान्वित न करना धीमी प्रगति के लिये अधिक उत्तर-दायी है ?

†**श्री नन्दा** : कार्यान्विति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हां, आर्थिक ढांचे का प्रश्न है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सर्वेक्षण की प्रति यहां कब आई थी । क्या यह पता लगाने के लिये इसका कोई विश्लेक्षण किया गया था कि हम में क्या कमी है या हम ने क्या गलती की है और अभाव या गलती को कैसे दूर किया जा सकता है ?

†**श्री नन्दा** : मैंने इसका साधारण उत्तर दे दिया है । इसकी तारीख ४ मई, १९६२ है । यह अभिलेख है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या जानकारी एकत्रित करने के लिये यहां संयुक्त राष्ट्र की यहां कोई अलग संस्था है या वह मंत्रिमंडल तथा योजना आयोग के सांख्यकीय विभागों का सहकार प्राप्त करता है ?

†**श्री नन्दा** : यह जानकारी सरकार ने भेजी थी ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख है कि क्या हमारा आर्थिक आयोजन ठीक है ? अथवा उन्हों ने हमारे आर्थिक आयोजन में कोई सुधार का सुझाव दिया है ?

†**श्री नन्दा** : आयोजन के हमारे ढंगों व उपायों की पर्याप्त सराहना की गई है ।

श्री विभूति मिश्र: यह कहा गया है कि चाइना में ज्यादा इकोनोमिक ग्रोथ हुआ है और हिन्दुस्तान में कम हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि चाइना में कंज्यूमर्ज़ ग्रेड्स में कितना कैपिटल इनवैस्टमेंट है और हैवी इंडस्ट्रीज़ में कितना इन्वैस्टमेंट है ?

†**श्री नन्दा** : मेरे पास विभिन्न देशों के सारे आंकड़े हैं । इस में समय लगेगा । मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात का ध्यान रख कर कि राष्ट्रीय आय में बड़ा अन्तर है--उदाहरणार्थ वर्ष १९५३ से १९५९ तक जबकि हमारी राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जापान की आय में ६२ प्रतिशत वृद्धि हुई, बर्मा की आय में ३१ प्रतिशत वृद्धि हुई, थाईलैण्ड की आय में २८ प्रतिशत . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी मांगने के लिये सीधा प्रश्न पूछें ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारी राष्ट्रीय आय और अन्य देशों की राष्ट्रीय आय में विभिन्नता का सरकार क्या कारण बताती है ?

†**श्री नन्दा** : मैं ने बार-बार देश की बचत की दर, आन्तरिक संसाधनों, करों, आदि की व्याख्या की है । कुछ देशों को हमारे मुकाबले छः गुनी सहायता मिलती है, कुछ को पांच गुनी मिलती है । फिर, हम ने मशीन बनाना उद्देश्य बनाया है, अर्थात् इस्पात तथा अन्य उद्योग जिन से फल काफी समय बाद प्राप्त होता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

*७०७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आस्ट्रेलिया के दौरे पर गये जापानी इस्पात उद्योग के शिष्टमण्डल के एक प्रवक्ता के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सन् १९७० तक आस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष ४,५०,००,००० टन लौह-अयस्क जापान को निर्यात करने लगेगा जबकि १९६१ में उसने १ लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात जापान को किया था ;

(ख) क्या जापान को लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के बारे में भारत सरकार ने जापान के साथ कोई दीर्घकालीन समझौता कर रखा है ;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की क्या शर्तें हैं ; और

(घ) क्या सरकार जापान को भारतीय लौह-अयस्क का निर्यात बनाये रखने और बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है किन्तु हमें उसकी कोई सरकारी या गैर-सरकारी तौर से पुष्टि नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) जापान की इस्पात मिलों के साथ किये गये दीर्घकालीन करारों को बताने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०**]

(घ) जी, हां ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया है कि जापान को जो दूसरे देशों के साथ लौह-अयस्क के आयात के बारे में अपने सम्बन्ध बढ़ाने पड़ रहे हैं तो इसका क्या कोई यह कारण तो नहीं है कि भारत की व्यापारिक शर्तों से उसके लिये कोई कठिनाई उत्पन्न हो गई थी जिससे उसको यह निर्णय लेना पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बात नहीं है । आज भी जापान हम से २५ परसेंट आयरन और लेता है । आस्ट्रेलिया उसको अभी तक तीन लाख से ज्यादा नहीं दे पाया है। आस्ट्रेलिया के पास अभी तक ज्यादा आयरन और नहीं था । वहां पर इसके एक्सपोर्ट अभी तक टोटल बैन था । लेकिन चूंकि कुछ वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में नई माइन्ज़ निकली हैं, इस वास्ते जापान को और आस्ट्रेलिया में कुछ बातचीत चल रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर में "हां" कहा गया है । इस "हां" की व्याख्या के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि निर्यात व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में आप क्या विशेष उपाय बरत रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हाउस को पता है कि एक लम्बी देर का और मध्यम देर का प्लान हमने बनाया है । आज हम आयरन ओर का जो निर्यात कर रहे हैं वह कोई ११ मिलियन टन कर रहे हैं। आने वाले पांच सालों में उसे हम दुगुना कर देना चाहते हैं, २० मिलियन टन या २२ मिलियन टन कर

---

†मूल अंग्रेजी में

देना चाहते हैं और दूसरे फेज में हम इसको ३०–३५ मिलियन टन कर देना चाहते हैं। उसके लिये जो हमारे पास बन्दरगाह हैं और उनके जो रास्ते हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं और उनके लिये जो मिकैनीकल इक्विपमेंट चाहियें उसका भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। माइंज को भी हम डिवेलेप कर रहे हैं। आयरन और कैरियर्ज भी बढ़ा रहे हैं। जापान को ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों को भी हम ज्यादा मात्रा में आयरन और भेज सकें, उसके लिये पूरी योजना हमारे पास है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कब तक यह सब हो जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : तैयार है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार लौह अयस्क के निर्यात के लिये बाजार खोज रही है तथा यदि हां, तो वह बाजार कौन से हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समस्त विश्व के। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि लगभग पूरे योरोप के देशों, कुछ लैटिन अमरीकी देशों, पूर्व योरोप के देशों को हम निर्यात करते हैं परन्तु जापान अकेला ही सब से अधिक निर्यात करता है।

डा० गोविन्द दास : लौह अयस्क का जो निर्यात हो रहा है वह किन किन स्थानों से हो रहा है? और जो अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारी खानें और दूसरे जो इसके निर्यात के रास्ते हैं उनका आगे चल कर कुछ अधिक निर्माण किया जाए, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह काम किन किन राज्यों में चल रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : फैहरिस्त तो लम्बी है। किरिबुरु वाइजैग, बैलाडिल्ला वाइजैग, चित्तल-दुर्ग, मैंगलोर, बेलारी होस्पेट मद्रास, बरजमादा हल्दिया, नया दुर्ग पारादीप, बेलारी हास्पेट गोआ एण्ड गोआ इटसैल्फ।

†**श्री मुरारका** : दीर्घकालीन करार करने से पहले, क्या सरकार ने स्वीकार की जाने वाली दरों के बारे में प्राक्कलन समिति की विशिष्ट सिफारिशों पर भी विचार किया गया है ? यदि हां, तो भारत और जापान के बीच क्या दर स्वीकार किए गए हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मात्रा तथा किस्म के आधार पर ठेकों की दरों में अन्तर होता है। और मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि दरें बताना लोकहित में नहीं होगा। हमारी दरें अन्तर्राष्ट्रीय दरों से अच्छी हैं।

†**डा० कोलाको** : क्या गोआ से अन्य देशों को लौह अयस्क के निर्यात की कोई सुविधा है क्योंकि वह दीर्घकालीन आधार का सहारा. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्नों को पढ़ा नहीं जाना चाहिये। मैंने माननीय सदस्य को भाषण इसलिये पढ़ने दिया था क्योंकि वह उनका पहला भाषण था।

†**डा० कोलाको** : क्या गोआ के निर्यातकर्ताओं को जापान और अन्य देशों को लौह अयस्क का निर्यात करने की कोई सुविधा दी गई है क्योंकि वह प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार १० प्रति-शत छूट देने वाले दीर्घकालीन ठेकों पर आधारित रहते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता समझता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि गोआ का प्रश्न हमारे सम्मुख सर्वोपरि है। हम घोषणा कर चुके हैं सभी ठेके पहले किए गए तथा भविष्य में होने वाले को हमारा समर्थन है और छोटे खनिकों समेत गोआ के खनिकों को सभी सुविधायें

---

†मूल अंग्रेजी में

दी गई हैं। हमने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि हम उनके अयस्कों का यदि वह चाहें तो राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात कर सकते हैं।

बर्लिन में फिल्म समारोह

†*७०९. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में बर्लिन और चैकोस्लोवाकिया में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिये कोई सरकारी फिल्म शिष्टमण्डल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के कौन कौन सदस्य थे ;

(ग) सदस्यों के चुनाव में क्या प्रणाली अपनाई गई थी ; और

(घ) इन सदस्यों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) से (ग). १९६२ में बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बर्लिन में भारतीय महावाणिज्य दूत के नेतृत्व में सर्वश्री के० एम० मोदी, प्रेजीडेंट फिल्म फैडरेशन आफ इण्डिया, पृथ्वीराज कपूर तथा ए० एल० श्री निवासन, प्रेजीडेंट सदस्य इण्डियन फिल्म चैम्बर आफ कामर्स का एक शिष्टमण्डल गया था। इन सभी का नाम निर्देशन भारत सरकार ने किया था। कालोवीवैरी (चैकोस्लोवाकिया) के समारोह के नियमानुसार सरकारी शिष्टमण्डल भेजने की व्यवस्था नहीं है और इसीलिये कोई शिष्टमण्डल नहीं भेजा गया था।

(ख) १०४० रुपये।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है कि हमारी फिल्मों को इन देशों में साधारण सिनेमा देखने वाले कितना देखते हैं।

†**श्री शामनाथ** : जी नहीं। हम पश्चिम जर्मनी तथा चैकोस्लोवाकिया जहां पर हमारी फिल्में दिखाई गई थीं, की जनता की प्रतिक्रिया अभी नहीं जान पाये हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : माननीय उप मन्त्री के उत्तर के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारी फिल्मों को वहां पर देखने की उत्सुकता हम नहीं जान पाये हैं तो समारोह में भाग लेने का हमारा उद्देश्य क्या था तथा सरकार ने इतना बड़ा शिष्टमण्डल क्यों वहां पर भेजा था ?

†**श्री शामनाथ** : बड़ा शिष्टमण्डल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विश्व के बहुत से भागों में प्रत्येक वर्ष इतने अन्तर्राष्ट्रीय समारोह होते हैं। और इन समारोहों में भाग लेना प्रत्येक देश के लिये लाभदायक होता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : बर्लिन फिल्म समारोह में भाग लेने वाले ये कितने व्यक्ति आमन्त्रित तथा अनामन्त्रित फिल्मी संसार के थे तथा सरकार ने कितनों को पासपोर्ट दिये थे ?

†**श्री शामनाथ** : इस फिल्म समारोह के सम्बन्ध में दिये गये पासपोर्टों के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। परन्तू सरकारी शिष्टमण्डल के चार सदस्य थे अर्थात्, श्री के० एम० मोदी, श्री पृथ्वीराज कपूर तथा श्री श्रीनिवासन, चौथे व्यक्ति शिष्टमण्डल के नेता बर्लिन के वाणिज्यिक

---

†मल अंग्रेजी में

दूत थे। रूपक चित्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों जो समारोह में गये थे, उनके नाम मेरे पास हैं। उनमें देवानन्द तथा कुछ अन्य व्यक्ति हैं।

प्रेस परामर्शदात्री समिति

†*७१०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस परामर्शदात्री समिति बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) और (ख). प्रेस परामर्शदात्री समिति स्थापित करने का मामला विचाराधीन है।

†**श्री यशपाल सिंह** : इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और इसके मैम्बरान के नाम क्या हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : शीघ्र स्थापित होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह समिति निश्चित रूप से कब तक स्थापित हो जायेगी और इसका प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : प्रतिवेदन देने से पहले इसकी स्थापना होगी। सम्भवतया अगले महीने स्थापित होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेफा में विमानों द्वारा खाद्य पदार्थों का गिराया जाना

†*७०८. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में कब से विमानों द्वारा खाद्य पदार्थ गिराये जा रहे हैं ; और

(ख) सरकार की ओर से यह कार्य किस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). भूतकाल में भारतीय विमान बल, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा विभिन्न गैर सरकारी एयर लाइनों ने खाद्य पदार्थों को गिराया है। १९६० से गैर सरकारी किराये के विमान चलाने वाली कम्पनी यह काम कर रही है।

---

† मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व संसद सदस्यों के कब्जे में बंगले

†७११. श्री बेरवा (कोटा) : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के कितने बंगलों व क्वार्टरों में भूतपूर्व संसद् सदस्य अभी भी रह रहे हैं; और

(ख) यदि रह रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं और वह वहां पर कब तक रहेंगे और इन मकानों को खाली कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) बंगले . . . ६

फ्लैट्स	५
गराज	१०
नौकरों के लिये मकान	१४

(ख) इन निवास स्थानों को खाली कराने के लिये लोक परिसर (अनिधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम १९५८ ऐक्ट १९५८ पब्लिक प्रैमिसिज़ (ऐविक्शन ऑफ अनऑथोंराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स) के अधीन कार्रवाई की जा रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक भारतीय चौकी पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना।

*७१३. { श्री बी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री हेम बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना ने ९ अगस्त, १९६२ को जम्मू के निकट चाम्ब में एक भारतीय चौकी पर गोली चलाई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन भारतीय घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को इसके बारे में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). चाम्ब के ४ मील पश्चिम में तथा अखनूर के २३ मील दक्षिण-पश्चिम में जब हमारी ओर के नागरिक अपने ढोर चरा रहे थे तभी ९ अगस्त को पाक अधिकृत काश्मीर के नागरिकों ने उन पर गोली चलाई थी । इसके तुरन्त बाद ही पाक/पाक अधिकृत काश्मीर के सैनिकों ने हमारी चौकी पर गोली

---

†मूल अंग्रेजी में

चलाई जिसके कारण एक सैनिक के गोली लगी । स्वयं सुरक्षा में हमारे सैनिकों ने भी गोली चलाई ।

चाम्ब के उत्तर-पश्चिम में ५॥ मील पर उसी दिन पाक/पाक अधिकृत काश्मीर के सैनिकों के दो दस्तों ने युद्ध विराम रेखा में घुसकर ढोर चराते नागरिकों पर एल एम जी से तथा राइफल्स से गोली चलाई । हमारे नागरिकों को स्वयं रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी । हमारे सी आर पी दस्ते के आने पर आक्रमणकर्ता वापस भाग गये ।

(ग) जी, नहीं । परन्तु युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों से शिकायत कर दी गई है ।

आयात किये गये पुर्जों के लिये उच्चाधिकार प्राप्त तालिका (पैनल)

†*७१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुर्जों तथा कच्चे माल के वर्तमान आयात के स्थान पर देसी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार युक्त पैनल बनाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पैनल के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या पैनल का वास्तविक गठन हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). तालिका बना ली गयी है तथा गठन और तालिका के निर्देश पद का संकल्प सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

तिब्बती शरणार्थियों का आना

†*७१६. **श्री कपूर सिंह :**
श्रीमती विजय राजे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रदेश में और नये तिब्बती शरणार्थी आये हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारे प्रदेश में घुसने वाले ऐसे कितने शरणार्थी हैं; और

(ग) भारत में अवांछित लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हाल में ही भारत में बहुत अधिक तिब्बती शरणार्थी नहीं आये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १-१-१९६२ तथा १४-७-१९६२ के बीच भारत में ४९८ शरणार्थी भारत आये थे।

(ग) भारत में अनैच्छिक व्यक्तियों को रोकने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†*७१७. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ते में ५ रुपये की वृद्धि करने की अपनी मांग का आग्रह करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां । लगभग एक सप्ताह के लिए ।

(ख) विवाद औद्योगिक न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है ।

निर्यात संवर्द्धन

†*७१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६२ के तीसरे सप्ताह में अपनी बैठक में व्यापार बोर्ड ने निर्यात में सहायता देने के लिए निर्यातकर्त्ताओं के त्रिस्तरीय संगठन की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में बोर्ड का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और बताया है कि विभिन्न वस्तुओं तथा देश के विभिन्न भागों के निर्यातकर्त्ताओं का शीघ्र सम्मेलन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए होने वाला है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

*७१९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एक समिति कुछ समय पहिले नियुक्त की गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफ़ारिशों और उन पर की गई कार्यवाही पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(घ) यदि अभी तक समिति ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो इसके कब तक रिपोर्ट पेश कर देने की आशा है; और

(ङ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) और (ख). जी हां

(ग) जब सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की पड़ताल कर ली जायेगी और उस पर निश्चय कर लिये जायेंगे, उसके बाद इन सिफारिशों का सारांश सदन की मेज़ पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

†२०११. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मितव्ययता करने के लिए कुछ प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात कम कर दिया है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि इन वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण उनके मूल्य बढ़ रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर पर रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) से (ग). उपभोक्ता वस्तुओं तथा कच्चे माल को आयात करने की अनुमति विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा देसी उत्पादन पर निश्चित की जाती है । कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया बताया जाता है । इन वस्तुओं का देश में अधिकतम उत्पादन करके सरकार का विचार सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है ।

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

२०१२. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की बड़ी-बड़ी मदों के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिए व्योरेवार कितनी-कितनी रकम मंजूर की गई है; और

(ख) १९६१–६२ में विकास की बड़ी-बड़ी मदों के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिए व्यौरेवार कितना रुपया मंजूर किया गया था और कितना खर्च हुआ ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :(क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†२०१३. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तथा दूसरी योजनावधि में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मकान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्र सरकार ने कितना धन देना स्वीकार किया है;

(ख) प्रत्येक वर्ष की कितनी रक़म है;

(ग) प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना धन व्यय किया है; और

(घ) अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र

†२०१४. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों को केन्द्रीय श्रम विधान के अन्तर्गत लाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक प्रबन्ध को राज्य सरकार के हाथों से लेकर केन्द्रीय सरकार को देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन हाल में ही राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी परन्तु अभी इसको स्वीकार नहीं किया गया है। अन्तिम निर्णय करने से पूर्व केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध से मामले पर विचार करने का विचार है।

व्यापार बोर्ड

†२०१५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ अगस्त, १९६२ की बैठक में व्यापार बोर्ड ने क्या निर्णय किए हैं ;

(ख) मंत्रालय को दिए गए ज्ञापन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) अखिल भारतीय निर्माता संगठन, भारतीय विदेशी व्यापार परिषद् तथा भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडरेशन के प्रतिनिधियों समेत बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) प्रेस को दिए गए विवरण की एक प्रति संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ख) लौह-अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क, बॉक्साइट, तथा फैरो मैंगनीज़ के निर्यात में लगी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से ज्ञापन मिले हैं। ये लौह अयस्क की परिवहन कठिनाइयों, बौक्साइट के निर्यात पर प्रतिबन्ध तथा मैंगनीज अयस्क और फैरो मैंगनीज़ अयस्क के अधिक मूल्य से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में हैं।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी केन्द्र विजयवाड़ा के हिन्दी कार्यक्रम

†२०१६. **श्री उलाका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के आकाशवाणी केन्द्र से हिन्दी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ।

(ख) यदि हां तो वह किस किस दिन प्रसारित किया जाता है और उनके लिए कितना समय दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) आकाशवाणी के विजयवाड़ा केन्द्र से निम्नलिखित हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है :—

कार्यक्रम का प्रकार	कितनी बार प्रसारित होता है	काल
वार्ता . . .	तिमाही में दो या तीन बार	प्रत्येक बार १० मिनट
नाटक और कहानियां	. महीने में एक बार	प्रत्येक अवसर पर १५-२० मिनट
समाचार (प्रसारण)	. प्रतिदिन	१५ मिनट (०८.१५—८.३० बजे तक)

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों को विकास ऋण

†२०१७. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के राज्यों को सड़क निर्माण के लिए विकास ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग कितनी राशि दी गई ;

(ग) जिन शर्तों और कारणों पर ऋण दिया जाता है उन का स्वरूप और अवधि क्या है ; और

(घ) क्या ऐसे ऋण देने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क), (ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम के कहने पर और भारत सरकार के सम्बंधित विभागों के परामर्श से मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कुछ निधियां दी गई थीं ताकि वे कतिपय सड़कों का विकास कर सकें जिस से लौह अयस्क के निर्यात के लिए पत्तनों पर ले जाने में सुविधा हो और विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि हो । प्रत्येक राज्य को दी गई राशि निम्नलिखित है :

	(लाख रुपयों में)
मैसूर	१८५.९९
आंध्र	५.००
उड़ीसा	११.८१

ये राशियां अनुदान के रूप में दी गई थीं ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में

बड़ाजमदा वानसपानी खण्ड में लौह अयस्क

†२०१८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम रेल डिब्बों की कमी के कारण बड़ाजमदा वानसपानी खण्ड से अपने अभ्यंश का लौह अयस्क नहीं उठा सका ; और

(ख) क्या इन खान क्षेत्रों की वर्तमान सड़कों और गुरज जोड़ा सड़क को नये सिरे से बनाने, उनके सुधार और मरम्मत करने के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता देने का प्रस्ताव है ताकि सड़क द्वारा लौह अयस्क ले जाने में सहायता मिले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् । बड़ाजमदा वानसपानी खण्ड का लौह अयस्क का सारा अभ्यंश रेल यातायात की सीमित सुविधाओं के कारण नहीं उठाया जा सका ।

(ख) इस समय प्रश्न रेल यातायात क्षमता के सुधार का है । जब तक यह नहीं हो जाता उन नगरों के बीच जहां रेलवे है अधिक मात्रा में लौह अयस्क को सड़क द्वारा ले जाने से कोई सहायता नहीं मिलेगी । अत: इस समय राज्य सरकार को इस प्रकार की सहायता देने का विचार नहीं किया गया ।

इलिमेनाइट का उत्पादन

†२०१९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल विश्व के इलिमेनाइट उत्पादन में भारत का कितना अंशदान है ;

(ख) १९४० में कितना था ;

(ग) क्या त्रावणकोर खनिज कारखाने की स्थापना के बाद उसका आधुनीकरण किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो उत्पादन के आजकल के कौशलपूर्ण और आधुनिकतम उपाय न अपनाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विश्व के इलिमेनाइट उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु भारत में इस समय जितनी मात्रा में इलिमेनाइट का उत्पादन किया जाता है (लगभग १,५०,००० टन) वह विश्व के खनिज उत्पादन का १० प्रतिशत है ;

(ख) १९४० में भारत ने विश्व के ३,५०,००० के कुल उत्पादन की तुलना में लगभग २,६२,००० लाख टन इलिमेनाइट का उत्पादन किया ;

(ग) तथा (घ). त्रावनकोर मिनेरल्स लिमिटेड की स्थापना अक्तूबर, १९३० में की गई थी और उसने १० मई, १९५७ को काम आरम्भ कर दिया था । त्रावणकोर मिनेरल्स लिमिटेड के प्रबंधक को कारखाने के नवीकरण और आधुनिकरण की आवश्यकता का ध्यान है और इस

†मूल अंग्रेजी में

दिशा में प्रथम कदम के रूप में इसने १ सितम्बर, १९६२ से चावड़ा के संयंत्रों के पवनपटनों को बंद कर दिया है ।

कम्पनी के जो संयंत्र पहले मोनेजाइट के उत्पादन में लगाये गये थे उनमें से एक में नई मशीनें लगाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं ।

काफी बोर्ड मजदूर संघ

†२०२०. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कहवा बोर्ड मज़दूर संघ और कहवा बोर्ड के बीच बम्बई न्यायाधिकरण पंचाट के बारे में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार क्या था ;

(ग) क्या करार कार्यान्वित किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(ङ) क्या जहां तक डिपो कर्मचारियों का सम्बंध है इन्हें क्रियान्वित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां श्रीमान् ।

(ख) फैसले की शर्तें संलग्न हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५**]

(ग) से (ङ). करार को कार्यान्वित किया गया है । केवल डिपो में नियुक्त कुछ कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

२०२१. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये ढांचे पर १ मार्च, १९६२ से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में जो चार टैरीटोरियल डिवीजन पुनर्गठित किये गये हैं, उसके फलस्वरूप मंत्रालय के वार्षिक व्यय में कितनी बचत हुई है; और

(ख) टैरीटोरियल डिवीजनों के पुनर्गठनों के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों और अधिकारियों की छंटनी हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इससे लगभग ५१,००० रुपए सालाना की बचत हुई है ।

(ख) किसी कर्मचारी को हटाया नहीं गया । पुनर्गठन के फलस्वरूप जो लोग फालतू हो गए थे, उन्हें उन जगहों में खपा लिया गया जो पहले से मौजूद थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में डाक्टर

२०२२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला द्विवेदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से नेफा में चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) ऐसे कितने चिकित्सा कर्मचारी नेफा भेजे जायेंगे ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां श्रीमान्, पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्वी खण्ड परिषद् द्वारा प्रार्थना की गई है कि वह नेफा में चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने के लिये सहायता करे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने पूर्वी खण्ड परिषद् की बैठक में इस सहायता की पेशकश की थी।

(ख) अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाय और पटसन का निर्यात

†२०२३. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जून, १९६२ में कलकत्ता में चाय और पटसन के निर्यातकर्ताओं के साथ निर्यात बढ़ाने के बारे में कई बार बातचीत की थी।

(ख) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) निम्नतम मूल्य बनाये रखने के लिये किन उपायों पर चर्चा की गयी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) चाय के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं अथवा विचाराधीन हैं :—

(१) कृत्रिम सिंचाई के लिये उपकरणों की अनुज्ञप्ति देने और चाय बोर्ड की किराया खरीद योजना में सिंचाई उपकरण शामिल करने के लिये उसका विस्तार करने का विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) प्रैस, टेलीविजन, रेडियो और सिनेमा प्रचार द्वारा विदेश में संवर्धन कार्य, अधिक चाय केन्द्र खोलना और प्रदर्शनियों में भाग लेने का काम अधिक जोर से आरम्भ कर दिया गया है ।

पटसन के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(१) भारतीय पटसन मिल संघ ने अपनी सदस्य मिलों से कहा है कि वे बिना प्रतिबन्ध के काम जारी रखें ।

(२) चौड़े करघ स्थापित करने और उन करघों को धागा देने के हेतु अतिरिक्त कताई क्षमता के हेतु मशीनों की स्थापना की अनुमति देने पर जो पहले प्रतिबन्ध लगाये गये थे उन्हें संघ ने हटाने का निर्णय किया है; और

(३) पटसन की मिलों को विद्युत् संभरण में जो १५ प्रतिशत कटौती करने का विचार था वह छोड़ दिया गया है और बड़े करघों की क्षमता के विस्तार के लिये कुछ मात्रा में अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध कराने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

(ग) निम्नतम मूल्य बनाये रखने के लिये इन बैठकों में किसी उपाय पर विचार नहीं किये गये ।

नेफा में हिन्दी का प्रयोग

२०२४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में क्या कुछ और प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां। १९५९ में सरकार ने जो निर्णय किया था उस के अनुसार उत्तर-पूर्व सीमान्त एजन्सी के स्कूलों में, प्रारम्भिक कक्षाओं की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से होती है और उस के बाद असमिया भाषा के माध्यम से। तीसरी कक्षा के बाद से हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है ।

हिन्दी को कुछ ऐसे विशेष क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनाये रखा गया है, जहां के स्थानीय लोगों ने इस बात के लिये निश्चित रूप से प्रार्थना की थी ।

जिन कबायली भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उन की सभी पाठ्य पुस्तकें देवनागरी लिपि में छापी जाती हैं।

सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी के नियमित पा ्य-क्रम चलाये जाते हैं और समय समय पर उन की परीक्षायें भी होती हैं ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी के सभी स्कूल, पुस्तकालय और सरकारी सहायता प्राप्त क्लब हिन्दी और असमिया की पत्र-पत्रिकायें मंगाते हैं ।

(ख) किन्हीं गैर-सरकारी संगठनों के कुछ पत्र सरकार को मिले हैं, जिन में उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी से संबद्ध भाषा नीति के बारे में विचार प्रकट किये गय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक रोजगार अधिकारी

२०२५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ६० प्रतिशत सहायक रोजगार अधिकारियों को स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिन को स्थायी बनाने का प्रश्न विचाराधीन था;

(ख) क्या उन की भर्ती के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं, और यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी): (क) सहायक रोजगार अधिकारियों के आठ पदों में से, जिस में एक सहायक रोजगार अधिकारी (प्रविधिक) भी शामिल है, छः पद स्थायी कर दिये गय हैं। इन पदों पर काम करने वाले अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति के सवाल पर संघ लोक सेवा आयोग (यू० पी० एस० सी०) के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है।

(ख) जी हां ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंजूर किये गये नियम संलग्न हैं।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]

"उद्योग व्यापार पत्रिका "

२०२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "उद्योग व्यापार पत्रिका" के इस समय कितने ग्राहक हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस की ग्राहक संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या उद्योग व्यापार पत्रिका में दी जाने वाली अधिकांश सामग्री "जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में पहले प्रकाशित हो जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) २,०१० (१८ अगस्त, १९६२ को) ।

(ख) लगभग ५०० ।

(ग) जो सामग्री "उद्योग व्यापार पत्रिका" में प्रकाशित होती है, वह सामान्यतः "जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित होने वाली सामग्री से भिन्न होती है। किन्तु कभी-कभी "जर्नल" की प्रमुख विषयों व विकास संबंधी सूचनाओं को पत्रिका में शामिल कर लिया जाता है ।

उद्योगों का विकास

२०२७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों का विकास करने के लिये अब तक जो १० विकास परिषदें स्थापित की गई हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) इन विकास परिषदों में से कितनों के पास गवेषणा कराने के साधन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है ?

विवरण

(क) (१) खाद्य परिष्करण उद्योग की विकास परिषद् को खाद्य पदार्थों, बिस्कुटों तथा मिठाइयों की निर्यात बढ़ाने में सहायता करने की दृष्टि से १ लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई है।

(२) चीनी की विकास परिषदों को गवेषणा के कार्य में बढ़ावा देने में इस्तेमाल करने के लिये निम्नलिखित सहायता/सहायता अनुदान दिये गये हैं :—

		रुपये
	१९५६–५७	७०००.००
	१९५७–५८	५९९१.८१
	१९५८–५९	९४२०.३१
	१९५९–६०	७७५३.७४
तथा	१९६०–६१	१२२९१.७५

(३) विकास परिषदों की उपर्युक्त राशि के अलावा अन्य कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है फिर भी विकास परिषदों की बैठक में सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिये उन के यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का खर्च तथा परिषदों के कार्य के लिये रखे जाने वाले कर्मचारियों का खर्च सरकार देती है।

(ख) विकास परिषदों में गवेषणा की कोई सुविधा नहीं है।

"त्रावनकोर रेयन्स"

†२०२८. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "त्रावनकोर रेयन्स" की विस्तार योजनाओं की श्री अकीफामा की अध्यक्षता में जापानी विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच के बारे में केरल सरकार को प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी संघ

†२०२९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी संघ की ओर से उन की कुछ शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी संघ द्वारा पास किये गये संकल्प पर विचार किया जा रहा है ।

काफी बोर्ड को हुई हानि

†२०३०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कारणों से काफी बोर्ड को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ;

(१) साफ करने में हानि
(२) यातायात में हानि
(३) भंडार में हानि, और

(ख) इस हानि को रोकने के लिये या कम से कम इसे न्यून करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) (१) कहवा साफ करने में कोई हानि नहीं बताई जाती । कहवा साफ करने के बाद अर्थात् गोदाम में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहवा ले जाने के समय इस की हानि का या लाभ का हिसाब लगाया जाता है ।

(२) लगभग १६ मीट्रिक टन ।

(३) लगभग १५७ मीट्रिक टन ।

(ख) भंडार में कहवे की हानि समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि मौसम की आर्द्रता के कारण कहवे का भार कम या अधिक हो जाता है । इसी प्रकार यातायात में भी हानि को बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता यद्यपि उसे कम करने के सब उपाय किये गये हैं ।

प्रशिक्षण योजनाओं का समन्वय

†२०४१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम जी शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने की अपनी योजना और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं ;

(ख) क्या प्रायः एक ही प्रौद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न सरकारी उपक्रमों के बीच कोई समन्वय नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं तो ऐसा समन्वय करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि ठोस अर्थ व्यवस्था स्थापित हो सके ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं श्रीमान किन्तु यह आशा की जाती है कि शिशिक्षु अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने पर सभी सरकारी उपक्रमों में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) हां श्रीमान, सब मंत्रालयों के कार्यक्रमों में समन्वय करने के लिये योजना आयोग के शिक्षा विभाग का अध्यक्ष व्यावसायी प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिषद की एक अलग समन्वय समिति का सचिव है ;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रबड़ की कृषि

†२०३२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की खेती करने वाले छोटे किसानों की सहायता करने के लिये रबड़ बोर्ड के पास कोई निधि है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी निधि है ;

(ग) अब तक कितने किसानों को सहायता दी गई है ;

(घ) क्या सरकार को सहायता देने में कोई कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ङ) यदि हां तो वे कौन है और इन रुकावटों पर काबू पाने के लिये क्या क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) हां श्रीमान् ।

(ख) निधि में ७७,२८,००० रुपये हैं और वे केवल रबड़ उत्पादकों को सहायता देने के लिये ही हैं । बोर्ड की सामान्य निधि पुनरारोपण के लिये १००० रुपये की सहायता निधि भी है ।

(ग) (१) ३०-७-६२ तक ३,२६३ रबड़ के छोटे खेतों के लिये ३७,९५,१०७.७३ रुपये की पुनरारोपण सहायता दी गई है ;

(२) ५ एकड़ से कम भूमि वाले ८७५ उत्पादकों को सहायतार्थ खाद दिया गया है ।

(३) २५१ छोटे उत्पादकों ने जिन के पास ५ एकड़ से कम भूमि है भूमि संभरण के लिये अपने क्षेत्रों में पुनरारोपण किया है और उन्हों ने ५,९७७,६३ रुपये की सहायता ली है ।

(४) १० एकड़ से कम भूमि वाले १८१ छोटे उत्पादकों को अपने खेतों में पुनरारोपण के लिये अधिक उपजाऊ बीज मुफ्त दिये गये हैं ।

(घ) नहीं श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी चल-चित्रों के हिन्दी में प्रमाण-पत्र

२०३३. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी चल-चित्रों को अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में प्रमाण-पत्र देने के जिस सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था उस के बारे में इस बीच क्या निणय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) (यह विषय अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिदनापुर जिले में नमक का कारखाना

†२०३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार मिदनापुर जिले में कण्टाई के समुद्र तट पर किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता से नमक का एक बड़ा कारखाना खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता तथा सहयोग की मांग की है ;

(ग) राज्य सरकार ने किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में हर प्रकार की सहायता देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) पश्चिमी बंगाल की सरकार मिदनापुर जिले में कण्टाई के समुद्रतट पर सरकारी क्षेत्र में नमक का एक आधुनिक कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। परन्तु प्रस्ताविक कारखाना किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता से स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ). इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किसी प्रकार की सहायता के लिये अभी भारत सरकार से मांग नहीं की है ।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग की मशीनें

†२०३५. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग ने १९५८-६२ के दौरान ट्रैक्टर, बुलडोज़र, कोंक्रीट मिलाने की मशीन तथा वायु संपीडक जैसी कुल कितनी मशीनें मंगाईं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पुर्जों के न होने के कारण अधिकांश मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गायब या क्षतिग्रस्त पुर्जों के स्थान पर नये पुर्जे कब तक लगा दिये जायेंगे और ये मशीनें कब तक काम में लाई जाने लगेंगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) नौ ।

(ख) और (ग). केवल एक मशीन मरम्मत न हो पाने के कारण बेकार पड़ी हैं। लगभग तीन महीने में उस की मरम्मत हो जायेगी ।

बर्मा और पाकिस्तान की सेनाओं में मिज़ो पहाड़ी के लोग

†२०३६. **श्री स्वैल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की मिज़ो पहाड़ी के पावी लाखर क्षेत्र के बहुत-से नवयुवक बर्मा और पाकिस्तान की सेनाओं में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी नहीं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक नहीं है। पाकिस्तान की सेना में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है परन्तु यह हमें पता है कि बर्मा सीमा पर मिजो पहाड़ी क्षेत्र तथा पावी लाखर क्षेत्र के बहुत से लोग आर्थिक कारण से तथा बर्मा क्षेत्र की निकटता के कारण से बर्मा की सेनाओं में काम कर रहे हैं जिस के आधार पर वे अपने को चिन पहाड़ी के मिजो कहते है। इन व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश को धनराशि

२०३७. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धन-राशि देने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख). मध्यप्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में २०२.४ करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इस में से १९६१-६२ तथा १९६२-६३ की सालाना योजनाओं के लिये क्रमशः ३० करोड़ रुपये तथा ३७.५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार

†२०३८. { **श्री विश्वनाथ राय** :
महाराजकुमार विजयआनन्द :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कोई उपाय किये गये है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: जी हां। अक्टूबर १९६१ में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच हुई एक राजनयिक संधि में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा बढाने के लिये और उसे उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

आसाम में गांवों में आवास व्यवस्था

†२०३९. **श्री स्वैल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी योजना के लिए आसाम को गांवों में आवास व्यवस्था के लिए आवण्टित कुल १५,००,००० रु० की राशि में से आसाम सरकार ने केवल २७,००० रु० निकाले; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए ऋण मंजूर नहीं कर सकी क्योंकि वह विभिन्न आरम्भिक कार्यवाहियां, जैसे गांवों के लिए आवास व्यवस्था, विभाग के लिए इंजीनियरों तथा कर्मचारियों की भरती, गांवों का चुनाव, चुने हुए गांवों का सामाजिक-आर्थिक सवक्षण, भौतिक सवक्षण तथा परिव्यय योजनाओं का तैयार करना, और मकानों के लिए नमूने के नक्शे तथा डिजाइन का तैयार करना व उन्हें छपाना, पूरी नहीं कर पाई थी । इस बीच राज्य सरकार ने ये आरम्भिक कार्यवाहियां पूरी कर ली हैं और आशा है कि वह शीघ्र ही योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर देगी ।

कताई के कारखाने

†२०४०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कताई के कितने छोटे कारखाने (३२ तकुये) चल रहे हैं;

(ख) क्या कारण है कि देश में मध्य वर्ग या मजदूर वर्ग के लोगों को ऐसी मशीनें किराये पर खरीद के आधार पर नहीं दी जाती जैसा कि मद्रास में किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में ऐसी मशीनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो कितनी;

(ङ) क्या यह सच है कि जापान ने अदला-बदली आधार पर ऐसी मशीनें देने का प्रस्ताव रखा है; और

(च) यदि हां, इस मामले में सरकार की क्या नीति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य में प्रयोगात्मक आधार पर ३० तकुये वाले १३ कारखानों की मंजूरी दी गयी थी ।

(ख) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) सरकार को पता नहीं है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाल फिल्म सोसाइटी

†२०४१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मि० इजरा मीर बाल फिल्म सोसाइटी के लिए "दी ब्वाय एण्ड दी पैरट" नाम की फिल्म बना रहे हैं; और

(ख) इस फिल्म के कब तक बन कर पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां

(ख) सितम्बर १९६२ के अन्त तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कत्थे के कारखाने

२०४२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में खैर अर्थात् कत्था बनाने के कितने कारखाने हैं जो विद्युत् अथवा वाष्प शक्ति द्वारा चलते हैं;

(ख) गृह उद्योग द्वारा कितना कत्था प्रति वर्ष तैयार किया जाता है; और

(ग) क्या इस समय कत्थे का निर्यात हो रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). इसकी ठीक-ठीक जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कत्था बनाने के कारखाने बहुत छोटे होते हैं और वे केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मांगते ।

(ग) जी, हां ।

कोयला खान क्षेत्र में स्थिति

†२०४३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजय सेकेन्ड कोलरी मजदूर संघ के महासचिव को गुंडों ने बुरी तरह से घायल कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल की कोयला पट्टी में इस प्रकार की गुंडागर्दी का बड़ा आतंक है;

(ग) यदि हां, तो वहां लोकतंत्रात्मक मजदूर संघ आन्दोलन का संगठन करने का प्रयत्न करने वालों की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी):** (क) अजय सेकेन्ड कोलरी की कोयला खान मजदूर सभा के शाखा सचिव को २२ जुलाई, १९६२ को कुछ व्यक्तियों ने मारा था; मामला न्याय निर्णयाधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आवश्यकता के अनुसार शान्ति और व्यवस्था रखने वाले अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

राज्यों में आवास योजनायें

†२०४४. **श्री अ० क० गोपालन:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प आय वर्ग के औद्योगिक मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के लिए क्या केन्द्रीय सरकार को उनकी आवश्यकता के ब्यौरे प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) और (ख). राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक मजदूर आवास योजना, अल्प-आय वर्ग आवास व्यवस्था और मध्यम

---

†मूल अंग्रेजी में

आय वर्ग आवास योजना के अधीन कुछ राज्यों की कुल आवश्यकता बताने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]

(ग) तीसरी योजना के उपबंधों के अलावा राज्यों की जरूरत जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली निधि, या अन्य राज्यों को की गयी आवण्टित राशियों में से होने वाली बचतों, आवास व्यवस्था के लिए योजना को आवण्टन बढ़ने से, यदि ऐसा करना सम्भव होगा, उपलब्ध राशि से पूरी की जायेगी ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

२०४५. **श्री उटिया :**
श्री मोहन नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और विभिन्न दूतावासों में कितने हरिजन और आदिवासी कर्मचारी इस समय हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी गैर-हरिजन और गैर-आदिवासी हैं ;

(ग) उनका क्रमशः वेतन-क्रम और काम क्या है; और

(घ) कितने हरिजन या आदिवासी विदेशों में भारत के राजदूत बनाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १२५ ।

(ख) ३१८४ ।

(ग) अनुसूचित जातियों और वर्गों के कर्मचारियों का वेतन-क्रम और कार्य-भार वही होता है जो कि उनकी श्रेणियों के अन्य कर्मचारियों का । पदों की श्रेणियों की एक सूची संलग्न है, जिसमें उनके कार्य-भार और वेतन-क्रम का भी संक्षिप्त व्यौरा दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]

(घ) इस समय एक राजदूत और एक प्रधान कोंसल अनुसूचित जाति के हैं ।

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़ों में वह सूचना शामिल नहीं है, जो इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बद्ध है, जैसे : क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोवा प्रशासन, पांडिचेरी प्रशासन, उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी और नागालैंड, अथवा विदेश-स्थित मिशनों के स्थानीय पद । इनसे सम्बद्ध सूचना प्रश्न की परिधि से बाहर जान पड़ती है ।

मोटर गाड़ी के कारखाने में श्रमिकों की मजूरी

†२०४६. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में मोटर गाड़ी आदि बनाने वाले उद्योगों में श्रमिकों की मजूरी के अन्तर के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मोटर गाड़ी कारखानों के श्रमिकों की मजूरी का प्रमापीकरण आवश्यक समझती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों की मजूरी का प्रमापीकरण करने के लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात का आयात

†२०४७. { **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में इस्पात के आयात के लिये प्रत्येक राज्य को अधिक से अधिक कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई;

(ख) विभिन्न राज्यों की अधिकतम सीमा किन आधारों पर नियत की गई; **और**

(ग) क्या पिछड़े हुए राज्यों को कोई प्राथमिकता दी गई थी जिस से कि उन क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९**]

प्रविधिक शिक्षण केन्द्र, कोटा के लिये भवन

२०४८. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्नीकल ट्रेनिंग सेंटर, स्टेशन रोड, कोटा का कार्यालय गत ७ साल से किराये के मकान में है;

(ख) इसको बनाने के लिये जमीन देने में क्या अड़चन है जब कि बिल्डिंग बनाने का रुपया मंजूर हो चुका है;

(ग) क्या कोटा कलक्टर ने इस ट्रेनिंग सेन्टर को जमीन बताई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। यह केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र में बनी अपनी इमारत में चलाया जा रहा है।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

नई दिल्ली की आरामबाग लन में क्वार्टर

†२०४९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि आरामबाग लेन में स्थित सरकारी क्वार्टरों के बरामदे वर्षा ऋतु में टपकते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि सम्बन्धित इन्क्वायरी आफिस में रिपोर्ट करने पर भी सम्बन्धित कर्मचारी तुरन्त तथा उपयुक्त कार्यवाही नहीं करते जिस से क्वार्टरों में रहने वालों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मामूली मरम्मत कर दी जाती है जो एक वर्षा में भी नहीं टिकती; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का स्थायी सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) से (घ). यह कहना ठीक न होगा कि शिकायत मिलने पर कार्यवाही नहीं की जाती । बल्कि यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही की जाती है । इन क्वार्टरों की टाइलों से बनी छतें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

आमों का निर्यात

†२०५०. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में आमों का कुल कितना निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था ; और

(ख) विदेशों, विशेषकर योरूप और उत्तरी अमरीका के देशों को आमों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क)

	मात्रा	मूल्य
१९६०–६१ . .	२०६४ टन	१६,३४,६७७ रुपये
१९६१–६२ . .	२१०९ टन	१९,०२,३८७ रुपये

(ख) आमों का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) ब्रिटेन और योरूप के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल ने विमान का माल भाड़ा कम कर दिया है ।

(२) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने फल अनुसन्धान प्रयोगशालाओं से प्रार्थना की है कि वह आम के बीज की वीबिल पर नियंत्रण के बारे में अनुसन्धान करें ।

(३) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, बंगलौर निर्यातकर्ताओं को आम के पकने और निर्यात की जाने वाली किस्मों के बारे में मंत्रणा देती है ।

मास्को में औद्योगिक प्रदर्शनी

†२०५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा अगली गर्मी के मौसम में मास्को में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अगले गर्मियों के मौसम में मास्को में एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

आकस्मिक श्रमिक रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना

†२०५२. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन हार्बर में आकस्मिक श्रमिक रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना सभी दलों द्वारा स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब लागू होगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) कोचीन गोदी श्रमिक (रोजगार का नियंत्रण) योजना, १९५९ की कार्यान्विति सम्बन्धी विवादग्रस्त विषय जून, १९६१ में औद्योगिक अभिकरण को सौंपे गये थे । यह पता चला है कि अधिकतर मामलों पर सम्बन्धित दल सहमत हो गये हैं और वे दल अभिकरण से प्रार्थना करेंगे कि वह समझौते के बारे में सम्मति पंचाट दे दे ।

(ख) अभिकरण का सम्मति पंचाट अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ढलाई के काम का प्रशिक्षण

†२०५३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईटूमनूर, केरल उत्पादन केन्द्र में ढलाई के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) . क विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) लघु उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों को ईटूमनूर के उत्पादन केन्द्र में ढलाई के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रशिक्षण काल छः मास है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ४० रुपये मासिक दिया जाता है । अब तक ४ कोर्स सम्पूर्ण हुए हैं जिनमें ४४ कामगर प्रशिक्षित किये गये हैं । इसी प्रकार के चार कोर्स, जिनमें से प्रत्येक में १० प्रशिक्षणार्थी होंगे, का कार्यक्रम बनाया गया है । इनमें से दो कोर्स चल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूती कपड़े का निर्यात

†२०५४. डा० रा० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन और उत्पादकों की सहायता से सूती कपड़े और सिले सिलाये कपड़ों के लिये नई मार्किटें ढूंढी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे नई मार्किटें कौन सी हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम कब से इन मार्किटों का उपयोग कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) जी०डी०आर०, यू०एस०एस० आर० और हंगरी और कनाडा ।

(ग) (एक) जी०डी०आर०—१९६० से ।

(दो) यू०एस०एस०आर०—नवम्बर, १९६१ से ।

(तीन) हंगरी—जनवरी, १९६१ से ।

(चार) कनाडा—फरवरी, १९६१ से ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†२०५५. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली में रखे गये सरकारी कर्मचारी नयी दिल्ली में जगह के अधिकारी नहीं होते यद्यपि उन्होंने नयी दिल्ली में जगह के लिए अपनी इच्छा प्रकट की हुई हो ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुरानी दिल्ली में १९६२ में कोई नये सरकारी क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो पिछले १० वर्षों में पुरानी दिल्ली में कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि नयी दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी को जिसने दिल्ली में नियुक्त किये गये कर्मचारी से कम सेवा की होती है, इसलिए क्वार्टर दे दिया जाता है कि वह नयी दिल्ली में नियुक्त होता है और नयी दिल्ली में क्वार्टरों की संख्या कहीं अधिक होती है और इस कारण पुराने दिल्ली के कर्मचारी को नुकसान होता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) साधारणतया यही नियम है । लेकिन पुरानी दिल्ली के पड़ोस में नयी दिल्ली के कुछ विशिष्ट इल्लाकों में क्लार्टर दिये जाने के लिए ऐसे पदाधिकारियों की मांग पर, उन पदाधिकारियों की मांग के साथ-साथ जिनका कर्त्तव्य स्थान नयी दिल्ली में हो, विचार किया जाता है ।

(ख) वर्तमान नियतन नियमों के अनुसार 'दिल्ली' और 'नयी दिल्ली' को अलग-अलग क्षेत्र माना जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). अभी हाल में तीमारपुर में ३६४ क्वार्टर बनाये गये हैं और ४४ क्वार्टर गिराये जाने के कारण हुई खाली जमीन में और १२० क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। जगह उपलब्ध होने पर और २३६ क्वार्टर बनाये जायेंगे। अहाता किदारा में ९९ मौजूदा क्वार्टरों की जगह पर २०० क्वार्टर बनाये जायेंगे।

(ङ) जी हां, सामान्यतया ऐसा ही है।

शिवराजपुर, गुजरात में मैंगनीज अयस्क खानें

†२०५६. **श्री द० ज० नायक :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवराजपुर (गुजरात) में मैंगनीज अयस्क खानें जनवरी, १९६२ से बंद कर दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उससे कुल कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या उनके बंद किये जाने के बारे में सरकार ने कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उनके बंद किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगय ने अभी हाल में मेंगनीज अयस्क खान खरीदी है ;

(च) यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा है ; और

(छ) उन खानों से संभवतः कब खनिज पदार्थ निकाले जायेंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जनवरी, १९६२ से शिवराजपुर सिन्डीकेट लिमिटेड ने अपनी पानी खानों में सभी कामकाज बंद कर दिये हैं और शिवराजपुर खानों में सभी भूमिगत कार्य (छोटे पैमाने पर पंप से पानी निकालने को छोड़कर) रोक दिये गये हैं।

(ख) एक हजार सात सौ।

(ग) भारतीय खान कार्यालय के निदेशक ने एक जांच की थी।

(घ) बंदी के कारण ये हैं :—

शिवराजपुर अयस्क की, जिसमें काफी प्रतिशत अशुद्ध खनिज होता है, मांग का कम होना, दुनिया में मैंगनीज अयस्क के व्यापार में मन्दी, दुनिया में इस्पात के उत्पादन में कमी, विदेशी प्रतियोगिता और उपभोक्ता क्षेत्रों के निकट नये खनन क्षेत्रों का विकास।

(ङ) जी हां।

(च) लगभग ४६,००० टन।

(छ) कोई संकेत देना संभव नहीं है।

टेरीलीन का निर्माण

†२०५७. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टरीलीन बनाने के लिये कोई लाइसेंस दिया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस कारखाने की क्षमता कितनी है और जिसे लाइसेंस दिया गया है उसका नाम क्या है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में टेरीलीन की कितनी आवश्यकता पड़ेगी और किन प्रयोजनों के लिये उसकी आवश्यकता होगी ; और

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सालाना ४५ लाख पौंड की क्षमता वाले, पोलीस्टर फाइबर तैयार करने वाले एक कारखाने की स्थापना के लिय मेसर्स आई० सी० आई० (इंडिया) लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

(ग) अनुमान है कि लगभग ८० लाख पौंड प्रतिवर्ष की आवश्यकता है । पोलीस्टर फाइबर ऊन और दूसरे रेशों की मिलावट से तैयार किया जाता है ।

(घ) लगभग सालाना २ से ३ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ।

गांवों में मकान बनाने की योजना

†२०५८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में मनीपुर के लिय गांवों में मकान बनाने की योजना के लिये दिये गये २ लाख रुपये की रकम डूब गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो वह रकम क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकी ; और

(ग) आगामी वर्षों में रकम के इस्तेमाल के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). गांवों के नक्शे तैयार करने और मकानों की डिजाइनों के नमूने तैयार करने के लिये आवश्यक पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के कारण मनीपुर पिछले दो वर्षों में दी गयी २.२५ लाख रुपये की रकम का उपयोग नहीं कर सका ।

(ग) अनुमान है कि प्रशासन चालू वर्ष में उपयुक्त तकनीकी कर्मचारियों की भरती कर सकेगा और चुने हुए गांवों में मकान बनाने के लिये ऋण मंजूर करना आरम्भ करेगा ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योग

†२०५९. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के संघीय राज्य क्षेत्र में (१) गैर-सरकारी क्षेत्र में और (२) सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग स्थापित किये गये ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने ऋण मंजूर किये गये और दिये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग चालू किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पताल

†२०६०. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अलग अस्पताल बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). अभी तक कोई अस्पताल नहीं बनाया गया है । फिर भी दो एनेक्सी [(१) इरविन अस्पताल में ५० सामान्य पलंग और (२) एस० जे० टी० बी० अस्पताल में ३० टी० बी० पलंग] बनायी गयी हैं । इसके अलावा, ६० पलंग (३० सामान्य, तीरथराम शाह अस्पताल में, और ३० टी० बी० पलंग टी० बी० अस्पताल, मेहरौली में) बीमाशुदा लोगों के इस्तेमाल के लिए ही रक्षित रखे गये हैं । चूंकि चिकित्सा आरम्भ में केवल बीमाशुदा लोगों के लिये ही रखी गयी थी इसलिये उस समय स्वीकृत स्तर पर यह व्यवस्था अपर्याप्त समझी गयी । अब इस बीच यह प्रस्ताव रखा गया है कि केवल बीमा शुदा लोगों और उनके परिवारों के उपयोग के लिये दो ई० एस० आई० अस्पताल (एक में ४०० सामान्य पलंग और दूसरे में २०० टी० बी० पलंग) बनाये जायें । इन अस्पतालों के लिये जमीन प्राप्त कर ली गयी है ।

कपड़े का निर्यात

†२०६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र के निर्यात के मामले में भारत को जापान और पाकिस्तान से सख्त मकाबला करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) निर्यात करने वाले अधिक लम्बे समय के लिये अपने निर्यात की आयोजना कर सकें इसके लिये यह घोषित किया गया है कि सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन योजनायें जिस रूप में अभी फिलहाल कार्यान्वित की जा रही हैं, उसी रूप में जारी रहेंगी । इन योजनाओं की समीक्षा भी की गयी गयी है और जहां आवश्यक है, उनमें सुधार भी किया गया है । बगैर रेशे वाले कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये नयी योजनाएं बनायी गयी हैं । प्रोत्साहन मांगने की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है । विशेषकर परिष्कृत देशों का उत्पादन बढ़ाने के लिये, कपड़ा मिलों को तीसरी

†मूल अंग्रेजी में

पंचवर्षीय योजना की अवधि में २५,००० स्वयंचालित करघों के लाइसेंस दिये जायेंगे बशर्ते कि ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जायगा ।

मैसूर राज्य में बेरोजगारी

†२०६२. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में शहरों में और देहातों में बेरोजगारी का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या पणिाम हैं ; और

(ग) इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी):** (क) मैसूर राज्य में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने चौदहवें दौर में मैसूर राज्य सहित विभिन्न राज्यों के शहरी और देहाती इलाकों में रोजगारी और बेरोजगारी की जांच की है ।

(ख) प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है ।

(ग) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं से, जिनमें ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम और ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम शामिल हैं, रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो जायेंगे जिनसे बेरोजगारी दूर हो सके ।

मैसूर राज्य म गृह निर्माण योजनायें

†२०६३. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिये दूसरी और तीसरी योजनाओं के लिये मैसूर सरकार को कितनी रकम दी गयी थी और उसमें से कितनी रकम राज्य सरकार ने वास्तव में खर्च की है ; और

(ख) १९६२–६३ के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) आवश्यक जानकारी दिखाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

(ख) अनुमान है कि "गृह निर्माण" सहित विभिन्न विकास शीर्षों के अधीन, वर्ष १९६२–६३ के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली रकमें शीघ्र ही निश्चित की जायेंगी ।

औद्योगिक बस्तियां

†२०६४. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हुबली और मैसूर राज्य की दूसरी ओर स्थापित औद्यगिक बस्तियों के विभिन्न औद्योगिक एककों में कच्चे माल की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). कच्चे माल की कोई सामान्य कमी नहीं है । इन एककों के सामने ऐसी कोई खा। कठिनाइयां नहीं हैं जो

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दूसरी जगह अन्य एककों के सामने न हों । छोटे पैमाने के उद्योगों के शीघ्र विकास के कारण कच्चे माल की मांग उपलब्ध सप्लाई से कहीं अधिक बढ़ रही है । मांग और पूर्ति का अन्तर इसलिये पूरा नहीं किया जा सका कि देश में कच्चा माल पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं है और आयात किये जाने वाले पदार्थों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की परिसीमाएं हैं ।

मैसूर में छोटे पैमाने के उद्योग

†२०६५. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त उद्योगों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । फिर भी राज्यों को वित्तीय सहायता देने के अलावा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के कामकाज में मुख्यतः सहायता देने के लिये इस क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारी संभाली है । उस के अनुसार भारत सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये तकनीकी और आर्थिक सेवायें प्रस्तुत करने के लिये बंगलौर में एक लघु उद्योग सेवाशाला स्थापित की है । यह संस्था छोटे उद्योगपतियों और राज्य सरकार को तकनीकी परामर्श सम्बन्धी सेवायें प्रस्तुत करती है ।

मैसूर राज्य में तीन केन्द्रों में निम्नलिखित प्रकार से विस्तार और सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं :—

(१) बेलगाम में मशीन शाप, फोर्जिंग एण्ड हीट ट्रीटमेंट सेन्टर ।

(२) खानापुर में बर्तन बनाने का केन्द्र ।

(३) मैसूर में मशीन शाप, फोर्जिंग एण्ड हीट ट्रीटमेंट सेन्टर ।

मैसूर राज्य में निम्नलिखित ७ स्थानों पर छोट पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये सघन विकास आन्दोलन आरम्भ किये गये हैं :—

(१) कोलार, (२) बीजापुर (३) चित्रदुर्ग, (४) मंडिया, (५) बंगलौर, (६) टुमकुर, (७) दोड्डाबल्लापुर ।

(ख) मैसूर राज्य में क्षेत्र के अनुसार और उद्योग के अनुसार सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ग) क्षेत्र के सर्वेक्षण में उस क्षेत्र के संसाधनों और मांग के ढांचे का सारांश तथा वर्तमान उद्योगों का विवेचनात्मक अध्ययन भी दिया गया है । प्रतिवेदनों में वर्तमान उद्योगों के विकास तथा सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के विकास की गुंजाइश के विस्तृत सुझाव दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

उद्योग के अनुसार सर्वेक्षणों में प्रादेशिक आधार पर या अखिल भारतीय आधार पर विशिष्ट उद्योगों संबंधी विस्तृत अध्ययन दिया हुआ है। इन प्रतिवेदनों में राज्य के उद्योग की समीक्षा दी हुई है और उद्योग के विकास के लिये सुझाव भी दिये हुए हैं।

मैसूर में हथकरघा उद्योग

†२०६६. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में हथकरघा उद्योगों का उत्पादन कितना रहा ; और

(ख) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर में हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये कितनी रकम दी गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) क्रमशः ३४.३६ लाख रुपया, १९५.९० लाख रुपया और २१० लाख रुपया।

राष्ट्रीय उत्पादन परिषद

†२०६७. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् विभिन्न राज्यों के मजदूर संघों में अपनी कार्यवाहियों को कहां तक लोकप्रिय कर सकी है और अब तक उस का क्या नतीजा निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : चारों केन्द्रीय मजदूर संघों अर्थात् इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि राष्ट्रीयता उत्पादकता परिषद के सामान्य निकाय और प्रशासी निकाय में होते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा स्थापित सभी ४४ स्थानीय उत्पादकता परिषदों में स्थानीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् और स्थानीय उत्पादकता परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाहियों में मजदूर संघ का सहयोग मांगा जाता है और सामान्यतया प्राप्त होता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों स श्रम विधियों का लागू किया जाना

†२०६८. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने इस बात पर आग्रह किया है कि उनके राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल राज्य विधियां ही लागू की जायें और केन्द्रीय विधान लागू न किया जाये;

(ख) इस मामले में श्रम मंत्रालय की नीति क्या है और क्या श्रम मंत्रालय की यह राय है कि विभिन्न संहिताओं के संबंध में सभी विधियां और अभिसमय केन्द्रीय क्षेत्र में अथवा राज्यों के क्षेत्र में सभी सरकारी उपक्रमों में समान रूप से लागू किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिये और उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह एकरूपता लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा है लेकिन राज्यों ने सामान्यतया इस सुझाव का विरोध किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध विनियमित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो और न कि राज्य सरकारों को ।

(ख) और (ग). विभिन्न श्रम विधियां और स्वीकृत संहितायें लागू करने के मामले में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में हों, या राज्यों के क्षेत्र में हों, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । श्रम विषयक मामलों के बारे में विधान और प्रशासनिक नीतियों के प्रश्नों पर चर्चा, आवश्यक होने पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में की जाती है । इस से आवश्यक परिमाण में एकरूपता सुनिश्चित होती है ।

निर्यात संवर्धन

†२०६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बम्बई में निर्यात संवर्धन सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिये सम्मेलन में क्या मुख्य-मुख्य सुझाव रखे गये; और

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जी हां । ९ अगस्त, १९६२ को भारतीय विदेशी व्यापार परिषद् के तत्वावधन में बम्बई में एक सम्मेलन किया गया था । यह सम्मेलन विचार विमर्श के लिये तथा निर्यात संवर्धन के लिये आवश्यक वातावरण तैयार करने के लिये आयोजित किया गया था ।

प्रादेशिक श्रम संस्थाएं

†२०७०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितना प्रादेशिक श्रम संस्थायें स्थापित की गयी हैं;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि और कोलम्बो आयोजना की सहायता से कानपुर, मद्रास और कलकत्ता में तीन प्रादेशिक श्रम संस्थायें स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन संस्थाओं के उद्देश्य और कार्य क्या हैं; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रयोजन के लिये कुछ धन खर्च करना पड़ेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) तीन ।

(ख) स्थायी इमारतों का निर्माण अभी पूरा न होने के कारण, ये संस्थायें मामूली तौर से किराये की इमारतों में स्थापित की गयी हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से लगभग १ लाख डालर के मूल्य का साज सामान अभी तक प्राप्त हुआ है । चार विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त हुई हैं । कोलम्बो

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोजना के अधीन प्रत्येक संस्था के लिये तकनीकी सहायता साज सामान के रूप में २,१०० पौंड की है। अधिकतर साज सामान प्राप्त हो चुका है।

सारा साज सामान इन संस्थाओं के विभिन्न अनुभागों की स्थापना के लिये काम में लाया जा रहा है।

(ग) यह संस्थायें श्रम तथा उस से सम्बद्ध समस्याओं के बारे में शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण की समन्वित योजना का एक अंग के रूप में और आयोजित कार्यक्रम के शीर्ष के रूप में काम करने वाली केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई के अधीन विभिन्न प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकतायें पूरी करने के लिये स्थापित की गयी हैं।

(घ) जी नहीं।

सीमेंट पाइप का कारखाना

२०७१. **श्री राम सेवक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः इंच की डायमीटर के सीमेंट के पाइप के कारखाने कितने और कहां हैं;

(ख) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार का एक कारखाना खोलने की योजना पर विचार कर रही है; और,

(ग) यदि हां, तो कहां और कब तक खुल जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री काननगो)**: (क) ११७। ये देश भर में निम्नलिखित राज्यों में बांटे गये हैं :—

आन्ध्र	९
आसाम	२
बिहार	१३
दिल्ली	२
गुजरात	२१
मद्रास	८
महाराष्ट्र	२४
मध्य प्रदेश	७
मैसूर	१०
उड़ीसा	२
पंजाब	४
राजस्थान	२
उत्तर प्रदेश	४
प० बंगाल	९
योग	११७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली, में भेजना

†२०७२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुई रोड पर सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले चतुर्थ श्रणी के सरकारी कर्मचारियों को रामकृष्णपुरम् (मुनीरका) नई दिल्ली में भेज दिया गया है और उन्हें दफ्तर आने के लिये डी० टी० यू० बसों और दूसरी सवारियों पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किसी प्रकार क्षतिपूर्ति देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) ६११ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पंचकुई रोड से हटा कर रामकृष्णपुरम् भेजा जा रहा है क्योंकि पंचकुई रोड के क्वार्टरों को गिराने के लिये उनकी आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) . उन्हें अन्य किसी सरकारी कर्मचारी की तरह सामान्य संग्रह से आवास स्थान दिया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र का कथित अतिक्रमण

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और मंत्री महोदय से उस पर एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं :

"२७ अगस्त, १९६२ को त्रिपुरा में पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: सरकार को २८ अगस्त, १९६२ को त्रिपुरा प्रशासन से यह सूचना मिली थी कि एक पाकिस्तानी विमान ने २७ अगस्त की सुबह को सबरूम और बलोनिया कस्बों के ऊपर भारतीय वायुक्षेत्र का उल्लंघन किया था । पहले वह विमान सबरूम के ऊपर उड़ा और उस ने ९.१५ और ९.२० बजे के बीच लगभग ३०० फीट की ऊंचाई पर पांच चक्कर लगाये ऐसा करते

---

†मूल अंग्रेजी में

समय विमान ने कुछ पर्चे भी गिराये । उसी दिन बाद में उसी रजिस्ट्रेशन नम्बर के विमान ने बेलोनिया कस्बे पर लगभग ६०० फीट की ऊंचाई पर उड़ान की और ९.५० तथा १०.०० बजे के बीच ३ चक्कर लगाये । वहां भी परचे गिराये गये । गिराये गये परचे पूर्वी पाकिस्तान के अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से सम्बन्धित थे ।

त्रिपुरा प्रशासन ने उसी दिन उन वायुक्षेत्र के उल्लंघनों के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान सरकार से जोरदार शिकायत की । परन्तु उस विरोध के सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । जिन दो स्थानों पर सीमा उल्लंघन हुआ उन पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा फेनी नदी द्वारा भली प्रकार निश्चित है । वे उल्लंघन अनजाने में नहीं हो सकते हैं ।

अगस्त के आरम्भ में महानिर्देशक असैनिक उड्डियान द्वारा त्रिपुरा प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि पाकिस्तानी विमान ३१ दिसम्बर, १९६२ को सीमा के निकट संयंत्र संरक्षण चालन आरम्भ करेंगे । जिस विमान न अतिक्रमण किया था वह अलग था । अधिक उपाजा प्रचार के विज्ञापनों का संबंध संयन्त्र संरक्षण चालन से थोड़ा ही हो सकता है । सरकार पाकिस्तान की सरकार से त्रिपुरा प्रशासन द्वारा भेजे गये विरोध पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है तथा उस के प्राप्त हो जाने पर ही अग्रेतर कार्यवाही का विचार किया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय वायुसीमा का जब इस प्रकार से किन्हीं दूसरे देशों के वायुयान आ कर अतिक्रमण करते हैं, या हमारे सैनिक संस्थानों का निरीक्षण करते हैं उस समय हमारी ओर से उन विमानों को गिराने के या वे इस प्रकार का अतिक्रिमण न करें, इस के सम्बन्ध में भी क्या कोई निश्चित नीति अब तक अपनाई गई है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं, पाकिस्तान के मामले में यह कहना कि विमान सैनिक था अथवा असैनिक, तनिक कठिन है । उन के सभी विमान वायु बल के अधीन हैं । वैसे साधारणणतः हम कह सकते है कि वह सैनिक विमान नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के अतिक्रमण करने वाले विमानों को गोली मार देने की है कि नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं कई बार कह चुका हूं, प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार की नीति विमानों को गोली मार कर गिरा देने की नहीं है यद्यपि वह वैसा कर सकती है ।

दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में दुर्घटना

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं श्रम तथा रोज़गार मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "२४ अगस्त, १९६२ को दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में हुई दुर्घटना जिसके फलस्वरूप ६ मजदूर मारे गये ।"

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : २४ अगस्त, १९६२ को "ईस्ट इंडियन कोल कम्पनी लिमिटेड" की दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में सुबह ११.४५ बजे एक दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप खान में काम में लगे हुए ६ मजदूर मर गये । वह कोयला खान बिहार के धनबाद जिले में स्थित है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हाथी]

खनिकों का एक दल धवन कोयला लाद रहे थे, जब कि छत्त से भारी कोयला उन पर गिरा जिससे छः व्यक्ति जल गये। चार व्यक्ति तो वहीं पर तुरन्त मर गये और दो सात घंटे के बाद मरे, यद्यपि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। लगभग ५०० व्यक्ति खान में काम कर रहे थे।

मुख्य खान निरीक्षक उसी समय घटनास्थल पर पहुंचे और अतिरिक्त मुख्य खान निरीक्षक उस दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर रहे हैं। मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिया जा रहा है।

प्रारम्भिक जांच से ऐसा मालूम होता है कि 'डिपलरिंग' क्षेत्र में छत्त को पर्याप्त सहारा न मिलने के कारण यह दुर्घटना हुई। लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जांच अधिकारी का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा और इस दृष्टि से समुचित कार्यवाही की जायेगी कि आगे से इस प्रकार की घटनायें न हों।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य नहीं कि एक ही प्रकार की दुर्घटना से १६ व्यक्ति मर गये। इसे देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

†**श्री हाथी** : सरकार निरीक्षण पर अधिक नियंत्रण रखने और श्रमिकों को सुरक्षा उपायों की शिक्षा देने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् की स्थापना कर रही है। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि निरीक्षकों की संख्या बढ़ा दी जाय।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कतरन (स्क्रैप) सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, १९६२

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

१. कतरन (स्क्रैप) सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, १९६२

२. दिनांक २७ अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या एस सी (बी)-२०(२)/६२ जिसमें उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय दर्ज हैं। **पुस्तकालय में रखी गई। [देखिये सख्या एल० टी-३८६/६२]**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे (फ़र्रुखाबाद)** : मैं सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल जी में

तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर में शुद्धि

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: २२ जून, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने भल से प्रसारित की जाने वाली भाषाओं में 'जर्मन' का भी नाम ले लिया था। अखिल भारतीय आकाशवाणी में 'जर्मन' भाषा के प्रसारण की कोई व्यवस्था नहीं ।

संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक

†**गृह कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ तथा अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अर्जनों को वैध करने के लिए अधिनियम में अग्रेतर संशोधनकरने वाले विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे। क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : प्राय: माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि अच्छी कृषि योग्य भूमि का अर्जन नहीं किया जाना चाहिए। इससे कृषि उत्पादन को भारी हानि होगी। यह बात हमें स्वीकार है कि यह नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

बात यह कही गयी है कि विधेयक का दुरुपयोग किया जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर सभा में जो विचार व्यक्त किये गये हैं तथा माननीय सदस्यों ने किसानों के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया गया है, उसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि नियम बनाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनिवार्य अर्जन तभी किया जायेगा जब कि सरकार को ऐसे कदम उठाना बहुत ही जरूरी हो जायेगा। और इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहेगा। सरकार तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि वह सन्तुष्ट न हो जाय कि भूमि के मालिक को अपनी सम्पत्ति छोड़ देने के लिए तैयार करने के लिए समस्त उचित साधनों को अपनाया जा चुका है। और यह भी देखा जा चुका है कि प्रस्तावित मूल्य परिस्थितियों के अनुसार उचित है। सरकार इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगी कि उपयोगी एवं मूल्यवान कृषि भूमि, जिसके अर्जन से उत्पादन अथवा अच्छी खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्जन से मुक्त रखी जायेगी, जब तक कि वह अपरिहार्य न हो। जो नियम बनाये जायेंगे वे भी सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। इसके लिए एक संशोधन स्वीकार करने का निर्णय कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त इस पर भी बड़ा गर्म विवाद हुआ कि अनुच्छेद १९(५) के शब्द लिये जायें अथवा अनुच्छेद ३१ के। मेरे विचार में तो उन में कोई विशेष अन्तर नहीं। परन्तु माननीय सदस्य इस मामले में बहुत दृढ़ दिखाई देते थे। अतः जहां तक खंड २ का प्रश्न है। सरकार अपने पहले संशोधन को संशोधित करने के लिए तैयार है। इस में "जन साधारण के हित में" शब्दों के स्थान पर "सार्वजनिक प्रयोजन के लिए" शब्द रख दिये जायेंगे।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : माननीय मंत्री महोदय के भाषण तथा संशोधन से स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। भूमि का अर्जन अनिवार्य है। भारत का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का सही मानों में विकास हो तो वृहद् तौर पर भूमि अर्जन अनिवार्य है।

मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि भूमि का अर्जन करते समय बाज़ार भाव पर उस का मूल्य दिया जाये क्योंकि इससे सटटेबाज़ी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे यहां बहुत से लोगों ने भूमि खरीद रखी है और अब वे अधिक दामों पर बेचना चाहते हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दे दिया है कि कृषि वाली भूमि को बिल्कुल ही अन्त में लिया जायेगा। लेकिन मेरे विचार में यह आश्वासन पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि विकासशील शहरों के चारों ओर कृषि वाली भूमि है जिसका अर्जन अनिवार्य है। फिर भी आशा है कि राज्य सरकारों को यह आदेश दिया जायेगा कि कृषि वाली भूमि को तभी लिया जाये जबकि उनके पास कोई दूसरा चारा न रहे।

एक किसान की भूमि लेते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। एक तो यह कि जिसकी भूमि ली गई है उसे उसकी सुविधानुसार दूसरे स्थान पर अच्छी तरह बसा दिया गया है। दूसरे यह ध्यान रखना चाहिये कि उन कृषि श्रमिकों को शहरों के निकट ही बसाया जाये क्योंकि यदि वे दूर बसाये गये तो उनकी जीविका का साधन समाप्त हो जायेगा। क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उसकी सुरक्षा करे। यह अच्छी बात है कि जो संशोधन यहां रखा जा रहा है वह स्वीकार हो जायेगा। यह संशोधन समाज के हित में है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : माननीय मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि भूमि अर्जन विधेयक में संशोधन किया जाये ।

मूल अधिनियम तथा इस संशोधन अधिनियम का अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि न्यायपालिका देश की प्रगति के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रही है ।

आदिवासी और गरीब किसानों का चित्रण करना तो बड़ा आसान है लेकिन उनकी भूमि का अर्जन करते समय स्थिति का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये । वे लोग अपनी भूमि देने में संकोच करते हैं । वे आगे बढ़ने के लिये तयार नहीं होते । रूरकेला में जब इस्पात कारखाना बनाने की बात उठी तो वहां के लोगों ने आपत्ति की और अब भी वे उत्साह प्रकट नहीं कर रहे हैं । इसलिये हमें वामपक्षी लोगों के तर्कों को विशेष महत्व नहीं देना चाहिये ।

आज हम उद्योगों को विशेष महत्व दे रहे हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अर्जित की जाने वाली भमि के बारे में एक व्यापक विधान प्रस्तुत करें। वर्तमान विधेयक से समस्या का समाधान नहीं होगा।

यह डर ठीक है कि उद्योगों के सुयोजित विकास के लिये यह कठिन हो जायेगा और समवायों के लिये भूतकाल में ली गई भूमि के बारे में न्यायालय में प्रश्न उठाये जायें। तथा पुराने मालिक भूमि के मुआवजे के लिये मांग करें। मुकदमेबाजी की संभावना अधिक बढ़ जाती है ।

जहां तक खंड २ की बात है मेरा एक सुझाव यह है कि लोगों को यह धारणा नहीं बनानी चाहिये कि हम जो कुछ यहां कर रहे हैं वह सब जल्दी में कर रहे हैं। यह ठीक है कि अब तक जो काम हुआ है वह तदर्थ काम हुआ है और यही कारण है कि बार बार संशोधन करने पड़े हैं। बार बार संशोधन करने की बात गलत है। दीर्घकालीन नीति बनाने के मामले में इस प्रकार का कार्य करना गलत है ।

गैर-सरकारी छोटे समवायों को इस विधेयक के अधिकार से अलग करने की बात समझ में नहीं आई ।

नियमों के बारे में श्री कामत ने जो अपना संशोधन रखा है उसे भी स्वीकार किया जानना चाहिये ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : इस संशोधन विधेयक के आ जाने से मूल अधिनियम कुछ संतोषजनक हो गया है । सभा का तात्पर्य "प्राइवेट" कम्पनी के विरुद्ध नहीं है वरन् निजी मालकियत वाली कम्पनी के विरुद्ध है। दोनों में अन्तर है। "प्राइवेट" कम्पनी के सम्बन्धमें रखी गई छूट का छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। खंड २ में "सार्वजनिक प्रयोजन" शब्द रखने का जो नया संशोधन प्रस्तावित किया गया है वह "सार्वजनिक हित—से अधिक निश्चित है। उस से अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है ।

बुनियादी इतराज अभी भी है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आप भूमि ग्रहण करें और गैर-सरकारी कम्पनी को दे दें, यह आपत्तिजनक है। इस से आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं; एक ओर तो आप सार्वजनिक प्रयोजन को लाते हैं; दूसरी ओर आप सार्वजनिक प्रयोजन के विचार को

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दाजी]

यह कह कर परिसीमित करते हैं कि भूमि को गैर सरकारी कम्पनी को देने से यह पूरा हो जाएगा। अनुच्छेद ३१ यह इजाजत नहीं देता कि भूमि को प्राप्त करके किसी गैर कम्पनी को दिया जाए।

कई बड़ी सहकारी समितियां हैं। उन के नाम पर बड़े व्यापारी भूमि का लाभ उठाते हैं।

इसलिए मैं कहता हूं कि जो सुधार किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। हम ऐसा कानून बना रहे हैं जिस से आप एक हाथ से वह ले रहे हैं जो आप इसी हाथ में से दे रहे हैं। अतः हम अपने संशोधन काटते हैं। या तो इन संशोधनों को मान लेना चाहिये या श्री त्यागी या श्रीमती रेणुकाराय के नाम इन संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : संशोधन क्या कहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने दफ्तर को उन्हें बांटने के लिए कह दिया है।

श्री इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है उस से पोजीशन बहुत कुछ ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह कहा जाय कि लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट में जो भी कमियां थीं वे उससे बिल्कुल दूर हो जायेंगी, तो यह ठीक नहीं होगा। वह तो तभी दूर होंगी जब दुबारा सुधारों के साथ यह ऐक्ट बनेगा।

मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह एक खास किस्म की बात है। इस हाउस में जो बहुत से मेम्बरान हैं उन को हमारे साथ यहां जो सर्कम्स्टान्सेज हैं, जो हालात हैं उन का पूरा पता नहीं है। इस बिल की तहत जो ज़मीन आप लेंगे वह किसी भी काम के लिये ली जा सकती है और कोई भी ज़मीन ली जा सकती है। हर एक चीज को इस में इन्क्लूड कर लिया गया है। लेकिन यहां पर बहुत सी रिफ्यूजी लैंड्स हैं जिन पर पाकिस्तान से आये हुए आदमी बैठे हैं। उन्हें १९५५–५६ तक उस जमीन पर हक नहीं मिला। उस के बाद जब उन्हें हक मिला भी तो किसी किसी गांव में उन की जमीनों की वैल्यु ठीक नहीं लगाई गई, उन की ज़मीने ट्रांस्फर नहीं हुई। इस तरह के केसेज एक नहीं, हजारों हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप गवर्नमेंट की किसी कम्पनी के लिये या किसी कैनाल के लिये जमीन लेते हैं और उस में दो गांवों की जमीनें शामिल होती हैं तो ऐक्वायर करने के बाद अब आप जमीनों की कीमत निकालते हैं तो एक गांव में तो १,५०० रु० फी एकड़ कीमत निकालते हैं लेकिन दूसरे गांव में जो कि पहली जमीन के साथ की जमीन लगती है, जिस पर रिफ्यूजी भाइयों का कब्जा है जो कि पाकिस्तान से आये हैं और जिनको इस लिए उस पर पहले हक नहीं मिला कि गवर्नमेंट ने सन् १९५४–५५ में ऐक्ट पास किया, उसकी कीमत ५०० रु० फी एकड़ लगाते हैं। इस की वजह यह है कि उस का वैलुएशन पांच साल की वैल्यू के औसत वैल्यू पर किया जाता है और वह ५०० रु० एकड़ ही आता है। माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि वे रूल्स बनायेंगे। मैं चाहता हूं कि रूल्स बनाते वक्त वे इस बात का ध्यान रक्खें कि जो जमीन रिफ्यूजी भाइयों की है, जो उन भाइयों की है जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं और जिनकी जमीन की वैल्यु उन लोगों की जमीन की वैल्यु के बराबर नहीं आ सकती जो कि यहां के रहने वाले हैं और जिन को हक था कि वे अपनी जमीनों को बेचें या कुछ भी करें, उन के साथ न्याय किया जाय,। रिफ्यूजी भाइयों की जमीन की कीमत इस लिये ज्यादा नहीं आ सकती कि वैलुएशन होते समय इस बात का ख्याल रक्खा जाता है कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुआ है उस वक्त कीमत कितनी थी और आज कल मार्केट प्राइस कितनी है। वह दोनों बराबर नहीं आ सकती। इस सिलसिले में मेरा यह कहना है कि जब आप रूल्स बनायेंगे तो

†मूल अंग्रेजी में

कम से कम इस ढंग से चीजों को प्रोवाइड करें कि भाइयों की जो जमीनें हैं उन की कीमत ठीक आ जाय। उन की कीमतें दूसरों के बराबर आ जांये ।

मेरा अपना तजुर्बा है कि जब राजस्थान कैनाल के लिये जमीन ऐक्वायर की गई तब यह कह कर ऐक्वायर की गई कि पब्लिक परपज के लिये आप ऐक्वायर कर रहे हैं। वहां पर जो लोकल आदमी का गांव था उस की कीमत २,००० रु० फी एकड़ हुई और जो पाकिस्तान से आये हुए भाई का गांव था उस की कीमत ५०० रु० फी एकड़ हुई । उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन उस के बाद भी उन की जमीनों की कीमतें नहीं बढ़ सकीं। वहां पर कहा जाता है उन से कि रूल्स में कुछ नहीं है, ऐक्ट में कुछ नहीं है, यह प्रोवाइड नहीं किया गया है कि दूसरे गांव में जा कर लोग वहां की जमीनों की मार्केट वेल्यू को असैस कर सकें। इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद एक आदमी की जमीन तो ५०० रु० में ली गई, और दूसरे आदमी की जमीन, जो बिल्कुल पहली जमीन के साथ लगी हुई है, १५०० रु० में या २००० रु० में ली गई। वजह यही थी कि दूसरे गांव की रजिस्ट्रियां हुई थीं और पहले गांव की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थीं जिस की वजह से वहां के लोगों का गांव पर अधिकार नहीं था।

एक बात और है। पंजाब में जमीनों का परमानेन्ट और क्वासी परमानेन्ट अलाटमेंट होता है। इस सिलसिले में इस ऐक्ट में कोई चीज नहीं रक्खी गई है। एक आदमी जो पन्द्रह सालों तक जमीन पर बैठा रहा उस को वह अलाट होने वाली है, उस को उस का हक है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई आदमी आ कर कहता है कि यह जमीन उसे चाहिये फलां स्कूल के लिये या फलां काम के लिये, और उस की जमीन है उसे उस को देना होगा । उस को कोई हक नहीं कि वह न दे। नतीजा यह होता है कि वह वहां से चला जाता है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक परपज के लिये जमीन न मांगती तो जमीन उस की थी। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उस ने वहां पर कोई ट्यूबवैल वगैरह लगवाया हो, यह भी मुमकिन हो कि उस ने वहां पर कोई इम्प्रूवमेंट किया हो क्योंकि वहां वह पन्द्रह साल से बैठा है और उसे यह पता है कि उसकी जमीन उस की है और **अकार्डिंग टु रिहैबिलिटेशन एक्ट** जमीन उसे मिलेगी । उसका राइट पहला है, लेकिन चूंकि वह राइट ऐक्विजिशन एक्ट की जद में आ गया है, इसलिये उस का राइट नहीं रह गया । इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। हालांकि जमीन बहुत अच्छी है लेकिन चूकीं उस जमीन पर उस आदमी का राइट नहीं रह गया, इस लिये न तो उस को कम्पेन्सेशन मिलता है और न जमीन मिलती है। उसे उठा कर फैंक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम तो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के पास जाओ। अगर और जगह पर जमीन होगी तो तुम को मिल जायेगी वर्ना नहीं मिलेगी। यह ज़मीन तो वापस नहीं मिलेगी । उस जमीन पर उस का जो मामूली सा हक भी था, जो कि उस को मिलनी चाहिये थी, गवर्नमेंट के उस को ऐक्विजिशन करने के बाद वह खत्म हो गया ।

तीसरी बात यह है कि इस ऐक्ट के रूल्स के मातहत अगर कोई आदमी जमीन ऐक्वायर करने के बाद जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है उस के लिये "अन्डर प्रोटेस्ट" न लिखे तो उस का कम्पेन्सेशन इन्क्रीज नहीं हो सकता। यह बात शहरों के लिये एक बार ठीक भी हो सकती है जहां पर कि लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कीमतें प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिये ली जाती हैं उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये । वहां पर एक दो नहीं, हजारों लोगों का सवाल है, जिन को यह भी पता नहीं है कि कम्पेन्सेशन लेते वक्त "अन्डर प्रोटेस्ट" लिखना है। वे नहीं जानते कि पब्लिक परपज क्या होता है और क्या नहीं होता है, न उन को यही मालूम है कि उन की जमीन का वैलुएशन कभी भी बढ़ सकता है। इस ऐक्ट के रूल्स के मातहत अगर वे लोग नहीं लिखेंगे कि जो कम्पेन्सेशन उन्होंने लिया है वह "अन्डर प्रोटेस्ट' लिया है, उसे उसे वह खुशी से नहीं लेते हैं, तब तक उस की वैल्यु नहीं बढ़ सकती । मैं अपने तजुर्बे

[श्री इकबाल सिंह]

से कहता हूं कि राजस्थान केनाल के लिये २ लाख एकड़ जमीन ली गई । एक आदमी को कम्पेन्सेशन में ५०० रु० फी एकड़ इस लिये बाद में और मिल गया कि उस ने कम्पेन्सेशन लेते वक्त लिख दिया था कि वह "अन्डर प्रोटेस्ट" ले रहा है । एक आदमी ने उस वक्त "अन्डर प्रोटेस्ट" नहीं लिखा था। हालांकि दोनों की जमीन एक साथ ही थी, एक ही तरह की जमीन थी, एक तरह के दोनों में खेत थे लेकिन एक आदमी को ५०० रु० फी एकड़ इसलिये बाद में मिल गये कि किसी ने उस से कह दिया था कि जब कम्पेन्सेशन दिया जाय तो तुम लिख देना कि मैं कम्पेन्सेशन खुशी से नहीं लेता । दूसरे आदमी को इस लिये नहीं दिया गया कि उस ने नहीं लिखा । इस लिये मैं चाहता हूं कि यह लैंड एक्विजिशन का मसला है उस में आप चाहे किसी ढंग पर ज़मीन को लीजिए लेकिन जब कम्पेन्सेशन देने का सवाल आये तो जस्टिफाइड तौर पर सब को बराबर का कम्पेन्सेशन दिया जाय ।

यह जो तीन प्वाइंट्स मेरे हैं, खास तौर से उन भाइयों को जिन को जमीन पर हक नहीं मिला था, उन्हें जमीन की कीमत पूरी मिलनी चाहिये, उन पर विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (महासमन्द) : सार्वजनिक प्रयोजन और सार्वजनिक हित का क्या अर्थ है यह मामला इस विधेयक में विवादास्पद बात है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक अच्छा प्राधिकार किसी संस्था को नहीं है।

यह तर्क समझ में नहीं आता कि इस शक्ति के बिना देश के औद्योगिक विकास को हानि पहुंचेगी। जो बड़े उद्योग हैं उन में भूमि खरीदने की क्षमता है।

सहकारी समितियों को ऐसी परियोजनाएं मान लेना चाहिए जिन के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता। इस विधेयक का लाभ सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और सहकारी समितियों को होना चाहिये। जनता के उद्योग जो कि गैर-सरकारी नियन्त्रण में हैं उन्हें लाभ नहीं होना चाहिये।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर——मध्य दक्षिण) : डा० राम सुभग सिंह के संशोधन ऐसे हैं जिन्हें सदन का समर्थन मिलना चाहिए।

हमें यह समझ में नहीं आता कि सरकारी और गैर-सरकारी समवायों में क्यों मतभेद किया जाए।

सरकारी और गैर-सरकारी समवायों में मतभेद नहीं होना चाहिए। गैर-सरकारी समवायों के पास कम धन है। इस विधेयक के उपबन्धों को रखने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक में जो सुधार किया गया है और जिन की कि घोषणा अभी मंत्री महोदय ने की है वे स्वागत योग्य हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा तो कहना है कि क्लाजेज की शब्दावलि में सुधार के बाद सुधार किये जाने से ही काम चलने वाला नहीं है उस से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस विधेयक पर अमल कैसे होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर द्वारा जो ज़मीनें ली जाती हैं तो उस के बारे में लोगों को शक रहता है क्योंकि प्राइवेट सैक्टर के बहुत से आदमियों की नीयत शुद्ध नहीं होती है। जब किसी पूंजीपति या उद्योगपति को कोई कारखाना लगाना होता है तो उस की इच्छा ज्यादातर आसपास के गरीब आदमियों की जमीनें लेने की होती है। वह जानता है कि गरीब आदमी लड़ेगा नहीं और उस को जो कीमत दी जायगी वह ले लेगा। जो सरकारी अफसरान हैं वह भी बड़े आदमयों की जमीन की तरफ नजर नहीं डालते हैं और वे भी गरीब आदमियों की जमीनों की तरफ नजर लगाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस में संशोधन भले ही कितने कर दें लेकिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो जाकर स्टेट्स में होगा। स्टेट में जो लैंड ऐक्वीजीशन आफिसर होता है उस की नीयत पर और उस की कार्यवाही पर सारी बातें निर्भर करती हैं।

सन् १९३५ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट जब आया तो सारे देश के कितने बड़े बड़े वकील थे उन्होंने अपनी अपनी राय उस पर दी। गांधी जी ने वकालत तो पढ़ी थी लेकिन छोड़ दी थी उन्होंने अंग्रेजों से सिर्फ एक लफज कहा कि तुम हमारे मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दो। जितने भी बड़े बड़े वकील थे वे गांधी जी के उस बयान पर दंग रह गये। गांधी जी ने उस किताब को पढ़ा नहीं था लेकिन उन्होंने कितनी सही बात कही थी। जरूरत इस बात की है कि कानून पर कैसे अमल होता है और कैसे अमल होना चाहिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कानून पर ठीक से अमल हो इस के लिए सरकार को रूल्स बनाने चाहिए और जरूरी हिदायतें देनी चाहिएं।

मैं अपने अनुभव से बतलाना चाहता हूं कि जो ब्लौक की जमीनें ली जाती हैं, आजकल सरकार सड़कें बनाने के लिए जो ज़मीनें लेती है तो वह गरीबों की ही जमीनें लेती है। इस के विपरीत बड़े बड़े आदमी जिनके कि पास ५ एकड़, १८ एकड़ और २० एकड़ जमीन होती है उनको सरकार नहीं लेती है। गरीब आदमियों की जो कि १०–५ कट्ठा जमीन रखते हैं उन की ही जमीन सरकार ले लेती है क्योंकि वह जानती है कि गरीब की जमीन ले लो वह मुकदमा तो लड़ेगा नहीं। जमीन का मुआविजा भी उन गरीबों को पूरा और उचित नहीं दिया जाता है। जो कम से कम रजिस्टर्ड डीड वाली जमीन होती है उस के आधार पर जमीन की कीमत लगा लेते हैं। इसलिए किसानों में इस की वजह से घबड़ाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे डा० राम सुभग सिंह जोकि गांव के रहने वाले हैं और पाटिल साहब जोकि शहर के रहने वाले हैं वे दोनों मिनिस्टर्स आपस में मिल कर और सलाह कर के ऐसा हिदायतनामा दें ताकि आज गांवों और शहरों में गरीब किसानों के साथ जो नाजायज बर्ताव होता है और अन्याय होता है वह भविष्य में न होने पाये।

अभी एक भाई ने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े जज बैठते हैं, धनी मानी होते हैं, ५, ५ हजार और ७, ७ हजार जिनकी तनख्वाह होती है। गरीबों के लिए उन के दिल में कोई दर्द नहीं होता है.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गरीबों की जैसी दुर्दशा हो रही है उस को देखते हुए कहे बगैर नहीं रहा जाता।

अध्यक्ष महोदय : वे बातें जिनके कि कहे बगैर न रहा जाता हो लेकिन अगर कानून इजाजत नहीं देता तो उनको नहीं कहना चाहिए। अब यह बात नहीं कहनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज बहुत तनख्वाह लेते हैं और गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मेरा तो कहना यही है कि गरीबों के साथ होने वाला अन्याय बंद होना चाहिए और उन की रक्षा करनी चाहिए।

इस बिल को ध्यान से पढ़ने से आपको विदित हो जायगा कि इस बिल की मंशा और मकसद तभी सही तौर से पूरा हो सकेगा जबकि जिन पर इस कानून को अमल में लाने का भार पड़ेगा वे इसको ठीक से अमल में लायेंगे। अगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो इस बिल का मंशा पूरा नहीं होगा।

हमारी सरकार को उचित था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ के संशोधनार्थ खूब सोच विचार कर एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाती। इस तरह से पीस मील टुकड़े टुकड़े कर के सुधार लाने और संशोधन करने से लोगों के मन में शक होता है कि इतना ही अंश क्यों लाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब एक कम्प्रीहैंसिव अमेंडमेंट बिल लायें और सब बातों पर विचार करके एक ऐसा कानून बनाया जाय जोकि लोगों के हित में हो।

इस के साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि इस के सम्बन्ध में जो रूल्स बनें वे टेबुल पर रखने के साथ ही लोगों को उन पर विचार करने का काफी मौका लेना चाहिए। एक महीना यहां पर रहते हैं तो हो सकता है कि एक महीने में हमको मौका न मिले। इसलिए जो नियम बनें उन पर हमें दो, तीन महीने का समय देना चाहिए ताकि हम लोग उन को पूरी तरह से पढ़ सकें और देख सकें। अध्यक्ष महोदय सरीखे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ वकील हैं उन से भी हम राय लें कि यह जो रूल्स बने हैं यह किसानों के हित में हैं या अहित में हैं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह कि हम 'सार्वजनिक हित' की क्या परिभाषा देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भूमि ली जाए तो भूमि के मूलस्वामी को प्रतिकर के रूप में क्या मिलता है। बहुत माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि 'सार्वजनिक प्रयोजन' शब्द की परिभाषा बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार होनी चाहिए। कोई भूमि नहीं ली जानी चाहिए जहां कि किसी व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का हित हो।

जब कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली जाए तो उस का मूल्य बढ़ जाता है। मूलस्वामी को प्रतिकर के अतिरिक्त भूमि की बढ़ी हुई कीमतों का भी कुछ अंश मिलना चाहिए। सरकारी समवायों के सम्बन्ध में जहां उन्हें बहुत लाभ होता हो, मूलस्वामी को बाद में भी कुछ अंश मिलना चाहिए।

सरकारी समवायों के सम्बध में भूमि के मूल्य का इस प्रकार से हिसाब लगाना चाहिए कि मूलस्वामी को उस का कुछ भाग मिले।

मान लीजिए कि समवाय का अधिग्रहण हो जाता है और उसे भूमि बेचनी पड़ती है। उस समय मूलस्वामि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अधिग्रहण होने पर भूमि या

---

†मूल अंग्रेजी में

तो बेचनी पड़ेगी या स्थानान्तरित करनी होगी। यह नहीं पता कि क्या यह सरकार को वापिस दी जाएगी या मूलस्वामि को। इस की व्यवस्था नियमों में करनी चाहिए. मूलस्वामी को उस का उचित भाग मिलना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं खण्ड २ को २.३० बजे मतदान के लिए रखूंगा और खण्ड ३ को ४ बजे। शेष ५ बजे तक समाप्त कर दिया जाएगा।

†**श्री राधेलाल व्यास** : दोनों पर चर्चा इकटठी कर ली जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खण्ड २ और ३ को ४ बजे इकट्ठी मतदान के लिए रख दिया जाए।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, महदाश्चर्यमेतत्तु यत्कृषिरक्षको मन्त्री महाशय उद्योगव्याजेन अन्नदात्रीं भूमि विक्रीणति। कितना आश्चर्य है कि जो कृषि की उत्पादन-शक्ति का उत्तरदायित्व लिये हुये मंत्री महाशय हैं, वह अन्न देने वाली भूमि को दूसरों को देने के लिये इतने उतावले हो रहे हैं।

इस समय हमारे देश में एक जन-राज्य है। हम पहले की एक मामूली सी कथा सुनते हैं कि किसी राजा को अपना भवन बनवाने की आवश्यकता पड़ी और उस स्थान पर एक साधु का भूमि का थोड़ा सा टुकड़ा आ गया, जो कि उस ने देना नहीं चाहा। तब उस राजा ने ज़बर्दस्ती उस भूमि के टुकड़े को नहीं लिया, बल्कि अपना भवन टेढ़ा-मेढ़ा बनवा लिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि भूमि की आवश्यकता पड़ने पर ८२ प्रतिशत जनता के अधिकारों को १८ प्रतिशत लोगों के लिये कुचला जा रहा है। इस से बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है ?

माननीय सदस्य, श्री विद्यालंकार, ने कहा कि जिन लोगों की भूमि ली जाये, वहां पर एक को-आपरेटिव सोसायटी बना कर उस में उन का कुछ भाग रख दिया जाये। किन्तु यदि वह को-आपरेटिव सोसायटी लिक्विडेशन में चली गई, तो उन लोगों के अधिकार भी ख़त्म हो जायेंगे। तब उनके अधिकारों का क्या बनेगा ?

जहां तक राष्ट्र-हित के कार्य के लिये भूमि लेने का प्रश्न है, भूमि की तो बात क्या है, अगर प्राण भी ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिस से कोई भूमि ली जाये, उस को उस भूमि के मुंहमांगे दाम दिये जाने चाहियें।

श्री त्यागी (देहरादून) : तब तो यह प्राविज़न बड़ा सख्त हो जायगा। वह बहुत ज्यादा दाम मांग लेगा।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : अगर मांग लेगा, तो कोई बात नहीं है। यह उस की चीज़ है और उस को अधिकार है अपनी इच्छानुसार दाम मांगने का।

क्या आप ने मंडी में देखा कि किसान अन्न की गाड़ी भर कर बेचने के लिये मंडी में ले जाता है, तो दलाल ही उस अन्न का भाव लगाते हैं और किसान को कुछ पता नहीं होता। दूसरे लोगों के द्वारा उन्हीं की चीज़ का भाव लगाया जाता है, जो कि मर गए हों। आज किसान को मरा हुआ समझा जा रहा है और दूसरे लोग उस की चीज़ पर भाव लगाते हैं। हम देखते हैं कि मालगुजारी का बीस गुना देकर किसानों की ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है, जो कि बहुत थोड़ी रकम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

अगर मंत्री महोदय को ज़मीन चाहिये, तो वह चम्बल नदी की घाटियों की ज़मीन को क्यों नहीं लेते ? वहां पर कई सालों से डाकुओं की समस्या चारों ओर की राज्य सरकारों के लिये सिर-दर्द बनी हुई है । अगर उस जमीन को ले लिया जाय, तो वह समस्या भी हल हो जायगी और अन्न पैदा करने वाली और शक्ति देने वाली किसानों की भूमि भी नष्ट नहीं होगी । वहां कोई कुछ नहीं मांगता है । वहां की ज़मीन को समतल किया जा सकता है । वहां पानी भी मिलेगा और बिजली की सुविधा भी उपलब्ध होगी ।

यह कहा जाता है कि दलबन्दी के आधार पर जनहित के प्रश्नों पर कभी नहीं सोचना चाहिये । जनता के हित को ही आधार मान कर हम को चलना चाहिये । ऐसा करने से हमें कोई अमेंडमेंट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस से दर्द क्यों हुआ ? उस का क्या कारण है ? बात यह हुई कि जो भूमि ली जा रही थी, उस के मालिक अपनी इच्छानुसार पैसा चाहते थे, लेकिन सरकार उन को उतना पैसा नहीं देना चाहती थी । इस लिये सरकार ने सोचा कि किसी ब्याज से अर्थात् किसी बहाने से उन की भूमि को अधिग्रहण किया जाय और उन को पैसा थोड़ा दिया जाय ।

आज दिल्ली चारों ओर बसी हुई है, लेकिन आज किसी को यह पता नहीं है कि वे किसान कहां गए, जो कि इस सारी भूमि पर अपना खून पसीना बहा रहे थे और जिनकी भूमि इस नगर को बसाने के लिये ली गई । कोई बताये तो सही कि जिन किसानों की भूमि ली गई, वे आज कहां हैं । जब कोई भूमि ली जाती है और वहां पर कारखाने खुलते हैं, तो पहले-पहल तो उन किसानों को वहां मज़दूरी मिलती है, लेकिन थोड़े समय बाद उन को वह मज़दूरी मिलनी भी बन्द हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को विवश कीजिए कि वह ऐसे नियम बनाए, जिस से लोगों के मौलिक नागरिक अधिकारों का किसी प्रकार हनन न हो सके और यह तभी हो सकता है कि अगर मेरी कोई चीज़ है और मैं उस को बेचता हूं, तो यह व्यवस्था की जाये कि मुझ को उस चीज़ के मेरी इच्छानुसार दाम दिये जायें । माननीय सदस्य, श्री त्यागी, कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करने से किसान बहुत ज्यादा दाम मांग लेंगे । मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा नहीं मांगेगा । आखिर आज और भी तो चीजें बिक रही हैं ।

हम ने देखा है कि २२ एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने के लिये कुल बीस हजार रुपये जमा कराये गये । अगर हिसाब लगाया जाय, तो वह भूमि लगभग १०० बीघ से ऊपर हो गई । इस का अर्थ तो यह हुआ कि एक बीघे के लिये २०० रुपये और एक वर्ग-गज़ के लिये कुल दो आने दिये गये । नरेला में आचार्य भगवान देव की ज़मीन सरकार ने २९०० रुपये में ली और बाद में उस के प्लाट्स बना कर उस को पचास हज़ार रुपये में बेचा । आज ग़रीबों के साथ यह अन्याय और अत्याचार हो रहा है । हम ने नहीं सुना कि किसी बड़े कारखाने को, टाटा के कारख़ाने को सरकार ने कभी पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिये ले लिया हो । सरकार ने अभी नहीं लिया । राष्ट्र-हित के नाते कभी किसी बड़े कारखाने पर उस ने हाथ नहीं डाला । वह क्यों डालती ? उन लोगों के पास शक्ति मालूम होती है, उन का प्रतिनिधित्व मालम होता है । परन्तु मैं यह कहूंगा कि कम से कम जो कृषि-हितों के और देहात के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वे अपनी आत्मा का हनन न कर

श्री राम सेवक यादव (बाराबांकी) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है, लेकिन सदन में कोई मंत्री महोदय, या उपमंत्री या इस तरह के दूसरे लोग नहीं हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : मैं यहां हूं ।

श्री त्यागी : थोड़े देर के लिये माननीय सदस्य हम को ही मंत्री मान लें ।

श्री राम सेवक यादव : अगर माननीय सदस्य मंत्री होते, तो यह बिल वापस ले लिया जाता ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : भावी मंत्री, भूतपूर्व मंत्री---वर्तमान मंत्री नहीं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यदि सरकार की ओर से कहा जाता है कि उस को भूमि की आवश्यकता है, तो वह भूमि ले, किन्तु यदि भूमि वालों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उन को वह भी दी जानी चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर लोक सभा में जो प्रतिनिधि उन लोगों के वोट्स से चुन कर आए हुए हैं, जो कि धरती-माता का पेट चीर कर और खून पसीना एक कर के अन्न पैदा करते हैं और राष्ट्र को अन्न देते हैं, उन लोगों के साथ विश्वासघात करना एक भयंकर बात होगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस के मेम्बरों को यह कहना ठीक नहीं है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : आप की आज्ञा शिरोधार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई पब्लिक स्पीच नहीं है । माननीय सदस्य ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफ़ार्म पर कह सकते हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं नया हूं, भूल गया हूं और मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं ।

मेरा कहना यह है कि सब से पहले मैंने जो सुझाव दिया था उसको माननीय मंत्री महोदय बहुत आसानी से अमल में ला सकते हैं । दंडकारण्य है, चम्बल नदी घाटी है, हिमाचल की तराई है, इन में सब कुछ किया जा सकता है । किसी को ऐसा करने से हानि भी नहीं होगी और उनका काम भी बन जाएगा । जो खेती करने वाला है, वह खेती करता रह सकता है और अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करके राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति वह करता रह सकता है ।

मैं आशा करता हूं कि दलबंदी को छोड़ करके मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाएगा और इसको अमल में लाया जाएगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि खण्ड २ और ३ पर इकट्ठी चर्चा होगी जो भी संशोधन ठीक हैं वह प्रस्तुत समझे जाएंगे । दोनों खण्ड २ और ३ सदन के सामने हैं । मैं उन्हें सदन के सामने मतदान के लिये ४ बजे रखूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कुछ नये खण्डों के संशोधन हैं । वे इस में शामिल नहीं हैं । वे माननीय मंत्री ने प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें प्रस्तुत समझता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं उन संशोधनों का उल्लेख करता हूं जो नए खण्ड लगाना चाहती है। मैं उन के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं औचित्य प्रश्न भी सुनूंगा। पहले खण्ड २ को २.३० बजे मतदान के लिये रखा जाएगा। ४ बजे खण्ड ३ को रखा जाएगा।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने उन खण्डों के बारे में संशोधन प्रस्तुत किए हैं जो कि विधेयक में भी थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखूंगा कि वे ठीक हैं। यदि वे ठीक नहीं होंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : चंकि बहुत परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि कोई कल खंड २ पर बोला था, आशा है आप उसे फिर बोलने देंगे। मैं ने नया संशोधन दिया है। मैं उस पर बोलना चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक संशोधन पर प्रत्येक सदस्य नहीं बोल सकता। मैं देखूंगा कि ऐसा सम्भव हो सकेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। यदि आप यह मानते हैं कि संशोधन ४४ प्रस्तुत किया गया है तो सदन इन खण्डों पर चर्चा नहीं कर सकता जब तक मेरे औचित्य प्रश्न पर निर्णय नहीं हो जाता।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य मुझे विश्वास दिला दें कि यह ठीक नहीं है, तो मैं निश्चय इसे हटा दूंगा।

अभी खण्ड २ और ३ पर ही चर्चा होगी नए खंड ३ए और ३बी पर बाद में चर्चा होगी।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या ११, में संख्या ४२ है—

"in the interests of the general public" ["जन साधारण के हितों में"] के स्थान पर "for a public purpose" ["एक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये"] रख दिया जाय। (६२)

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या ११, में संख्या ४२ है —

"in the interests of the general public" ["जन साधारण के हितों में"] के स्थान पर "for a public purpose" ["एक सार्वजनिक प्रयोजन क लिए"] रख दिया जाय। (६२)

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २, पंक्ति ४ से १० तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

---

†मूल अंग्रेजी में

'"(4A) Where the acquisition is for the construction of any building or worker a Company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is in the interests of the general public, the time within which and the conditions on which, the building or work shall be constructed or executed; and."'

['"(४क) जहां भूमि का अर्जन किसी कम्पनी के भवन निर्माण के लिये अथवा अन्य कार्य के लिये हो जो कम्पनी किसी प्रौद्योगिक कार्य में लगी हो या प्रौद्योगिक कार्य आरम्भ करने का विचार हो या किसी अन्य काम में लगी हो, जो काम जन-साधारण के हित में हो, जितने समय के अन्दर ऐसा किया गया हो और जिन शर्तों पर उस भवन का निर्माण होगा या उसके संबंध में कार्य किया जायेगा तथा"।'] (४३)

कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में तो संशोधनों की सूची संख्या ११ में संख्या ४३ है –

"in the interests of the general public" ["जन साधारण के हितों में"] के स्थान पर "for a public purpose" [एक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये] रख दिया जायें। (४३)

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज २ के संबंध में जो नया संशोधन ए ए सरकार की तरफ से रखा गया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दी इंटिरेस्ट आफ दी पब्लिक शब्दों को बदल करके पब्लिक परपज उसके स्थान पर रख दिया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन एक्टके सैक्शन ६ में पब्लिक परपज दो हिस्सों में विभक्त था। एक पब्लिक परपज कम्पनियों के लिये था और दूसरा सरकार के कामों के लिये था। ये दोनों ही पब्लिक परपज इस्तेमाल किये जाते थे। वहां पर कम्पनी वर्ड अलग आया है और दफा ४० के अन्दर यह चीज आती थी। लेकिन अब तो जिस तरह से पब्लिक परपज की परिभाषा की गई है उसमें सरकारी पब्लिक परपज और कम्पनियों का पब्लिक परपज दोनों ही एक हो जाते हैं, दोनों ही पब्लिक परपज हो जाते हैं। दोनों के पब्लिक परपज हो जाने के बाद जो सर्टिफिकेट दफा ५ के अन्दर जरूरी है मैजिस्ट्रेट का या गवर्नमेंट का कि वह सर्टिफिकेट दे कि हम इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यह पब्लिक परपज है, जनता के हित में है, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। पब्लिक परपज करके किसी भी जमीन को गवर्नमेंट हासिल करके किसी भी व्यक्ति विशेष को दे सकती है और सरकारी पब्लिक परपज और कम्पनियों के लिये जो पब्लिक परपज हुआ करता था, इन दोनों का अन्तर मिट जाता है। चैप्टर सात के अन्तर्गत जो भी कार्रवाई करने का निर्देश किया गया है, उस कार्रवाई को कर चुकने के बाद ही जमीन को हासिल किया जा सकता है। पब्लिक परपज के अलावा कम्पनियों के लिये अलग धारा उसमें है। अब चैप्टर सात में भी पब्लिक परपज रख देने के बाद दोनों पब्लिक परपजिज में कोई अन्तर नहीं रह जाता है यानी दफा ६ के अन्दर जो सुविधायें थीं, जो विशेषतायें थीं कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि पब्लिक परपज के लिये है वे खत्म हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रश्न भी उठता है। उसके बारे में इस एक्ट में लिखा हुआ है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

"Provided that no such declaration shall be made unless the compensation to be awarded for such property is to be paid by a company, or wholly or partly out of public revenues or some fund controlled or managed by a local authority."

यहां वह पब्लिक परपज था जहां पर होली या पार्टली मुआवजा पब्लिक फंड से दिया जायेगा। जहां तक कम्पनियों का संबंध है, वहां पर यह है कि मुआवजा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। लेकिन अब तो दोनों ही पब्लिक परपज हो गये और डिक्लेरेशन दफा ६ के अन्दर हो सकता है कि जमीन ली जाती है, हासिल की जाती है, एक्वायर की जाती है, । सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा जो जजमेंट दिया है लाहौर हाई कोर्ट के केस में उस में भी पब्लिक परपज करके गवर्नमेंट ने दफा ६ के अन्दर घोषणा कर दी थी और जमीन रेफ्रीजरेटर कम्पनी बनाने के लिय दे दी थी। अब इस पब्लिक परपज पर सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चला कि आया यह पब्लिक परपज है या नहीं क्योंकि यह जमीन कम्पनी के लिये थी। पब्लिक परपज कर दिये जाने के बाद गवर्नमेंट ने सौ रुपया जमा कर दिया कम्पेंसेशन मनी में और जब सौ रुपया जमा कर दिया तो वह होली और पार्टली में आ गया। जहां पब्लिक परपज है वहां कुछ कम्पेंसेशन मनी होली और पार्टली पब्लिक फंड से आना चाहिये। इसको पब्लिक परपज में लाने के लिये सौ रुपया जमा कर दिया गया। अब इस सौ रुपये पर काफी बहस हुई पांच जजों में। चार ने होल्ड किया कि सौ रुपया भी पार्टली में आ जाता है। जहां पर लाखों का सवाल हो वहां पर सौ रुपया क्या चीज है। एक जज ने इससे एग्री नहीं किया और कहा कि पार्टली वर्ड का यह प्रापर उपयोग नहीं हो रहा है। पार्टली का मतलब यह है कि सबस्टैंशल रुपया जमा पब्लिक फंड से हो। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी आड़ में काफी ऐसी बातें हो सकती थीं कि गवर्नमेंट सौ रुपया या पचास रुपया जमा करवा दे और जमीन एक्वायर करके किसी को भी दे दे। ऐसा वह कर सकती थी। लेकिन वह दिक्कत भी अब दूर कर दी गई है। गवर्नमेंट को पचास या सौ रुपया जमा करवाने की भी जरूरत नहीं रही है। अब तो दफा ४० के अन्तर्गत कोई भी जमीन हम ले सकते हैं और उसको पब्लिक परपज का नाम दे सकते हैं और जिस की जमीन ली जाती है उसके पास कोई चारा नहीं है कि वह कोर्ट में जाकर कहे कि यह पब्लिक परपज नहीं है। मेरा सबमिशन यह है कि "पब्लिक परपज" लिख कर, जो चीजें पहले से थी, हम उस से कई गुना आगे बढ़ गये और दफा ६ के अन्दर जो डिस्टिंग्शन था उसे मिटा दिया। जो इस एक्ट की मंशा थी कि कम्पनियों के लिये कुछ रुकावट हो, प्राइवेट कम्पनियों के लिये कुछ रुकावट हो, वह दूर हुई।

इसके बाद आप देखिये कि दफा ४० में दो धारायें हैं: (ए) और (बी)। (ए) के अन्दर है कि?"**ड्वेलिंग फार दि परपज आफ दि एम्प्लायी।**" इसके लिये लिया जा सकता है। (बी) में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लिखा है कि "यूज आफ दि पब्लिक मनी फार हास्पिटल...." इसके माने यह लगाये गये कि हास्पिटल हो, कालेज हो या स्कूल हो, इसके लिये लिया जा सकता है या "**ड्वेलिंग फार दि परपज आफ दि एम्प्लायी।**" के लिये लिया जा सकता है। अब पब्लिक परपज में क्या है कि इंडस्ट्रियल वर्क्स, सिनेमा हाउस, एअरोड्रोम आदि सब इसमें आ जायेंगे। इसलिये मुझे डर है कि इस नये संशोधन को हाउस स्वीकार करेगा और कहेगा कि हम रूल को अमेंड करेंगे। इस के बाद आप कहते हैं कि पहले प्राइवेट नेगोशिएशन से होना चाहिये। लेकिन एक्ट के खिलाफ रूल कहां तक बाधक होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस लिये एक्ट में ही कोई प्राविजन होना चाहिये। जहां पर हम पब्लिक परपज को डिफाइन करेंगे वहां दफा ४० के बाद एक दफा लिख कर और जोड़ दें कि स्टेट देख लेगी कि वह प्रापर नेगोशिएशन के हो जाने के बाद वहां आया है। लेकिन दफा ४० में नेगोशिएशन का शब्द नहीं है। अगर दफा ४० में कोई इस तरह की चीज नहीं रखते तो जो चीज आप चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा सदन ने कल निर्णय किया, सारी चर्चा ५ बजे तक समाप्त करनी होगी। बाकी खंडों, औचित्य प्रश्नों पर इतराज ४ बजें सुनूंगा। खंड २ और ३ पर उससे पहले चर्चा समाप्त हो जायेगी। क्या माननीय मंत्री खंड २ पर चर्चा का उत्तर अलग से देंगें या इकट्ठा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इकट्ठा उत्तर दूंगा। मैं ५ मिनट से अधिक नही लूंगा।

†**श्री सिंहासन सिंह** : खंड ४ को अधिक समय देना चाहिये। खंड २ और ३ के लियें समय कम किया जा सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह चर्चा ३ बजे तक चल सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ और ३ पर चर्चा ३ बजें समाप्त हो जायेगी।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस बिधेयक के बारे में क्यों इतने त्रस्त हैं। बहुत सी आलोचनाएं डर के कारण हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेंत्र है। अत: हमने गैर-सरकारी क्षेंत्र की भी सहायता करनी है। यह विधयक देश के औद्योगिक विकास के लिये है।

किसानों के लियें कुछ संरक्षणों की भी व्यवस्था की गई है। कोई भी खेंती के योग्य भूमि सरकार नहीं लेगी। यदि लेगी तो उचित प्रतिकर दिया जायेगा। इतने संरक्षण होते हुयें फिर लोगों के मन में क्यों डर है ? इस विधेयक की बहुत आवश्यकता है। अत: हमें सरकार पर अबिश्वास नहीं करना चाहियें।

मैं इन दोनों खंडों का समर्थन करती हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है यह अत्यन्त ही विवादास्पद विधेयक है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी विरोधी बातें आयी हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हल किया था। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ए० आई० आर० १९६० में एक निर्णय लिया था जिसमें बतलाया गया था :

> "इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अस्पताल, रीडिंग रुम, पुस्तकालय या जनता के लिये कोई शिक्षा संस्था स्थापित करने का प्रयोजन होना चाहिये।"

इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रुलिंग दी थी जिसमें कहा था :

> "केवल इसी लिये कि कम्पनी कोई ऐसी वस्तु बनायेगी जोकि जनता द्वारा प्रयोग में लाई जायेगी। कम्पनी के लिये भूमि अर्जन को न्यायोचित नहीं बनाता, क्योंकि यह सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है।"

इसी तरह से एक दो नहीं अनेक जगहों पर उच्च न्यायालय ने फैसले दिए हैं। एक जगह कहा है :

> "सम्पत्ति के अर्जन के लिये सम्पूर्ण शक्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन की शक्ति है। गैर-सरकारी सम्पत्ति को ले कर गैर-सरकारी सम्पतियों को देन की शक्ति सम्पूर्ण प्रभुत्व वाले व्यक्ति में नहीं होती। सार्वजनिक प्रयोजन शक्ति की जान है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

इस तरह से यह साफ हो जाता है कि यदि सरकार बिजनैस एक्टिविटी के लिये किसी प्राइवेट कम्पनी या व्यक्ति के लिये जमीन हासिल करती है तो वह अपने उद्देश्य से दूर चली जाती है। इस बारे में संविधान में भी प्रावीजन दिया गया है। लोग कह सकते हैं कि चूंकि यह बिल दूसरों के अधिकारों का हनन करता है इसलिये इसको सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे इजलासों में चुनौती दी जा सकती है।

साथ ही साथ जब तक कि सरकार संविधान में संशोधन न करे इस प्रकार का बिल पास नहीं किया जा सकता। जो अधिकार जनता को संविधान में मिले हुए हैं उनको हम नहीं छीन सकते। हम जनता की वस्तु को सरकार के लिये ले सकते हैं लेकिन किसी कम्पनी के लिये या किसी व्यापारी के लिये या ऐसे लोगों के लिये जो मुनाफा कमाना चाहते हैं नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में सरकार को गौर करना चाहिये। इस विषय को ला कर जो एक झगड़ा खड़ा कर दिया गया है वह जनता के हित में नहीं है।

हमारे संविधान में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी वह सारे देश पर लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में अपने निर्णय समय समय पर दिए हैं। तो मैं मंत्री जी से यह उत्तर चाहता हूं कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को काटने के लिये आर्डिनेन्स लाएथे और अब उसको रिपील करने के लिये यह बिल लाए हैं। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट का और उच्च न्यायालय का देश में कोई मतलब नहीं रहता। उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की गई है कि वह संविधान की रक्षा करे और जो विधि हम यहां बनाते हैं उसका पालन कराये। हम संविधान में यह अधिकार दे चुके हैं कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वह सारे देश भर पर लागू होगा और मान्य होगा। जब तक हम संविधान में इस प्रकार का संशोधन न लाएं कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले मान्य नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार का बिल नहीं लाया जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है।

दो चार मामले मेरे पास ऐसे हैं जिनसे स्पष्ट जाहिर है कि जो अधिकार हम लेने जा रहे हैं उससे जनता को नुकसान हो सकता है। कोटला मुबारक पुर एक स्थान है। उसमें एक आदमी की जमीन पर १८ आदमियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। उस व्यक्ति ने वह जमीन एक कोआपरेटिव सोसाइटी को बेच दी और उस पर कोआपरेटिव सोसाइटी ने कब्जा कर लिया और उन आदमियों को निकालने के लिये अदालत में कार्रवाई की और अदालत की आज्ञा से उन १८ आदमियों को निकाल दिया गया। लेकिन निकाले जाने के बाद उन १८ आदमियों ने एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली और अर्जी दी कि वह जमीन हमको दी जाए और सरकार ने उस जमीन को काआपरेटिव सोसाइटी से ले कर एक ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दी जो उन लोगों ने बनायी थी जिन्होंने उस जमीन पर पहले अनधिकृत कब्जा किया हुआ था और जिनको उस जमीन से अदालत के फैसले के मुताबिक निकाल दिया गया था क्योंकि न्यायालय की राय में उनको उस जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार यह काम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हुआ।

हो सकता है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर कुछ प्रलोभन देने पर सचिवालय में ऐसे काम चल जाते हैं। और जो प्रलोभन दे सकते हैं वे ऐसा करवा लेते हैं।

इसी प्रकार का एक और केस मेरे पास है जिसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया कि एक जमीन स्माल स्केल सरविस इंस्टीट्यूट के लिये दी जाएगी।

लेकिन रणबख्शी एंड कम्पनी ने सरकार को कहा कि यह जमीन उस इंस्टीट्यूट को न दे कर उनको दे दी जाए और सरकार ने रणबख्शी एंड कम्पनी को वह जमीन दे दी और उनसे कहा कि तुम अपने प्लान सबमिट करो। जिस व्यक्ति की वह जमीन थी उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर किए हैं कि यह जमीन रणबख्शी एंड कम्पनी को न दी जाए।

तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल का क्या उद्देश्य है ? क्या इसका यह उद्देश्य है कि इससे जनता का फायदा हो या ऐसे लोगों को फायदा करने के लिये यह लाया गया है जो निजी रूप से मुनाफा कमाना चाहते हैं। जो जमीन २ रुपये गज के हिसाब से ली जाती है दूसरे को ३५ रुपये गज के हिसाब से दी जाती है। यह लाभ उठाना अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति जमीन चाहता है तो वह पब्लिक में आए और उचित मूल्य दे कर जमीन खरीदे। यह उचित होगा न कि यह कि हम उसके लिये कानून बना कर यह सुविधा पैदा करें। हमको इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिये।

ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को इस प्रकार संशोधित कर दें कि जिसमें जनता के हितों की रक्षा हो, न्याय को अमान्य न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों के जो अनेकों निर्णय हैं उनको मान्यता दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करके ऐसा विधेयक लाएं जो सब को मान्य हो।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस भूमि अजन संशोधन विधेयक पर कई दिन से चर्चा चल रही है और जिस विवादास्पद स्थिति का वर्णन अभी मेरे एक साथी ने किया है वह स्थिति अभी भी बनी हुई है।

माननीय मंत्री जी ने जो एक नया संशोधन अभी सदन के सामने रखा है उससे एक आशा जरूर बंधती है लेकिन स्थिति अभी भी सुलझी नहीं है। भूमि अर्जन का प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है और पब्लिक परपज का जो भी हम विवेचन करना चाहते हैं वह उस रूप में आता नहीं है और सरकारी अधिकारी जिस प्रकार इस के लिये महसूस करते हैं और अपने विचार मंत्री जी के सामने रखते हैं वह ही विचार चलते हैं। उन विचारों का इस विधेयक पर साफ प्रभाव दिखाई देता है।

सारे देश के अन्दर आज इस विधेयक पर चर्चा चल रही है और विशेषकर किसान और मजदूरों के अन्दर क्योंकि इसमें उस भूमि के अधिग्रहण करने की बात है जो किसानों के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में नगरों या ग्रामों में है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि देश में जो औद्योगीकरण और आर्थिक विकास चल रहा है उससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन उस विकास के नाम पर, उस औद्योगीकरण के नाम पर आप अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो पैसे के नाम पर फलते फूलते हैं लाभ पहुंचाना चाहें तो इससे लोगों की तरफ से विशेष कर किसानों और मजदूरों की तरफ से इसका विरोध होना न्यायसंगत है। इस सम्बन्ध में जो भय हमारे मस्तिष्कों में है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें भय है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो भूमि अर्जन मैशिनरी के हाथों न्याय नहीं मिलेगा। आज भी हमको उस मैशिनरी पर विश्वास नहीं है। उस पर नियन्त्रण रखना होगा। इस न्याय के बारे में देश में एक परम्परा चली आ रही है। वह परम्परा यह है कि जो मामूली और गरीब आदमी है उसको किसी प्रकार की रक्षा नहीं मिलती है। आज हमको स्वराज्य मिले इतना समय हो गया और देश आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी पूरे तौर से अभी भी किसानों और मजदूरों

[श्री बाल्मीकी]

के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है और उनकी थोड़ी थोड़ी जमीनों को लेने की अनधिकार चेष्टा की जाती है। इसके कारण जो लोगों में असंतोष है वह मैं यहां जाहिर करना चाहता हूं।

अभी कल, परसों मेरठ-बुलन्दशहर के कई हजार किसान जोकि दिल्ली के मास्टर प्लान से प्रभावित होने जा रहे हैं, गाजियाबाद का जिस प्रकार से औद्योगीकरण चल रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं। वे किसान यहां दिल्ली आये थे और उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय के सामने अपना दुःख रक्खा था। प्रधान मंत्री महोदय ने उनकी बात को सहृदयतापूर्वक सुना और उन को एक प्रकार से आश्वासन दे दिया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली इतना पर्याप्त न होगा वरन् सरकार को इस के लिए सतर्कता बरतनी होगी। हमें भय है कि कहीं गरीब लोगों की जमीनें जोकि इस बड़े नगर के अंदर या और बड़े नगरों के अंदर हैं और जिन जमीनों पर कि धनीमानी लोगों की गिद्ध दृष्टि है वह गरीबों की जमीनें कहीं उनके हाथ में न चली जांय। सरकार को इस बात की विशेष सावधानी रखनी होगी कि कहीं उन गरीबों की जमीनें जिनकी कि वह रक्षा करनी चाहती हैं, किसानों की खेती की जमीनें जिन पर कि तीन तीन फसलें पैदा होती हैं वे पब्लिक परपज के नाम पर उनसे न ले ली जांय। अलबत्ता देश के जन जन तथा समाज के हित के लिए यदि सरकार द्वारा किसी की जमीन, जायदाद पर अधिकार किया जाय या उस भूमि का अर्जन किया जाय तो मुझे उस से शिकायात नहीं हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने जो सदन को विश्वास दिलाया है कि वह किसानों और मजदूरों के हित का ध्यान रक्खेंगे मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि हमारे दोनों मंत्री महोदयों के हृदयों में किसानों और मजदूरों के लिए हमदर्दी की भावना है। मैं उन से यही अपील करूंगा कि अगर इस कानून के अन्तर्गत देश हित के लिए किसानों की जमीनें लेनी आवश्यक ही हों तो केवल पड़ती, बंजर और ऊसर जमीनें ही ली जांय और वह जमीनें उनकी न ली जांय जोकि खेती के काबिल हैं।

आज की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है जिसमें मुट्ठी भर उद्योगपतियों की ओर ध्यान दिया जाता है और किसान और मजदूरों के हितों के प्रति अवहेलना बरती जाती है। मैं यहां सदन में यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज किसानों के हित को दृष्टि में नहीं रक्खा जाता है। मैं चाहूंगा कि किसान की जमीन एक तो उससे ली ही न जाये और अगर देश और जनता के हित में उसको लेना नितान्त आवश्यक हो तो बाजार भाव से काफी ज्यादा दाम देकर ली जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री बाल्मीकी : मैं केवल एक मिनट और चाहता हूं....एक विशेष बात मुझे कहनी है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। वे अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, भमि अर्जन के सम्बन्ध में यह जो मौजदा संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित है उसका और खासतौर से उस की जो धाराएं २ और ३ हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि अर्जन अधिनियम सन् १८९४ में पास हुआ था और उस विधेयक का उद्देश्य था कि जनहित में सरकार भूमि ले और फिर कल कारखानों के लिए या उस से सम्बन्धित मजदूरों के लिए मकान या अस्पताल बनाने के लिए जमीन हासिल की जा सकती है। यह दो उद्देश्य उस के अन्तर्गत थे। तब से आज तक इन दो उद्देश्यों के अन्तर्गत यदि हिसाब लगाया जाय, आंकड़े इकट्ठा किये जांय तो सारे देश में विभिन्न राज्यों में न जाने कितनी खेती लायक छोटे छोटे किसानों की जमीनें नाजायज तौर से हड़प कर ली गईं और इस तरह से कल कारखानेदारों को दे दी गईं। यह उसमें अवश्य व्यवस्था थी कि वह अदालत में जा सकते थे लेकिन आप ही सोचें कि १, २ एकड़ या २, ४ बीघे वाला किसान क्या कभी अदालत में जा सकता है? क्या वह अभी अदालत में जाकर चाराजोई कर सकता है? यह कभी उन के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरीके से यह कानन अब तक बराबर चलता आया है। पहले तो हम गुलाम थे और किसानों के हित की बात अंग्रेजों के दिमाग में आये यह चीज असम्भव थी लेकिन आज तो शासन सत्ता उनके हाथ में है जोकि अपने को जनप्रिय सरकार कहते हैं। हमारे खाद्य मंत्री पाटिल साहब और यह हमारे नये राज्य मंत्री डा० राम सुभग सिंह जोकि कुछ समय पहले इधर बैठा करते थे तब में और अब में मैं उन में बड़ा अन्तर पाता हूं। उनके दिमाग में इन पिछले १५ सालों में इस कानून में संशोधन करने का ख्याल नहीं आया जबकि कितने ही किसान नाजायज तौर से बेदखल किये गये और जमीनें छीनी गईं। उनके दिमाग में यह बिलकुल नहीं आया कि कोई ऐसा आरक्षण उस के अंदर दें जिससे कि उनकी जमीनें बच सकें। इस ओर उनका दिमाग नहीं गया। दिमाग गया उनका तब जबकि अभी एक या दो महीने पहले कानपुर के एक उद्योगपति का मुकदमा चला। सम्बन्धित उद्योगपति इस सदन् के माननीय सदस्य हैं और वह भी सत्तारूढ़ दल के हैं। उनके कारखाने सम्बन्धी जमीन का मामला उठा था और उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। उस से बचने के लिए बहुत तेजी के साथ जल्दबाजी के साथ एक अध्यादेश जारी कर दिया गया और आज यह संशोधन विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है। संशोधन होने चाहिएं अगर जरूरत पड़े, उसके विरुद्ध नहीं है लेकिन किसी एक खास मामले को लेकर अगर इस तरह के संशोधन किये जायें तो इस से ज्यादा आपत्ति-जनक बात और कोई नहीं हो सकती है। नम्बर दो आपत्ति यह है कि जब उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया और यू० पी० सरकार ने कह दिया था कि जमीन को वापिस दे देंगे जमीन वापिस नहीं दी गई। उस अदालती निर्णय से बचने के लिए बीच में न जाने किस तरह से केन्द्रीय सरकार को प्रभावित कर के और परसुएड कर के अध्यादेश जारी करवाया गया और अब यह संशोधन विधेयक आया है। नतीजा यह है कि वह जमीन जोकि गलत ढंग से और उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत दूसरे आदमी के कब्जे में है गैर कानूनी कब्जे को उचित ठहराने के लिए आज यह कानून प्रस्तुत है।

आज माननीय मंत्री ने सदन को बहुत आश्वासन दिया और बतलाया कि नियम आदि बनाये जायेंगे और वे सदन के सामने रक्खे जायेंगे लेकिन नियम और उन संशोधनों के बावजूद जो अब संशोधन दिया गया है उसमें यह दिया हुआ है :—

"फोर पबलिक परपज और कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग" अब यह इतने ज्यादा ऐक्स-टेंसिव शब्द हो जाते हैं कि इन के अन्दर कोई भी चीज आ जाती है। पबलिक परपज में अस्पताल या और भी किसी प्रकार की इमारत आ सकती है। कानून की धारा और पब्लिक परपज के लिए जो शब्द आगये हैं उन दोनों को साथ जोड़ें तो इससे अधिकार और व्यापक हो जाता है। अब किसी भी तरह की जमीन ली जा सकती है। यह जो

[श्री राम सेवक यादव]

नये तरीके का संशोधन आया है, संशोधन पर संशोधन आये हैं उन्होंने विधेयक को न जाने कैसा गलत स्वरूप दे दिया है। इससे छोटे लोगों विशेष कर किसानों को बहुत कष्ट होगा। खाद्य मंत्री महोदय इस तरह का संशोधन विधेयक लाते जिसमें किसानों के लिए कुछ आरक्षण प्राप्त होता कि खेती लायक जमीन नहीं ली जायगी जब तक कि बंजर और ऊसर जमीन मिलती है।

मैं बाराबंकी की एक मिसाल बतलाना चाहता हूं कि एक कारखाना खुलने की बात है। उस जगह एक कारखानेदार की काफी जमीन है। एक और बहुत बड़े आदमी की जमीन है जोकि दूसरे व्यापार भी करते हैं, दूसरे दूसरे काम भी करते हैं, कई कई रोजी के जरिए हैं लेकिन उन की जमीन न लेकर पैमाइश की जा रही है गरीब किसानों की जमीन। मुझे खुशी होती अगर इस तरह का आरक्षण किया होता कि खेती लायक जमीन नहीं ली जायगी जब तक कि ऐसे लोग जिनके कि पास एक से ज्यादा रोजगार या धंधे मौजूद हैं उनकी जमीन जब तक मिलेगी तब तक हम छोटे और गरीब किसानों की जिनका कि एक ही पेशा है उनकी जमीन नहीं ली जायगी। मुझे बड़ी खुशी होती अगर इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई होती।

इसी तरह से किसानों को जमीन का मुआवजा लगान के हिसाब से नहीं बाजार के हिसाब से नहीं बल्कि जिसकी जमीन ले रहें हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से देना चाहिए। आप ने २००० रुपया मुआविजे की शक्ल में एक काश्तकार को दे दिया लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या उससे उसकी जिन्दगी भर की रोजी चल जायगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि मंत्री जी को ज्यादातर पूंजीपतियों के हितो की रक्षा करने की ही चिंता है। बजाय गरीब किसानों की जमीनें लेने के क्या ही अच्छा होता यदि हमारे मंत्री महोदय गरीब आदमियों को बसाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिए पूंजीपतियों के आलीशान मकान और बंगले ले लें? खास तौर से ऐसी जगहें जोकि राष्ट्रीय महत्व की हैं जैसे कि बिड़ला भवन है जहां कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्राण पखेरू उड़े थे, उस बिड़ला भवन सरीखे आलीशान इमारतों को यदि सरकार ऐक्वायर कर ले तो मैं उसका स्वागत करता? वर्त्तमान विधेयक जिस रूप में पेश है मैं उसका स्वागत नहीं कर सकता और मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस तरह का विधेयक लायें जिनमें कि गरीबों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिसमें किसानों के हित और छोटे आदमियों के हितों की रक्षा हो सके।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज): चूंकि इस विधेयक की अन्तर्वस्तु के बारे में कड़ी आलोचना की गई है अतः इसे शीघ्रता से पारित नहीं करना चाहिए। यदि इसे शीघ्रता से पास किया गया तो सरकार को पुर्नविचार पर इस का संशोधन करना पड़ेगा।

सरकार को यह आश्वासन अवश्य देना चाहिए कि इस विधेयक से गरीब व्यक्तियों की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

†**श्री कृ० चं० पन्त** (नैनीताल): इस विधेयक के नियम पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उद्योगों को स्थापित करने का लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब तक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है भूमि गैर सरकारी क्षेत्र के लिए भी अर्जित करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए नहीं अर्जित किया जाएगा? इस पर ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जो यह देखे कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकता से बढ़कर अधिक भूमि को अर्जित न किया जा सके। भूमि में पट्टे-बाजी करने वालों को दूर रखा जाए और किसान को युक्तियुक्त दाम मिलें।

किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पर भूमि के अर्जन के मामले में प्रतिबन्ध का लगाना न्यायपूर्ण नहीं है। इस से औद्योगिक ढांचे में कमजोर से कमजोर कड़ी को हानि पहुंचेगी।

श्री भानुप्रकाश सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह लैंड एक्वीजीशन बिल एमेंडमेंट के रूप में हमारे सामने आया है उसपर गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिये जाने के बाद जिस प्रकार से संशोधनों को यहां पर पेश किया गया है उससे तो ऐसा हो लगता है कि जैसे देश के अन्दर प्रजातंत्र में हमारा अविश्वास उत्पन्न हो रहा हो। इसमें प्रजातन्त्र को आघात पहुंचा रहे। न्यायालयों के प्रति हमारी जो आस्था है, उसमें भी कमी होती है। इस वास्ते इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि अगर हमें अपने देश में प्रजातंत्र को पनपते देखना है तो क्या इस प्रकार का कदम हमें उठाना चाहिए अथवा नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूं यह प्रथम अवसर है जबकि प्राइवेट सैक्टर के लिए इस प्रकार का कोई प्रोटैक्शन सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जहां तक पब्लिक सैक्टर का प्रश्न है, उसके लिये जमीन एक्वायर करने का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। उसके लिए तो कोई भी जमीन अथवा जायदाद एक्वायर कर ली जाए तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहां तक प्राइवेट सैक्टर का सम्बन्ध है, किसी वर्ग विशेष का सम्बन्ध है, इस प्रकार से उसके लिए जमीन एक्वायर करना कहां तक उचित समझा जा सकता है, यह ऐसा विषय है जिस पर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जहां तक मुझे मालूम है किसी भी संसार के अन्य देश में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि एक वर्ग विशेष के लिए सरकार एक ऐजेंट के तौर पर काम करे, उसके लिए जमीन अथवा जायदाद एक्वायर करे और एक कम्पनी को जो कि प्राइवेट कम्पनी है, उसको दे दे, प्राइवेट सैक्टर को दे दे। अतः हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि ऐसा करना जनहित की भावना से कहां तक मेल खाता है।

जिस देश में ८० प्रतिशत से अधिक किसान रहते हैं और २० प्रतिशत ही गैर-किसान लोग हैं, वहां पर इस प्रकार का बिल सदन में लाना और उसको कानूनी रूप देना, कहां तक उचित है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। एक और बात भी आप देखें। इस २० प्रतिशत में जो पूंजीपतियों की संख्या है वह और भी कम है। इन २० प्रतिशत में सरकारी नौकर भी आते हैं, अन्य नौकरी पेशा लोग भी आते हैं। इस तरह से पूंजीपतियों की संख्या और भी घट जाती है। ऐसी सूरत में इतने थोड़े आदमियों के लिए खास तौर पर सरकार कोई इस प्रकार की व्यवस्था करे, कोई इस प्रकार का कानून बनाये यह कहां तक न्यायोचित होगा, इस पर इस सदन को विचार करना चाहिये।

जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सम्बन्ध है, औद्योगिकरण का सम्बन्ध है, सरकार के पास कोआप्रेटिव्ज और इंडस्ट्रियल एस्टेटस की स्कीम्स हैं। उनके होते हुए क्या आवश्यकता है कि किसी प्राइवेट कम्पनी के लिए किसी एक पूंजीपति के लिए, किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का वह हनन करे, उसमें वह दखलअंदाजी दे, उसकी जायदाद को उसकी जमीन को उससे लेकर उस को पब्लिक परपज का नाम दे।

जहां तक पब्लिक परपज का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि हमारे देश में औद्योगिकरण की बड़ी भारी आवश्यकता है और वह होना चाहिये। हम को हर चीज बहुत बड़ी मात्रा

[श्री भानुप्रकाश सिंह]

में विदेशों से आयात करनी पड़ती है और जरूरत इस बात की है कि हम उन चीजों को अपने देश में ही तैयार करें। लेकिन जैसी की कई माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की है, भय प्रकट किया है कि हर चीज को पब्लिक परपज का नाम दे कर किसी की जमीन अथवा जायदाद को ले लेना खतरनाक होगा। पब्लिक परपज, जहां तक केवल सरकार के द्वारा कोई उद्योग चलाने का सम्बन्ध है, या कोई अन्य प्रकार के काम को हाथ में लिए जाने का सम्बन्ध है, का उपयोग उचित हो सकता है लेकिन प्राइवेट सैक्टर के लिए जमीन लेते वक्त पब्लिक परपज का हवाला देना, इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर यह आश्वासन देने के लिए तैयार हों कि अगर किसी प्राइवेट कम्पनी के लिए पब्लिक परपज का नाम दे कर कोई जमीन एक्वायर की जाएगी तो उस कम्पनी को जो प्राफिट होगा उसका ९५ प्रतिशत हिस्सा कर के रूप में ले लिया जायगा और उसको पब्लिक के हित में इस्तेमाल किया जाएगा, नागरिक कामों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर भी विचार कर स्वीकार किया जा सकता है।

आज देश की जनता में तथा यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों के दिमागों में भी ऐसी आशंका है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा दे कर किसी प्रकार से उनको देश पर हावी करने का मार्ग ढूंढ़ा जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेजर्ज वाइफ शुड नाट ओनली बी चेस्ट बट वी एबव ससपिशन आल्सो। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि उसको अपने मैम्बरों को इधर या उधर जिस तरफ भी वे चाहें बोट देने की फ्रीडम देनी चाहिये

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभगसिंह) : बिल्कुल फ्रीडम है और मध्य प्रदेश में तो थी ही।

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस चीज को बोट आफ नो-कान्फिडेंस न समझ कर सही मानों में सदस्यों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर मिले, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राधेलाल व्यास : अभी तक जो कानून हमारे देश में था, उसमें हम परिवर्तन करने की, उससे कुछ आगे बढ़ने की बात आज सोच रहे हैं। अभी तक तो ऐसे था और यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है कि किसी कम्पनी के लिए जब तक कि उस कम्पनी के कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए रहने के मकानों के या उनके आराम के लिए या किन्हीं दूसरे कामों के लिए जमीन की जरुरत न हो तब तक वह हासिल नहीं की जा सकती थी। किसी कम्पनी के लिए या कोई कारखाना कायम करने के लिये कोई जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती थी। इस कानून के होते हुए भी कुछ अफसरों ने पुराने जमाने में काफी अन्याय किए, जबर्दस्ती लोगों की जमीनें ले लीं और उसका परिणाम यह हुआ कि जिस समय हमने संविधान बनाया, जिस समय हमने कांस्टीट्यूशन बनाया तो उसमें एक आर्टिकल ३१ रखा और उसमें खास तौर से यह प्रोवाइड किया गया कि कोई भी जमीन हासिल नहीं की जाएगी जब तक कि वह पब्लिक परपज के लिए न हो। जब कुछ रियायतों में कम्पनियों के लिये जमीनें एक्वायर की गईं और मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया गया कि इस तरह से जमीनें हासिल नहीं की जा सकती हैं।

आज कई राज्यों में होड़ लगी हुई है कि वे अपने अपने यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग-पतियों को बुलायें और उनको वहां उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनको

ऐसी टर्म्ज वे दे रही हैं .जोकि उनको वहां पर कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन का काम देंगी। उद्योगपति भी जहां कहीं जाते हैं कहते हैं कि हमें तो राजस्थान में आपसे ज्यादा सहूलियतें मिल रही हैं, फलां जगह ज्यादा मिल रही हैं, और आपके यहां तो कोई सहूलियतें ही नहीं हैं और आपको चाहिये कि और भी अधिक एट्रेक्टिव टर्म्ज आप हम को दें। इस तरह से वे सरकारों पर प्रेशर डाल रहे हैं, दवाब डाल रहे हैं कि वे उनको अधिक से अधिक सुविधायें दें और उसी का यह परिणाम है कि हमारे माननीय मंत्री जी पर यहां भी प्रेशर पड़ गया है और उस दवाब में आ कर वह इस बिल को यहां ले आए हैं। मैं समझता हूं कि उसी दवाब में आ कर उन्होंने इस विधयक को यहां उपस्थित किया है और आगे इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं, इसका अन्दाजा आज नहीं लगाया जा सकता है। फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर आज विचार कर लेने की जरूरत है। पन्त जी ने अभी बताया कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई इस पर विचार करने वाला नहीं है कि किसी कम्पनी के लिए कितनी जमीन ली जा रही है और उसको अमल में कितनी जमीन की आवश्यकता है। कम्पनी एक प्लान पेश कर देती है और कह देती है कि हम को दो हजार बीघे या चार सौ एकड़ चाहिये और जो तहसीलदार या कलैक्टर होता है, ये मिल कर के नोटीफिकेशन कर देते हैं कि इतनी जमीन उसके लिए एक्वायर की जाती है। कोई देखने वाला नहीं है कि आया इस सब जमीन की उसको जरुरत है या नहीं है। जब तक इस चीज की व्यवस्था न कर दी जाय कि कितनी जमीन वास्तव में कारखाना लगाने के लिये चाहिये, और क्या आस पास कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो कि काबिले काश्त न हो और जहां पर कारखाना लग सकता हो, और इसकी जांच कोई एक्सपर्ट कमेटी न कर ले तब तक मैं समझता हूं कि जो काश्तकार है और जिसकी जमीन ली जाएगी, उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। इस वास्ते इस चीज की जांच पड़ताल करने क लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिये। अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें बहुत ही वाइड पावर्ज अधिकारियों को दी हुई हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये और जमीन हासिल करने का जो अधिकार दिया जा रहा है, वह बहुत सोच समझ कर देना चाहिये। यह सही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देश का चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में कारखाने स्थापित हों। लेकिन साथ ही हमें देखना होगा कि किसान का किसी तरह भी अहित न हो, लोग जिन को हम ने उनकी जायदाद की सुरक्षा की गारन्टी दे रखी है अपने कांस्टीट्यूशन में उसकी अवहेलना न हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोगों पर आफत और मुसीबत आ पड़ेगी। इस वास्ते जब तक उनके लिए ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक इस तरह का प्राविजन इस में करना जल्दबाजी होगी। आगे जाकर इस में जो संशोधन रक्खे गये हैं कि प्राइवेट कम्पनी को शामिल नहीं किया जा सकेगा, उस के माने यह हैं कि दफा ४० और ४१, लैंड एक्विजिशन एक्ट, के मातहत किसी भी कम्पनी के लिये, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चाहे कोई कोआपरेटिव सोसाइटी हो या दूसरी सोसायटी हो, सिवा उन चीजों के जिन की डेफिनिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट में दी हुई है जैसे कि हरएक एम्प्लायी के लिये, हर एक वर्कमैन के लिये डवेलिंग हाउसेज के सम्बन्ध में, किसी के लिये भी लैंड एक्वायर नहीं की जायेगी। मेरे खयाल से यह चीज पास हो चुकी है, फिर भी जैसा कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है मैं समझता हूं कि इस में केवल पब्लिक परपज ही वे रखेंगे। और दूसरे जो काम होंगे उन के लिये इस एक्ट के मातहत जमीन नहीं ली जायेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा जमीन भी नहीं ली जानी चाहियें। रूल मैकिंग पावर में भी इस बात का प्राविजन कर दिया जाना चाहिये कि कम से कम

[श्री राधेलाल व्यास]

जमीन ली जायगी। अभी तो रूल मैकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आगे चल कर स्टेट्स के पास भी यह पावर्स हो गी। इसलिये इस में यह चीज सम्मिलित कर ली जानी चाहिये कि :

"राज्यों द्वारा बनाए गए नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से परिवर्तित माने जायेंगे ।"

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के पक्ष में, खेतिहर वर्ग के पक्ष में, एक निर्णय दिया, जिस के द्वारा राज्य का ध्यान और इस सदन का भी ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा निर्णय न हुआ होता तो इस सदन में दो तीन दिन से जो बहस चल रही है वह शायद न होती ।

आज यह देश समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार कर चुका है तब यह आवश्यक है कि इस देश में जो इतनी बड़ी संख्या में खेतिहर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं उन की जमीनों की रक्षा के लिये कार्य किया जाना चाहिये । यह भी सही है कि इस देश में निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इन निर्माण के कार्यों को चलाने के लिये उद्योगों के उत्थान का होना आवश्यक है। उद्योगों में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होना भी आवश्यक है। मैं इस के सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता कि पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है। इस के सम्बन्ध में न्यायाधीशों ने काफी विस्तृत रूप से वर्णन किया है और इस माननीय सदन के सदस्यों ने भी उस की काफी व्याख्या की है। लेकिन संविधान ने जिस तरीके से किसानों और खेतिहरों को रक्षा प्रदान की है, वह रक्षा इस सदन के द्वारा होनी चाहिये। इस के साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने विरोध के बाद भी उन्होंने इस तरह का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। परन्तु साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्होंने जो इस विधेयक को प्रस्तुत किया है वह केवल इस लिये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णयकिसानों के पक्ष में किया है, वह वास्तव में उन के विरोध में है।

मैं सदन के सामने नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस विधेयक को लाने से ही इस देश का काम नहीं चल सकता है, किसानों का काम नहीं चल सकता है । मूल कानून जो ६८ वर्ष पूर्व बनाया गया था उसे अंग्रेजों ने बनाया था। वे पूंजीपतियों के पोषक थे, सामन्तशाही के पोषक थे, इस लिये उन्होंने इस कानून को उस रूप में बनाया था। इस लिये जब तक उस कानून में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसे बदल कर दूसरा कानून समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं बना जायेगा तब तक किसानों की जमीन का अपहरण करने की जो व्यवस्था बनाई जाती है उस में सुधार नहीं हो सकता । यह अवश्य है कि जो संशोधित विधेयक लाया गया है उस से कुछ परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन से संतोष होता है लेकिन उस संतोष से किसानों का काम नहीं चल सकता। जिस स्थान पर पूंजीपति अपनी मशीनों को खड़ा करने के लिये, अपने कल कारखानों को खड़ा करने के लिये लाखों और करोड़ों रुपये का सामान विदेशों से मंगा सकते हैं, वहां अगर वे स्वयं किसानों से बातचीत कर के उन की जमीनों को लें तो अच्छा होगा । अगर वे अधिक पैसा देंगे तो किसानों को जमीनों के देने में तकलीफ नहीं होगी। जिन के पास खेत हैं उन को भी इस से कोई नुकसान नहीं होगा। और इस का निर्णय इस सदन के द्वारा और कानून के द्वारा होना आवश्यक है ।

दो आदमी जब कोई सामान खरीदने के लिये बाजार में जाते हैं तब बेचने वाला आदमी अपनी इच्छा के अनुसार , और बाजार भाव के अनुसार, उस सामान की कीमत मांगता है । यदि खरीदने वाला उतना दाम दे सकता है तो उस चीज को खरीदता है , नहीं तो चला आता है । आज जो किसान कुल आबादी के ८० या ८५ प्रतिशत हैं हिन्दुस्तान में, उन का अधिक भाग गरीब आदमियों का है । उन की जमीनों को कानून बना कर लेना कुछ न्यायसंगत नहीं मालूम होता है । हमारे संविधान में जब हरएक आदमी की जायदाद की रक्षा करने के सिद्धान्त का समावेश किया गया है , तब इस सदन का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कानून बनाये जिन से उन की रक्षा हो सके । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे एक आमल परिवर्तन वाला विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत करें , जिस के अन्तर्गत किसानों की जमीनों की रक्षा हो और संविधान द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की भी रक्षा हो ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । संविधान के अन्तर्गत ही यह विधेयक लाया गया है । इस में कोई असंगति नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी है कि जो कानून आप बनाते हैं उस की व्याख्या अदालतों में होती है, कचेहरियों के न्यायाधीशों के सामने होती है । अरोड़ा वर्सस यू०पी० सरकार का जो मुकदमा हुआ है, उस में न्यायालय ने अरोड़ा के पक्ष में ही अपना विचार व्यक्त किया । लेकिन संविधान ने जिस एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया है, उस न्यायालय के सामने न्यायाधीशों ने उसे असंगत माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया और एक नया फैसला दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आज हम और आप सब इस देश के सामने बैठे हुए हैं इस लिये मंत्री महोदय यहां पर केवल किसानों के हक वाले विधेयक लायें । जिस विधेयक का प्रभाव उन लोगों पर पड़ने वाला हो उस को बगैर उन की मर्जी के न लायें ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़—उत्तर): "सामान्य जनता के हित में" की जगह पर "सार्वजनिक प्रयोजन" शब्दों के रखे जाने का स्वगात करती हूं । यद्यपि "सार्वजनिक प्रयोजन" तथा दूसरी कम्पनी में परस्पर विभेद का करना मुश्किल, फिर भी इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

सरकार किसी कम्पनी की तरफ से भूमि अर्जन के सम्बन्ध में एजेन्ट का काम नहीं कर सकती । जो संशोधन किए जाने हैं वे निश्चय ही अधिनियम की प्रस्तावना के तदनूरूप होने चाहिएं जो विद्यमान विधि की भावना है और जिसे संविधान के अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत अपवदित रखा गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय , तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए जहां कृषि की उपज को और अन्य साधनों को बढ़ाने के लिए कुछ व्रत लिए हैं वहां साथ ही साथ देश के औद्योगिकरण के लिए भी हमने व्रत लिया है । पिछली जो दो पंचवर्षीय योजनाएं अभी समाप्त हुई हैं उन में यह देखा गया है कि कृषि उपज को बढ़ाने के लिए और औद्योगिकरण के लिए जितने भी साधन हैं उन में आपस में टकराव की स्थिति अब तक नहीं आयी । यह पहली ही स्थिति है जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने जा रही है, उस के पहले कदम पर ही एक ऐसा विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है जिस में आपस में टकराव की आशंका है ।

मैं बड़ी नम्रता से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ ऐसी आदत धीरे धीरे पड़ती चली जा रही है कि सामान्य निर्वाचनों के बाद जो पहला वर्ष होता है उस में जो विधेयक उपस्थिति किये जाते हैं, या जो टैक्स लगाए जाते हैं वे ऐसे होते हैं जो सामान्य जनता के कन्धों पर अधिक बोझ बनें । उसी आधार पर इस विधेयक को सामान्य निर्वाचनों के पश्चात्

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उपस्थित भी किया गया है जिसका सामान्य नागरिकों, विशेषकर कृषकों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह भयंकर होगा। यह मेरा अपना अनुमान है और मैं ने कई स्थानों पर इस प्रकार के दृश्य भी देखे हैं।

अभी हरिद्वार के निकट एक बहुत बड़ा हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना, बनने जा रहा है जिस के लिये भूमि उपलब्ध करने में दस पन्द्रह गांवों को उजाड़ा जाएगा। पिछले दिनों जब मैं उस ओर गया तो किसानों के प्रतिनिधि मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सारा हाल बताया। उन्होंने सरकार को कई ज्ञापन भी इस विषय में दिए हैं और एक ज्ञापन उन्होंने मुझे भी दिया है। मैं ने स्वयं वहां जाकर अपनी आंखों से उसे देखा भी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जिन दस पन्द्रह गांवों को उजाड़ कर यह कारखाना बनाया जाएगा और जिसका हजारों किसानों के परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं गांवों के समीप उसी जमीन से लगता हुआ एक बहुत बड़ा फार्म है, जिस में दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है उस जमीन पर क्यों यह कारखाना नहीं बनाया जाता। लेकिन वह फार्म एक मिनिस्टर का है और हमारी सरकार की यह नीति बनती जा रही है कि वह जब भी हाथ डालती है तो गरीब और निर्धन व्यक्तियों पर हाथ डालती है, सम्पन्न व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करती।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि वे जिन गांवों को उजाड़ कर उनके स्थान पर यह हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स का कारखाना बनाया जा रहा है, उसके ही बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क बनाने के लिये जमीन ली है और उसका कम्पेन्सेशन दिया है। उस कम्पेन्सेशन में और जो कम्पेन्सेशन हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स के कारखाने के लिये ली गयी जमीन के लिये दिया गया है बहुत बड़ा अन्तर है। तो उन किसानों का कहना है कि हमको उसी हिसाब से अपनी जमीन का मुआवजा दिया जाये जिस हिसाब से कि उस जमीन का उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था जो कि सड़क के लिये ली गयी थी, अगर ऐसा भी नहीं किया जाता तो इस जमीन के बगल में जो खाली जमीन है वह हमको दे दी जाये, और अगर ऐसा भी नहीं किया जाता है तो बजाय इसके कि इन गांवों को उजाड़ा जाये, जो एक बड़ा फार्म इस जमीन के निकट है उस पर यह कारखाना बना दिया जाये। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा सरकार निर्धन और गरीब आदमियों पर ही हाथ डालती है और उसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक में, उसको थोड़ा नरम दिखाने के लिये, कोआपरेटिव सोसाइटीज की भी चर्चा की गयी है कि उनके बनाने के लिये भी इस प्रकार की भूमि एक्वायर की जायेगी और उस भूमि पर अधिकार किया जायेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये जिन भूमियों पर अधिकार किया जायेगा उन किसानों का उन कोआपरेटिव सोसाइटीज में क्या भाग होगा, या जिस कारखाने के लिये उनकी भूमि ली जायेगी उस कारखाने में उनका क्या भाग होगा जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का सुख के साथ पालन कर सकें। लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन इस बिल में नहीं है।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम तंत्र शासन बनाते हैं तो जनतंत्र की दुहाई देते हैं और समाजवादी समाज रचना का नारा भी लगाते हैं। लेकिन क्या कृषि मंत्री अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि यह विधेयक समाजवादी समाज रचना में सहायक हो सकता है और इससे जनता की भावनाओं का निरादर नहीं होगा। परसों से इस विधेयक के संबंध में चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि जहां कृषि मंत्री महोदय और अनेक विषयों के ज्ञाता हैं वहां जन भावनाओं के भी ज्ञाता हैं। यदि वह जन भावनाओं का सचमुच आदर करते हैं तो जो विचार इतने सदस्यों के मस्तिष्कों से निकले हैं उनको देखते हुये इस विधेयक को भविष्य के लिये स्थगित कर दें, और यदि इतने

भाषणों को सुनने के पश्चात् भी और इतने सदस्यों के विचारों को जानने के पश्चात् भी वह इस विधेयक को स्वीकृत कराते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझ इन शब्दों के कहने की आज्ञा दें कि जनता की भावनायें इससे निकल जायेंगी और केवल तंत्र की भावना इसमें रह जायेगी और जो शासन तंत्र मात्र बन कर ही चलाये जाते हैं वे निरंकुश होते हैं और किसी देश के लिये निरंकुश शासन सुख का कारण नहीं हो सकता।

इसलिये मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास कराने में जल्दबाजी से काम न लिया जाये और जनता की राय जानने के लिये इसको प्रचारित किया जाये और इस समय इस विधेयक को स्थगित किया जाये।

श्री १० शि० पण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, कल और इसके पहले दिन लैंड ऐक्वीजीशन अमेंडमेंट बिल पर जो बहस हुई उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक इस प्रकार की धारणा कुछ बनती जा रही है या बनती गई कि आनरेबुल मिनिस्टर ग्रोफ फुड एंड एग्रीकलचर कुछ कैपटेलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट्स की मदद करने के लिये यह विधेयक लाये हैं। मैं समझता हूं कि जितने आइडियाज और सैंटोमेंट्स किसानों के लिये, एग्रीक्लचरिस्ट्स के लिये इस हाउस के आनरेबुल मेम्बरान की तरफ से आये उन से ज्यादा पाटिल साहब ने जो फुड एंड एग्रीक्लचर मिनिस्टर हैं, अपने ३०-३५ वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जिसमें २० वर्ष मैं जानता हूं कि उन्होंने उनके लिये कहे हैं। जहां किसानों के हित की बात हो, जहां किसानों के लैंड की बात हो, एग्रीक्लचर के इम्प्रूवमेंट को बात हो, उन सब से उनका सीधा संबंध है, सीधे हृदय से संबंध है और उस तंत्र से भी संबंध है। दोनों से उनका संबंध है। आज जिस टैक्निकल टर्मिनौलोजी के आधार पर मिनिस्टर साहब को यह सब बात सुननी पड़ रही है और जो एक हाहाकार मचा हुआ है मैं समझता हूं कि उनकी आत्मा को इससे दुःख जरूर पहुंच रहा होगा। अब यह कोई अकेले पाटिल साहब का डिसीशन नहीं है जोकि यह विधेयक सदन में आया है। यह तो कैबिनेट का डिसीशन है गवर्नमेंट ऐज ए होल का डिसोशन है। जिस वर्डिंग और जिस टर्मिनाल्जी पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन हुआ उससे ६८ वर्ष के इतिहास का एक नया नमूना हमारे सामने आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लांड एकोनामी में अगर आप को इंडस्ट्रियल उद्योग को बढ़ाना है जैसा कि आपने उद्योग का सिद्धांत स्वीकार किया तो मैं आप से कहता हूं कि यह चिन्ता तो उनको होनी चाहिये उस मिनिस्टर को होनी चाहिये जो कि लाइसैंसेज इश्यू करते हैं और जिन्होंने कि प्लानिंग बनाई है। इंडस्ट्रीज के संबंध में जितना पाटिल साहब को क्रिटिसाइज किया गया है जाहिर है कि कोई ताल्लुक उनसे नहीं आता है। ताल्लुक आता है सिर्फ लैंड में, लैंड इम्प्रूवमेंट के संबंध में, किसानों के हित के संबंध में जैसे कि फर्टिलाइजर है, पानी है या उनकी चकबन्दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बारे में जितना किया है वह बहुत तारीफ की बात है।

जहां तक देश के औद्योगीकरण की बात है एक बात यहां बिलकुल स्पष्ट हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि चाहे प्राइवेट सैक्टर हो और चाहे पब्लिक सैक्टर हो, जहां तक उद्योगीकरण का संबंध है, वहां तक कोई फर्क नहीं है। जहां तक परपज का संबंध है वहां कोई अन्तर नहीं है अलबता परसन का अन्तर हो सकता है।

अगर यह हाउस समझता है कि प्राइवेट सैक्टर के अन्तर्गत इंडस्ट्रीज आती हैं उनमें मुनाफाखोरी है, उनमें भ्रष्टाचार है और वह देश की सेवा नहीं कर सकतीं तो इस सदन को इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अधिकार है। उसके लिये एक बिल यहां आना चाहिये। वह बिल जिस दिन आयेगा वह दिन इस देश के लिये स्वर्ण दिन होगा जबकि हम यह फैसला करेंगे कि हम सोशलाइजेशन चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं और हम नेशनलाइजेशन चाहते हैं। हम जनता के हित मे यह सब करना चाहते हैं किसी प्राइवेट इंटरप्राइज को, किसी प्राइवेट परसन या फैमिली को यह

[श्री रा० श० पाण्डेय]

अधिकार नहीं होगा कि वह इंडस्ट्रीज चलाये और मुनाफाखोरी करे। वह दिन इस देश के लिये एक मुबारक दिन होगा। लेकिन जब तक यह स्थिति है कि आप प्लांड एकोनामी में प्राइवेट सैक्टर को शैल्टर देते हैं लाइसेंसेज देते हैं, प्राइवेट कम्पनीज और प्राइवेट सैक्टर का जो इनवैस्टमेंट है करीब करीब ७५ परसेंट या तो पब्लिक का है या सरकार का है। यह लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंस, लोन और इक्विटी शेयर्स का जो पैसा आता है वह सरकार से आता है और वह इसलिये शायद आता है कि प्लानिंग का एक टार्गेट मीट करना चाहते हैं। प्लानिंग में जो आप उत्पादन करना चाहते हैं और जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिये दो ही लौजिक्ल प्रौसेस हैं एक तो मिकैनिकल प्रोसेस और दूसरा बाइलौजिक्ल प्रोसेस है। अब बाइलौजिक्ल प्रोसेस तमाम खेती के संबंध में आता है और मिकैनिक्ल प्रोसेस इंडस्ट्री में आता है। एक तरफ इंडस्ट्रीज की भी दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ खेती भी चाहते हैं। जब इस टेकनिकल टर्मिनाल्जी से यह अन्तर पैदा हुआ यह मतभेद पैदा हुआ तो वहां पर किसी एक इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, मैं तो कहूंगा कि इस हाउस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ जो सैंटीमेंट एक्सप्रैस किया गया है अगर यह ठीक है तो मैं आनरेबुल मेम्बर्स से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट सैक्टर को खत्म करने के लिये एक बिल जल्द लाना चाहिये। अगर प्राइवेट सैक्टर को आप नहीं चाहते और यह सदन नहीं चाहता तो एक बिल ले आइये और इस सैक्टर को खत्म ही कर दीजिये। परपज हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, परपज हमारा औद्योगीकरण का है अब अगर आप समझते हैं कि पर्सन ठीक नहीं हैं तो उनकी संख्या तो कम है उसका इलाज आप के पास है। यह सुप्रीम कोर्ट ला मेकिंग बौडी है और विद वन स्ट्रोक आफ पैन उसका फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर आप का परपज देश के औद्योगीकरण का नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसको चेंज कर दिया जाय।

मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां केवल खेती होती है जिस का कि नाम गुना है। यहां दो रा मैंटीरियल होते हैं एक भूसा और एक ग्रास। यह दोनों करीब करीब बेकार जाते हैं। मुझसे लोगों ने कहा कि यहां पर कोई इंडस्ट्री लाइये। मैंने कोशिश की। मैंने बम्बई के मित्रों से कहा भूपाल के मित्रों से कहा कि भाई ऐसा रा मैंटीरियल जो यहां पर एवेलबुल है अगर उसकी आप इंडस्ट्री ला सकते हैं तो लाइये। हमारे लड़के जोकि स्कूल, कालिजों से निकलते हैं चूंकि गांव में इंडस्ट्रीज नहीं हैं इसलिये वे लड़के शहरों की तरफ गांवों से दौड़ते हैं, नौकरी के लिये दौड़ते हैं। अब हर एक आदमी यह चाहता है कि चीज उसके बहुत नजदीक जहां वह रहता है जहां उसका गांव है वहां इंडस्ट्रीज भी हो। इसलिये जहां देश को इंडस्ट्रियलाइज करने की बात है वहां पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की भी बात है। मैं हर एक आनरेबुल मेम्बर के उस सैंटीमेंट की कद्र करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि जितनी भी प्रौफेटेयरिंग या एक्सप्लायटेशन आज चलता है वह कतई बन्द हो। अगर समाजवादी समाज की रचना हम करना चाहते हैं तो यह होना जरूरी है। बेशक यह सारे सिद्धांत जो नैसर्गिक सिद्धांत हैं, मानवीय सिद्धांत हैं और इंसानियत को ऊपर उठाने की बात है। मैं चाहता हूं कि यह प्राफिटियेरिंग बन्द होनी चाहिये और तमाम करप्ट प्रैक्टिसेज बन्द होनी चाहियें।

अगर आप चाहते कि हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में पीछे न रहे, आप सारी चीजें चाहते हैं, आप प्लान भी चाहते हैं, कपड़ा भी चाहते है, पंखा भी चाहते हैं, मकान भी बनाना चाहते हैं और रोड्स, ट्रेंस और कम्युनिकेशंस भी चाहते हैं और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं तो आपको एक महज सैंटीमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसान के साथ जितनी हमदर्दी आप को हो सकती है वह सब को हो सकती है। अगर किसान की एक इंच जमीन ली जाती है तो बेशक उसे उचित मुआविजा मिलना चाहिए। मैं तो आनरेबुल मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि कम्पेंसेशन एक मुश्त न दिया जाकर लीज बेसिस

पर दिया जाय। अब चाहे वह ९९ वर्ष का हो, २०० वर्ष का हो या २५० वर्ष का हो लेकिन मुआविजा लीज सिस्टम पर बेस्ड हो ताकि उसको एक कंटीनुएल सोर्स आफ इनकम मिलती जाय। हो सकता है कि एकदम मुआविजा अगर उसको दिया जाये तो उसका पैसा खर्च हो जाय और बाद में उसे मुसीबत का सामना करना पड़े क्योंकि उसके पास खेती के अलावा दूसरा कोई धंधा होता नहीं है। उसको लीज़ की बेसिस पर मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान की जमीन जोकि इन दी नेम ऑफ इंडस्ट्री जाती है और इन दी नेम ऑफ डेवलपमेंट जाती है तो ऐसा तो न हो कि उसकी एकोनामिक कंडीशन कौलैप्स हो जाये और उसके बालबच्चे दुखी हो जांयें। मैं निवेदन करूंगा कि जो लैंड ऐक्वायर हो जिस किसान से आप इंडस्ट्री के लिए लें तो उसको आप आलटरनेटिव लैंड भी दें। जहां आलटरनेटिव लैंड हो वहां उस किसान को बतौर मुआविजे के दे दिया जाय। लीज के साथ साथ आलटरनेटिव लैंड भी उनको दिया जाये।

अब यह बिल तो पास होगा ही। जैसा कि हाउस की मंशा है एक क्लाज में कहा गया है कि यह अधिग्रहण प्राइवेट कम्पनिज़ के लिए नहीं करेंगे। ठीक बात कही है। यह इसलिए कहा गया है कि प्राइवेट कम्पनी बहुत बड़ी हो सकती है इसलिए हमने उसको साफ कर दिया। हम ने कहा है कि जो इंडस्ट्री बैलेंस शीट लेकर पब्लिक के सामने आती है जिसके कि लिए हमारे पास हक है कि हम उसको ऐग्जामिन कर सकें, स्क्रुटनाइज कर सकें उस पब्लिक कम्पनी को हमने लिया है लेकिन प्राइवेट कम्पनी बड़ी होते हुए भी उसको हमने इस के अंदर शामिल नहीं किया है। इस सिद्धान्त को हमने स्वीकार किया है। मैं श्री पाटिल साहब को इसके लिए बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के टर्मिनालिजी के बारे में फैसला देने से जो एक स्थिति पैदा हुई उसको दुरुस्त करने के लिए वह बड़े साहस के साथ यह बिल लाये। वह भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और सारा देश भी यही चाहता है कि देश में एग्रीकलचर भी बढ़े और इंडस्ट्री भी बढ़े।

श्री जसवन्त (थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले दो दिनों में हुई बहस के दौरान भूमि अर्जन संशोधन बिल के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय बताई है। इस बिल के अंदर पाटिल साहब ने कहा है कि उद्योग धंधों के लिए ज़मीन हासिल करने में जो कठिनाई पेश आती है उस कठिनाई पर काबू पाने के लिए इस संशोधन बिल को लाया गया है। मगर जो उद्योगपति इंडस्ट्रीज़ कायम करने के लिए ज़मीन की मांग करते हैं, मैं समझता हूं कि राजधानी में उन का हैड आफिस होना ज़रूरी है। बहुत सारे उद्योगपतियों के हैड आफिस राजधानी में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी मांग कभी नहीं रखी कि हम को हैड आफिस के लिए प्रैजेन्ट मार्केट रेट और उस के ऊपर पंद्रह परसेंट के हिसाब से कोई मकान दिलवाया जाये। मैं समझता हूं कि यहां पर प्रैजेन्ट मार्केट रेट से पंद्रह परसेंट ज्यादा दाम देने से भी जो कठिनाई होती है, उस के पीछे कुछ अलग हेतु हैं।

मैं मानता हूं कि जिस शहर में कुछ गज़ के हिसाब से भूमि बिक रही है, वहां भूमि का भाव पांच रुपये से पचास रुपये गज़ तक चलता है। वहां तो उद्योगपति एक्वीज़ीशन का प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन जहां कुछ गरीब लोग हैं, उन की भूमि के लेन-देन के हिसाब रजिस्ट्रेशन से निकालते हैं और जहां पांच साल का ऐवेरेज पांच- छः आठ आने गज़ तक आता है, वहां वे एक्वीज़ीशन डाल देते हैं। इस प्रकार वे गरीबों की भूमि छीनने के लिए एक्वीज़ीशन के कानून का फ़ायदा उठाते हैं।

[श्री जसवन्त]

मैं बम्बई के बिल्कुल समीप रहता हूं और मेरी कांस्टीट्युएन्सी भी वही है। मैंने वह भी देखा है कि बम्बई सबर्बन में तो पचास रुपए गज़ का भाव चलता है, लेकिन बम्बई के नज़बीक जो डिस्ट्रिक्ट है, दो, तीन, पांच मील दूर जो खेड़ा गांव है, वहां पांच साल का ऐवेरेज सिर्फ़ पांच छः आने गज़ तक आता है। इस अवस्था में बम्बई का वह उद्योगपति बम्बई की पचास रुपए गज़ की ज़मीन को छोड़ कर उस क्षेत्र में एक्वीज़ीशन डाल देता है, जहां का पांच साल का ऐवेरेज़ केवल पांच छः आने गज़ तक आता है। कुछ ऐसे आफिसर भी होते हैं, जो इस काम में उन को सहयोग देते हैं।

माननीय मंत्री, श्री पाटिल, ने कहा कि जब तक पासिबल है, तब तक हम अच्छी भूमि, पैदावार वाली भूमि नहीं लेंगे, मगर आज-कल तो यह सिद्धान्त नहीं माना जाता है। हम देखते हैं कि जिस भूमि में हिल्ज़ और ड्रेनेज होती हैं, जहां लैवलिंग करने की आवश्यकता होती है, उस को आमिट कर के अच्छी और फ्लैट भूमि पर एक्वीज़ीशन डाल दिया जाता है और ऐसी अच्छी भूमि छीन ली जाती है।

यह बात भी देखने में आती है कि जब कोई एक्वीजीशन शुरू होता है, तो फ़ैक्ट्री वाले उद्योगपति के मैनेजर साफ कहते हैं कि हम आप सब लोगों को नौकरी दिलवायेंगे, आप का काम धंधा अच्छी तरह से चलेगा और जिस प्रकार आप खेती करते हैं, उस से भी अच्छी ढंग से और बड़ी खुशी से आप जीवन व्यतीत करेंगे। आज़ादी के बाद चौदह साल से उद्योगपति कृषकों की भूमि एक्वायर करा के कारखाने स्थापित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बात की जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि इस समय ऐसे कितने आदमी फ़ैक्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, जिन की ज़मीने एक्वायर की गई थीं। दुर्भाग्य की बात है कि भूमि तो एक्वायर कर ली जाती है और कुछ भूमि तो सात आठ आने गज़ के हिसाब से चली जाती है, लेकिन टैक्निकल आदमी न होने के कारण उन लोगों से मिट्टी उठाने का काम कराया जाता है और जब कोई क्लैरिकल काम न आता है, तो उन को हटा दिया जाता है। इस का परिणाम यह होता है कि वे लोग भूमिहीन भी हो जाते हैं और उद्योग में भी उन को स्थान नहीं मिलता है।

दुख से कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र में प्राहिविशन लागू है और कई दफ़ा वे लोग प्राहिविशन का ही काम करने लग जाते हैं। जब फ़ैक्ट्री में बारह महीने काम करने वाले मज़दूरों को दो तीन महीने का बोनस दिलवाया जाता है, तो जिन लोगों ने हजारों वर्ष से भूमि को अपनी मां समझ कर अच्छी तरह से रखा, उन भूमि के मालिकों को प्राहिविशन का धंधा करने की नौबत आ जाये, इस से खराब बात और कोई नहीं हो सकती है और इस लिए यह ज़रूरी है कि जिस तरह मालिक अपने कारीगरों को बोनस देते हैं, वैसे ही अगर भूमिधरों को कुछ बोनस दिया जाये और किराये में उनको रियायत दी जाये, तो यह एक ठीक बात होगी।

इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। सैंट्रल रेलवे के बाजू में थाने के बिलकुल नज़दीक नैशनल मशीनरी फ़ैक्ट्री के नाम से एक कारखाना खोला गया है। वह भूमि बहुत सस्ते भाव पर ली गई है। मैं समझता हूं कि अगले सौ साल में भी उस भूमि पर कारखाना नहीं कायम हो सकेगा। बारा साल में अभी तक पच्चीस प्रतिशत जगह भी कारखाने ने आकुपाई नहीं की है। जिस भूमि पर पच्चीस और तीस मन प्रति-एकड़ के हिसाब से धान पैदा होता था, वहां की पचहतर परसैंट भूमि अभी आकुपाई नहीं हो पाई है। वहां दस दस एकड़ में क्वार्टर बन गए हैं और दो तीन सौ एकड़ जगह वैसे ही आकुपाई की गई है।

प्रश्न यह है कि जब प्रैजेन्ट मार्केट रेट और पंद्रह टका ज्यादा मिलता है, तो जिस ज़मीन का भाव पचास रुपए गज़ तक है, उस को क्यों नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की भूमि के मालिक को प्रैजेन्ट, माकट रेट नहीं मिलता है। मैं फ़ूड मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ ऐसा इन्तज़ाम करें कि ज़मीन एक्वायर करनी हो, उसके आस-पास पांच दस मील तक की ज़मीन का भाव दृष्टि में रखा जाये और उसका ऐवेरेज निकाला जाये। उद्योगपति ऐसी भूमि के पास आने वाले नहीं हैं। वे ऐसी भूमि की एक्वीज़ीशन कराने की कोशिश नहीं करते।

मैं कृषि मंत्री का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो कायदा इस समय आया है, वह किसान के बिल्कुल खिलाफ है, किसान को मिट्टी में मिलाने वाला है, किसान को उसका पोषण करने वाले विजिनेस से हटाने वाला है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि उचित प्रकार से यह निश्चय किया जाये कि कौन सी जगह फ़ैक्ट्रीज़ के लिए सूटेबल साइट है और तैक्निकल दृष्टि से इस बात की जांच की जाये कि किसी फैक्टरी के लिए कितनी जगह ली जानी चाहिए और उतनी ही जगह दिलवाने की कोशिश की जाये। अगर ऐसा किया जायेगा, तो किसान की प्राबलम ख़त्म हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, श्री पाटिल, की जिस तरह से सब लोग आलोचना कर रहे हैं, वह देख कर मुझे दया आई है।

एक माननीय सदस्य : स्त्रियों में दया-भावना अधिक होती है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय को किसानों पर बहुत श्रद्धा है और मुझे मालूम है कि वह कई सालों से किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यद्यपि माननीय सदस्य उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जितनी जलन हमारे हृदय में है, उनके हृदय में उससे भी बहुत अधिक जलन होगी, क्योंकि वह मालिक हैं।

इसके बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है, ख़राब हो रहा है और वह माननीय मंत्री के डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है। ज़मीन चली जाती है और डिपार्टमेंट नाता-कतबन जाता है। दूध देने वाली अच्छी गाय का चारा निकलता जा रहा है। हम उस चारे की रक्षा के लिए और कृषि की उन्नति के लिए चिन्तित हैं। हम उनके लिए तड़प रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इस बात का ख़याल रखना चाहिए।

अभी अभी बम्बई के जो भाई बोले हैं, उन्होंने बहुत सुन्दर प्वायंट्स सदन के सामने रखे हैं। मैं भी वही बातें कहना चाहती हूं। आज किसानों के पास दो दो, चार चार एकड़ जमीन है। अगर सरकार उसको छीन लेती है, तो पीढ़ियों तक उन लोगों की जिन्दगी बर्बाद हो जाती है। उस ज़मीन के लिए उनको जो हज़ार, दो हज़ार रुपये दिये जाते हैं, वे एक हज़ार ख़त्म होने पर, ख़र्च होने पर दिए जाते हैं, उससे पहले नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से हाईवेज़, कारखानों और रेलवेज़ के लिए ज़मीन ली गई, लेकिन कई साल गुजर जाने पर भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए रुल्ज़ में यह होना चाहिए कि ज़मीन लेने से पहले, एक्वीज़ीशन करने से पहले, ज़मीन के मालिक के पास पैसे पहुंच जाने चाहिए और उसको ज़मीन के दाम लेने की व्यवस्था पहले करनी चाहिए।

क्या सरकार छोटा घर उजाड़ कर बड़ा घर बनाना चाहती है ? यहां पर लोग "उद्योग", "उद्योग" चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या खेती उद्योग नहीं है ? इसमें उद्योग ज्यादा बड़ा है। जितने भी उद्योग हैं, उन सबकी मां किसान है। किसान ही उद्योगों को चलाने के लिए रा मैटीरियल देता है।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

अगर रा मैटीरियल न मिले तो उद्योग चल नहीं सकते हैं। आप इन उद्योगों के लिए उसी तरह से जमीन ले रहे हैं जिस तरह से जो दामाद होता है वह अपने ससुराल वालों की धन सम्पत्ति को खैरात में दे देता है। मुफ्त के भाव पर आप उनकी ज़मीन को ले लेंगे और इन उद्योगपतियों को दे देंगे। इन उद्योगपतियों को छेड़ने में आपको डर लगता है लेकिन जो किसान है, उसकी आप कोई परवा नहीं करते हैं। सत्तर परसेंट जो खर्चा आप करते हैं, वह किसान देता है और किसान के लिए आप कुछ भी नहीं देते हैं। जितना धन आप वसूल करते हैं उसका सत्तर प्रतिशत वह देता है और आप उसके लिए केवल १४ प्रतिशत भी नहीं अलग रखते हैं, उसको नहीं देते हैं। सब उद्योगों से बड़ा कृषि उद्योग है, वह सब उद्योगों का गुरू है। इस उद्योग का नाश आप न करें उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर। अगर आपने उसकी जमीन ले ली तो उसके बैल चले जायेंगे, सब कुछ उसका चला जाएगा और जो कुछ बच भी रहेगा वह भी खराब हो जाएगा। दस रुपये के माल का उसको दो रुपया भी नहीं मिलेगा। वह बरबाद हो जाएगा। हमारे बम्बई वाले भाई ने बहुत ही सुन्दर बात कही है और उसको आपको मान लेना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि आप किसान को प्रिवी पर्स दें। मेरा कहना यह है कि कम्पेंसेशन का आधार पैसा उसको पहले आप दिलवा दें और उसके बाद २५–५० साल के लिए पैसा आाप उद्योग से उसको दिलवाते रहें और उद्योग को यह पैसा देने में कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका मुनाफा उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। इस तरह की चीज आप रुल्ज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं। या इस बिल में इसको कर सकते हैं। जो खेती करते हैं, उनके खानदान में जो औरतें होती हैं वे भी मर्दों के साथ साथ खेतों में काम करती हैं और इनकी मेहनत का लाभ भी किसान को मिलता है। अगर किसान की जमीन उससे ले ली गई तो ये सब औरतें बेकार हो जाएंगी, उनको करने के लिए कोई काम नहीं रह जाएगा। उद्योगों में आदमियों को तो चपड़ासी के तौर पर रख लिया जाता है लेकिन ये जो बहनें हैं, इनको किसी काम में भी नहीं रखा जा सकता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जमीन लेने से पहले तमाम खानदान के लिए काम धंधे की आपको व्यवस्था कर देनी चाहिए, बच्चों की पढाई लिखई की व्यवस्था कर देनी चाहिये। और जब ऐसा हो जाए तभी आपको उसकी जमीन को लेना चाहिये।

मैं आपको एक और सुझाव दे.. चाहती हूं जिससे आपको ज़मीन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल तो दस दस मंजिला कारखाने बन सकते हैं। एक मंजिला कारखाना ही न आप बनायें बल्कि आससमान के नीचे और धरती के ऊपर जो स्पेस है उसका भी उपयोग आप आठ दस मंजिला इमारतें कारखानों के लिए बना कर कर सकते हैं। यह जो जगह है यह कारखाने वालों को मुफ्त में ही मिल सकती है।

मैं मानती हूं कि मंत्री जी को भी किसान की ज़मीन लेने से दर्द होता है। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है, उसको भी आपको देखना चाहिये। किसान की अच्छी अच्छी ज़मीन तो आप ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में उसको आप पथरीली ज़मीन देते हैं, पहाड़ों पर जाकर ज़मीन देते हैं। इससे उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वे रोते हैं और कोसते रहते हैं। वे कहते रहते हैं कि कैसी गवर्नमेंट आई जिसने हमारी ज़मीन ही ले ली, हमको बरबाद करके रख दिया। यह नहीं होना चाहिये। इससे बड़ी गड़बड़ी फैलती है। मैं चाहती हूं कि आप इस बिल को एक सैशन के लिए पोस्टपोन कर दें और इसको पास करवाने में जल्दबाजी न करें। ऐसा करने से नुक्सान होगा। पाटिल सहब क्यों नहीं इसको समझ रहे हैं, मैं नहीं जानती हूं। कोई दबाव उन पर पड़ा है, यह भी मैं नहीं जानती हूं। अगर आपने किसान की जमीन ले ली तो आपको ही दिक्कत महसूस होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस तरह से एक तरफ आपको मुश्किल होगी और दूसरी तरफ किसान तमाम नाराज हो जायेंगे। आपकी ताकत किसान ही हैं। कोई आपको मदद नहीं देता है, किसान ही

देता है । इतनी गड़बड़ी करने के बाद भी जब वोट का वक्त आता है तो वह अपना वोट आपको ही देता है । आज यहां प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र का मतलब मैजोरटी का राज्य होता है । लेकिन आज ऐसा मालूम हो रहा है कि मैजोरिटी के पीछे शैतान लगा हुआ हैं यहां पर । इसी शैतान के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं ।

मैं पिछले पन्द्रह दिन यहां नहीं थी, अपनी कंस्टिट्युएंसी में गई हुई थी । वहां पर मैंने देखा कि पीने का पानी नहीं है, बावली नहीं है । इस तरह की चीजों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है, इस तरह की चीजों को आप क्यों नहीं सोचते हैं ।

मेरा प्वाइंट इतना ही है कि अगर आप उसकी जमीन को ले लें तो सारी व्यवस्था उसके लिए आप क , उसके खानदान के लिए आप करें । उनको पचास सौ साल तक कारखानों से मनसब बिना कुछ काम किये हुये मिलती रहनी चाहिये जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में होता था । ये जो तमाम चीजें हैं, इनको आपको रुल्ज़ में प्रोवाइड कर देना चाहिये । अगर आपने यह सब कुछ नहीं किया तो जो नतीजा होगा वह अच्छा नहीं होगा ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैंने जो प्रातः वक्तव्य दिया था उससे काफी बातें स्पष्ट हो गई थीं । कुछ बातें अस्पष्ट हैं । वह अब जो मैं कहूंगा उससे स्पष्ट हो जाएगी ।

कुछ लोग ऐसे हैं जो यह महसूस करते हैं कि यदि मैं इस विधेयक को अभी वापस ले लूं तो जो भी लाभ किसानों की ओर से कहा जाता है वह उन्हें मिलेगा । यदि ऐसा हो तो मेरे से अधिक ऐसा करने में कोई प्रसन्न नहीं होगा ।

परन्तु यह बात इतनी आसान नहीं है । यदि इस विधेयक को वापिस लिया जाए तो अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा । यदि ऐसा भी होने दिया जाए तो इस अधिनियम के अन्तर्गत जिसका हम संशोधन कर रहे हैं राज्य सरकार वे सब कुछ प्राप्त कर सकेगी जो हम ऐसा नहीं चाहते । ज्योंही सर्वोच्च न्यायालय ने अरोड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में निर्णय दिया शीघ्र ही प्रत्येक अन्य सरकार ने यह समझ लिया कि अध्याय ७ के अन्तर्गत किसी चीज का लेना खतरनाक था क्योंकि वे मामले न्यायालयों में पड़े रहेंगे और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । अतः वातानुकूलित संयंत्रों के लिए भूमि का अर्जन किया है । उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि ऐसा किया जा सकता है । कोई प्रतिकर भी नहीं है यह मामला न्यायालय में भी नहीं जा सकता । अत : मैं यह चाहता हूं कि ऐसी चीजें न होने दी जाएं ।

खण्ड २ और ३ के सम्बन्ध में नियम बनाने के उपरान्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उनका ध्यान रखा जाए । यदि उन ध्येयों को न पूरा किया जा सके तो हमें नियम बदलने होंगे । यदि वह संभव न हो तो हम राज्य सरकार की सलाह से सारे अधिनियम का संशोधन कर सकते हैं जिससे वे सब बातें की जा सकती है जो सदन चाहता है ।

मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि कृषि के योग्य अच्छी भूमि नहीं दी जाएगी । कोई हजारों में से एक मामला ऐसा होगा जिसमें ऐसा करना भी पड़े । मैं अच्छी खेती के योग्य भमि को खेती के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए लिया जाना असम्भव कर दूंगा । बनाये जाने वाले नियमों के अन्तर्गत भूमि अर्जन के पुराने मामलों की पुनः जांच किये जाने की संभावना रहेगी ।

अतः सदन को किसी बात पर डर नहीं होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

मैं सूची संख्या २ में सशोधन संख्या ५ और ६ को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं संशोधन संख्या ४ को ले रहा हूं। मैं सूची संख्या ११ के संशोधन संख्या ४२ और ४३ को प्रस्तुत कर रहा हूं और सूची संख्या १८ की संशोधन संख्या ६२ और ६३ को भी प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सार्वजनिक प्रयोजन से सम्बन्ध रखता है।

यदि सभा यह चाहती कि प्रतिकर का भुगतान बाजार मूल्य में पच्चीस प्रतिशत जोड़ कर उसके आधार पर दृढ़ किया जाए तो वसा किया जा सकता है, परन्तु इस समयय ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि विधेयक में की जाने वाली प्रस्तावनाओं में यह नहीं है। इस विधेयक में तो हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रतिकर का मामला न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

अधिनियम १८९४ की धारा २३ में भूमि अर्जन के लिये प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के लिये शर्तें दी गई हैं। कस्बों और नगरों में भूमि का बाजार का मूल्य जानी हुई बात होती है।

फिर यदि कोई हानि हुई हो तो मूल्य उसमें जोड़ दिया जायेगा। यदि वह यह सिद्ध कर सके कि उस की भूमि ली जाने से या इसको उसकी अन्य भूमि से अलग करने से उसे कुछ नुकसान पहुंचा है, तो वह भी प्रतिकर के प्रयोजनों के लिये शुमार की जायेगी। यदि उसकी अन्य सम्पत्ति को या आय को कोई हानि पहुंचे या उसे अपना निवासस्थान या व्यापार स्थान बदलना पड़े, तो उसका खर्च भी उस में जोड़ा जायेगा। यदि उस दौरान में भूमि से लाभ कम हो जाये तो वह भी जोड़ी जायेगी। अगले खंड के १५ प्रतिशत का जोड़ सब बातों को देख कर किया गया है।

जहां तक ग्रामों की या कृषि भूमि का सम्बन्ध है, यदि कोई भूमि अर्जित करनी पड़े, हज़ार में से एक मामले में भी, तो नियम ऐसे बनाये जायेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति को हर तरह का संरक्षण दिया जाय। उसे केवल मूल्य के अलावा १५ प्रतिशत और मिलेगा—यह कुछ हालतों में पर्याप्त नहीं होगा —बल्कि यदि वह उस प्रकार की और भमि या मकान चाहता है, तो वह भी दिया जायगा। यदि वह कम्पनी में हिस्से लेना चाहे, तो उस पर भी विचार किया जायगा। यदि वह कोई ऐसा काम चाहता है जो दिया जा सके, तो वह भी दिया जायेगा। मैं यह बातें सदन के ध्यान में ला रहा हूं ताकि नियम बनाते समय ऐसे परिवर्तन किये जा सकें। नियम बनाते समय मैं आप से परामर्श करूंगा, क्योंकि मैं कोई चीज छिपाना नहीं चाहता। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक कृषि मंत्री को ऐसा कानून पास करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका सम्बन्ध तो भूमि और कृषक के संरक्षण से है। इस विधेयक का सम्बन्ध उद्योगों और अन्य चीजों से है। मुझे इस विधेयक के बारे में कोई आशंका नहीं है। यह कृषकों के हितों के विरुद्ध नहीं जायेगा। मेरा निवेदन है कि खंड २ और ३ को सरकारी संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकारी कम्पनियों में हिस्से दिये जायेंगे। क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि तेल शोधक कारखाने के लिये अर्जित की गई भूमि के बदले दिये जाने वाले हिस्सों का प्रस्ताव वापस क्यों ले लिया गया है ?

†श्री स० का० पाटिल : यदि ऐसा कोई आश्वासन नियमों के अनुसार दिया गया था और पूरा नहीं किया गया तो अदालत उस में हस्तक्षेप कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उन लोगों को जिन की भूमि उपजाऊ है, बदले में उपजाऊ भमि मिलनी चाहिये ।

†**श्री स० का० पाटिल :** यदि कोई कृषि योग्य भूमि अपनाई जाती है, तो प्रतिकर एकड़ के बदले में एकड़ नहीं बल्कि अधिक दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ४ को मतदान के लिय प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ५ और ६ में—

"Land Acquisition Act, 1894 (here matter referred to as the Principal Act)" ["भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (इसके बाद जिसे मुख्य अधिनियम के रूप में निदेश किया जायगा) के स्थान पर "principal act" ["मुख्य अधिनियम"] रख दिया जाये (४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो कि संशोधन सूची संख्या ११ में संख्या ४२ है :

"in the interest of the general public."(जन साधारण के हित में) के स्थान पर ""fo a public purpose' . (सार्वजनकि प्रयोजन के लिये) रख दिया जाय (५८)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि डा० रामसुभग सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो संशोधन सूची संख्या ११ में संख्या ४२ है ।

"in the interest of the general public" (जनसाधारण के हित में) के स्थान पर "for a public purpose.'(सार्वजनिक प्रयोजन के लिये) रख दिया जाय (५८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ४२ को संशोधन संख्या ५८ द्वारा संशोधित रूप में, मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १—

पंक्ति ८ से १२ तक के स्थान पर ये शब्द रख दिय जायें :

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

"(aa) that such acquisition is needed for the Construction of some building or work for a Company whieh is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is for a public purpose or ["कि ऐसा अर्जन किसी ऐसी कम्पनी के लिय जो सार्वजनिक प्रयोजन के काम अथवा उद्योग के लिये काम कर रही हो या करने जा रही हो, कोई इमारत बनाने या उसके काम के लिये आवश्यक है या "] (४२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

महोदय द्वारा संख्या ४६ और ४७ अध्यक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये ।

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३९, विपक्ष में १३९ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४१, ९, २४, २६, ३५, ३३, २५, ३६, ३७ और २३ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (धारा ४१ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सरकारी संशोधन संख्या ४३, संशोधन संख्या ६३, द्वारा संशोधित रूप में लिया जायगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ २, पंक्ति ४ से १० तक के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाये :

"(4A) Where the acqusition is for the construction of any building or work for a Company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is in the interets of the general public, the time within which and the conditions on which the building or work shall be constructed or executed; and"

"(४क) जहां भूमि का अर्जन किसी कम्पनी के भवन निर्माण के लिये अथवा अन्य कार्य के लिये हो जो कम्पनी किसी औद्योगिक कार्य में लगी हो या औद्योगिक कार्य आरम्भ करने का विचार हो, या किसी अन्य काम में लगी हो, जो काम जन-साधारण के हित में हो, जितने समय के अन्दर ऐसा किया गया हो और जिन

---

†मूल अंग्रेजी में

शर्तों पर उस भवन का निर्माण होगा या उसके सम्बन्ध में कार्य किया जायेगा; तथा " ।'](४३)

कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या में संख्या ४३ के रूप में है—

'in the interests of the general public' (सामान्य जनता के हितों में) के स्थान पर "for a general purpose" (एक सामान्य प्रयोजन के लिये) रख दिया जाये (६३) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो संशोधनों की सूची संख्या में संख्या ४३ के रूप में है—

'in the interests of the general public' (सामान्य जनता के हितों में) के स्थान पर "for a general purpose (एक सामान्य प्रयोजन के लिये) रख दिया जाये] (६३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ४३ को संशोधन संख्या ६३ द्वारा संशोधित रूप में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ २, पंक्ति ४ से १० तक के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाये

' "(4A) where the acquisition is for the construction of any building or work for a Company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is for a public purpose, the time within which and the conditions on which the building or work shall be constructed or executed; and" '.

["(४क) जहां भूमि का अर्जन किसी कम्पनी के भवन निर्माण के लिये अथवा अन्य कार्य के लिये ले हो कम्पनी किसी औद्योगिक कार्य में लगी हो या औद्योगिक कार्य आरम्भ करने का विचार हो, या किसी अन्य काम में लगी हो, जो काम जन-साधारण के हित में हो, जितने समय के अन्दर ऐसा किया गया हो और जिन शर्तों पर उस भवन का निर्माण होगा या उसके सम्बन्ध में कार्य किया जायगा ; तथा " '] (४३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड ३ को, संशोधित रूप में मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में **विधेयक का अंग बने** "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार के संशोधन संख्या ४४ का एक अंश नियम **बाह्य है** । वे केवल भाग भाग ७ का संशोधन कर रहे हैं । तथापि यह सभी बातों से संबंध रखता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: ३ ख के संबंध में एक अन्य संशोधन की पूर्व सूचना दी गयी है। यदि आप संशोधन संख्या ४४ के दूसरे भाग को नियम वाह्य ठहराते हैं तो यह संशोधन लिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: संशोधन संख्या ४४ का केवल एक अंश ही ग्राह्य है। ३ख नियम वाह्य है।

†**श्री स० का० पाटिल**: भाग २ के अधीन भी नियम बनाये जा सकते हैं और भाग ७ के अधीन भी। आपने यह कहा है कि भाग २ पर चर्चा नहीं की जा रही है इसलिये ३ख नियम वाह्य है। इस उद्देश्य के लिये सरकार ने संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत किया है।

†**श्री सिंहासन सिंह**: हम भाग ७ का संशोधन कर रहे हैं तथापि केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्तियां सारे अधिनियम के लिये दी जा रही हैं। इस प्रकार हम प्रक्रिया नियमों का निलम्बन कर रहे हैं।

†**श्री स० का० पाटिल**: यह हमारी सच्चाई का प्रमाण है कि हमने सारे अधिनियम के लिये नियम बनाने की शक्तियां देने वाला संशोधन प्रस्तुत किया। आपने उसे नियम वाह्य घोषित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान अधिनियम के अन्य भागों का संशोधन करना नहीं है अतः पूरे अधिनियम के लिये नियम बनाने की शक्तियां देना ठीक नहीं है।

मैं सारे अधिनियम में सर्वांगीण संशोधन करने के लिये एक अन्य विधेयक प्रस्तुत करूंगा। तब तक भारत सरकार भाग ७ के लिये नियम बना लेगी। मेरे विचार से उनका कुछ प्रभाव अवश्य होगा।

मैं प्रस्तुत करता हूं:

पृष्ठ २, पंक्ति १० के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें।

Insertion of new section 44A and 44 B.

"3A. In part VII of the principal act, after section 44, following sections shall be inserted, namely :—

Restriction on transfer etc.

"44A. No company for which any land is acquired under this part shall be entitled to transfer the said land or any part thereof by sale, mortagage, gift, lease or otherwise except with the previous sanction of the appropriate Government.

44B. Notwithstanding any thing contained in this act, no land shall be acquired under this part for a private company which is not a Government company.

Land not to be acquired under this part for private companies other than Government companies.

Explanation—"Private Company" and "Government Company" shall have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act 1956"

["३ क. मुख्य अधिनियम के भाग ७ में धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें जोड़ दी जायेंगी, यथा :—

नयी धाराओं ४४क और ४४ख का रखा जाना

"४४ क. कोई भी समवाय जिस के लिये इस भाग के अधीन भूमि अर्जित की जायगी, उसे उस भूमि अथवा उसके किसी अंश को बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टेदारी अथवा किसी अन्य प्रकार से बिना

†मूल अंग्रेजी में

स्थानान्तरण इत्यादि पर प्रतिबन्ध — . उपर्युक्त सरकार की पूर्वानुमति के स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।

इस भाग के—अधीन सरकारी समवायों को छोड़ कर गैर-सरकारी समवायों के लिये भूमि अर्जित नहीं की जायगी — "४४ख, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी किसी गैर-सरकारी समवाय के लिये, जो सरकारी समवाय नहीं है, कोई भूमि अर्जित नहीं की जायेगी।

व्याख्या "गैर-सरकारी समवाय" और सरकारी समवाय के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो समवाय अधिनियम, १९५६ में दिये हुए हैं। (४४)

†श्री त्यागी : मैं संशोधन संख्या ६७ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री स० का० पाटिल : मैं अपने पूर्व संशोधन ४४ के स्थान पर अपना नया संशोधन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करता हूं :—

"कि प्रस्तावित नयी धारा ४४ख में डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो कि सूची संख्या ११ में संख्या ४४ पर है।

"this part" ["इस भाग"] शब्दों के पश्चात निम्न शब्द रखे जायें।

"except for the purpose mentioned in clause (a) of the sub section (1) of section 40"

["धारा ४० की उपधारा (१) के खंड (क) में उल्लिखित प्रयोजन के अलावा।] रख दिये जायें"]

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावित नयी धारा ४४ख में डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो कि सूची संख्या ११ में संख्या ४४ पर प्रकाशित है।

"this part" ["इस भाग"] शब्दों के पश्चात् निम्न शब्द रखे जायें।

except for the purpose mentioned in clause (a) of the sub section (1) of section 40"

["धारा ४० की उपधारा (२) के खंड (क) में उल्लिखित प्रयोजन के अलावा"]।(४४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

Insertion of new sections 44A and 44B. — "3A. In part VII of the principal Act, after section 44, the following sections shall be inserted, namely :—

Restriction on transfer, etc. — "44A, No Company for which any land is acquired under this Part shall be entitled to transfer the said land or any part thereof by sale, mortgage, gift, lease or otherwise except with the previous sanction of the appropriate Government.

Land not to be acquired under this part for private companies other than Government companies. — 44B. Notwithstanding anything contained in this Act, no land shall be acquired under this Part for a private company which is not a government company.

Explanation.—"Private company" and "Government company" shall have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act, 1956."

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी धाराओं ४४क और ४४ख का रखा जाना

"३क मुख्य अधिनियम के भाग ७ में धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं जोड़ दी जायेंगी।

स्थानान्तरण इत्यादि पर प्रतिबन्ध

"४४क कोई भी समवाय जिसके लिये इस भाग के अधीन भूमि अर्जित की जायगी उसे उस भूमि अथवा उसके किसी अंश को बिक्री बंधक, उपहार, पट्टदारी अथवा किसी अन्य प्रकार से बिना उपयुक्त सरकार की पूर्वानुमति से स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।

इस भाग के अधीन सरकारी समवायों को छोड़कर गैर-सरकारी समवायों के लिये भूमि अर्जित नहीं की जायगी।

"४४ख इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी धारा ४० की उपधारा (१) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्य को छोड़कर किसी गैर सरकारी समवाय के लिये जो सरकारी समवाय नहीं है कोई भूमि अर्जित नहीं की जायगी ।

व्याख्या "गैर सरकारी समवाय" और सरकारी समवाय के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो समवाय अधिनियम १९५६ में दिये हुए हैं। (४४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

नया खंड ३क, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ३ क, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि श्री रा० शि० पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर जो कि संशोधनों की सूची संख्या १४ में संख्या ५४ है—

प्रस्तावित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित तथा परन्तुक जोड़ दिया जाय।

"Provided further that every such rule made by the Central Government shall be laid as soon as may be after it is made, before each house of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or two or more successive session and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or should not be made, the rule thereafter have only in such modified form or be of no effect, as the case may be

["परन्तु अग्रेतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा प्रत्येक नियम, बनने के तत्काल पश्चात्, संसद की दोनों सभाओं के सम्मुख, जब कि सभा का सत्र चल रहा हो कुल ३० दिनों तक, एक सत्र या एक से अधिक सत्रों में रखा जायगा और यदि

†मूल अंग्रेजी में

दोनों सभायें इस बात पर सहमत हों कि नियमों में रूपभेद किया जाय अथवा नियम नहीं बनाया जाय तो ऐसे नियम या तो परिवर्तित रूप में लागू होगें या लागू नहीं होगा जैसी भी स्थिति हो ।] (५५)

(२)

कि मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन में जो कि संशोधनों की सूची संख्या १५ में संख्या ५५ है अंत में यह जोड़ दिया जाये —

"So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the velidity of anything previously done under that rule"

[तथापि ऐसा कोई रूपभेद या निरसन इस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की वैधता को अमान्य नहीं करेगा।] (६६)

†**श्री रा० शि० पांडे** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

कि पृष्ठ २ पंक्ति १० के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें

"3B. In section 55 of the Principal Act 15 Sub-section (1) The following proviso shall be added, namely.

"Provided that the powet to make rules for carrying out the purposes of Part VII of this Act shall be exercisable by the Central Government and such rule may be made for the guidance of the state Governments and the officers of the Central Government and of the State Government."

["३ ख, मुख्य अधिनियम की धारा ५५ की उपधारा १ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये यथा

"परन्तु इस अधिनियम के भाग ७ के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जायेंगी तथा ऐसे नियम राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के पथप्रदर्शन के लिये बनाये जा सकते हैं"] (५४)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री रा० शि० पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर जो कि संशोधनों की सूची संख्या १४ में संख्या ५४ है--प्रस्तावित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित तथा परन्तुक जोड़ दिया जाये :

"Provided further that every such rule made by the Central Government shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it so laid or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule thereafter have effect only in such modified form on be of no effeet,as the case may be."

[परन्तु अग्रेतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा प्रत्येक नियम, बनने के तत्काल पश्चात्, संसद की दोनों सभाओं के सम्मुख जबकि सभा का सत्र चल रहा हो कुल ३० दिनों तक, एक सत्र या एक से अधिक सत्रों में रखा जायेगा और यदि दोनों सभायें इस बात पर सहमत हों कि नियमों में रूपभेद किया जाये अथवा

†मूल अंग्रेज़ी में

नियम नहीं बनाया जाये तो ऐसे नियम या तो परिवर्तित रूप में लागू होगा या लागू नहीं होगा जैसी भी स्थिति हो।"] (५५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ३ग एक नया खंड है । इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : वह मेरा है । यह श्री कामत के संशोधन के अन्तर्गत आ गया है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ २ पंक्ति २४ के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें।

"*Explanation*—In this section "Company" has the same meaning as in clause (e) of section 3 of the principal Act as amended by this act"

(**व्याख्या**—इस धारा में समवाय शब्द का वही अर्थ है जैसा कि, इस अधिनियम से संशोधित, मुख्य अधिनियम की धारा ३ के खंड (ङ) में है।"] (७)

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० का० पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तुत हुआ । श्री सिंहासन सिंह का संशोधन नियम बाह्य है । उसमें "निकटवर्ती" शब्द आया है। इस शब्द की सही व्याख्या नहीं हो सकती है । अतः इस प्रकार के शब्द विधि में नहीं रखे जा सकते हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : धारा २३ भाग २ में है । हम उस भाग का संशोधन नहीं कर रहे हैं। धारा २३ बाजार दर से प्रतिकर देने के संबंध में है तथा बाजार दर की व्याख्या भी भाग २३ के अधीन की गयी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : यह वैधकरण खंड है। माननीय मंत्री ने पूर्ण योग्यता से यह बताने का प्रयत्न किया है कि सभी बातों का ध्यान रखा गया है।

सरकार को यह बताना चाहिये कि उन मामलों में क्या होगा जिनमें भूमि का अर्जन अध्यादेश को मान्यता दिये जाने के पूर्व किया गया था और जिनमें बहुत कम प्रतिकर दिया गया था । विधेयक का खंड ४ बहुत हानिकारक है। यह नहीं बताया गया है कि उन लोगों का क्या होगा जिनकी भूमियां बहुत कम मूल्य पर अर्जित की गयी हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अर्जित की जाने वाली भूमियों के लिये समुचित प्रतिकर दिये जायें । जिन मामलों में कम प्रतिकर दिया गया है । उन पर पुनः विचार करना आवश्यक है । यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि निगम क्षेत्रों के पास की भूमियां उनके बाजार मूल्य पर अर्जित की जायेंगी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : मैंने खंड ४ में एक संशोधन की पूर्व सूचना दी थी । सरकार विधेयक के पारित होने के पश्चात् जो नियम बनायेंगी उनमें कुछ परिमाण रखे जाने चाहिये । खंड ४ केवल सच्चे मामलों में लागू किया जाना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भय ठीक नहीं है कि 'सार्वजनिक प्रयोजन' का अन्तिम निर्णय सरकार करेगी । मुख्य अधिनियम की समस्त धारायों के संबंध में एक व्यापक विधेयक यथाशीघ्र लाया जाना चाहिये । ताकि समस्त अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास रहे ।

†**श्री त्यागी** : यह बड़े सन्तोष की बात है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जिनकी सच्ची शिकायतें हैं ।

विधेयक उच्चतम न्यायालय के परीलोकन के कारण नहीं होगा क्योंकि संविधि पुस्तक में जाने के बाद वह वही अधिनियम नहीं रहेगा ।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रतिकर का पेशगी भुगतान किया जाये ताकि दावेदारों को न्यायालय न जाना पड़े ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ पंक्ति २४ के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें ।

"*Explanation*:—In this section 'Company' has the same meaning as in clause (e) of section 3 of the principal Act, as amended by this act.

[**व्याख्या**—इस धारा में समवाय शब्द का वही अर्थ है जैसा कि इस अधिनियम से संशोधित मुख्य अधिनियम की धारा ३ के खंड (ङ) में है ।] (७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड ४ संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड १-क

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें :

Amendment of section 3

1A. In section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (e) the following words shall be added at the end, namely :—

"or any other law relating to cooperative societies for the time being in force in any state"

धारा ३ का संशोधन

[१क. भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ (जिसे इस के पश्चात् मुख्य अधिनियम कहा जायेगा) के धारा ३ के खंड (ङ) में अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

'अथवा सहकारी समितियों से संबंधित कोई विधि जो कि किसी राज्य में उस समय जारी हो ।''] (३)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

Amendment of section 3

1A. In section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (e) the following words shall be added at the end, namely :—

"or any other law relating to cooperative societies for the time being in force in any state"

धारा ३ का संशोधन

[१क. भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ (जिसे इसके पश्चात् मुख्य अधिनियम कहा जायेगा) के धारा ३ के खंड (ङ) में अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

"अथवा सहकारी समितियों से संबंधित कोई विधि जो कि किसी राज्य में उस समय जारी हो।"] (३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड १क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है आशा है कि उनको पूरा किया जायेगा । इस विधेयक के पारित हो जाने से मैं पूर्ण सहमत हूं । लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि भमिधरों को उचित मूल्य अथवा क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती । मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी है वहां जमुना विद्युत योजना क्षेत्र के लिये जो दस वर्ष पूर्व भूमि ली गई थी अब तक क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है । मेरा सुझाव तो यह है कि यह क्षतिपूर्ति भूमि लेने से पहले ही दे दी जानी चाहिये ।

†**श्री च० क० भट्टाचार्य** : मेरा विचार है कि सरकार शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लेकर आयेगी हो सकता है कि वह जल्दी न आये ।

अतः अच्छा होगा कि १८९४ के अधिनियम का जितनी जल्दी बदला जा सके उतना ही अच्छा है । और इससे सभी का लाभ होगा । आशा है कि माननीय मंत्री शीघ्र ही यह कार्यवाही करेंगे ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इस विधेयक में जो संशोधन रखे गये हैं उनको देखते हुये मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं । मेरा विचार है कि भाग ७ में जो "सार्वजनिक प्रयोजन" शब्द प्रयोग किये गये हैं उनको भाग ६ में किया जाना चाहिये । भाग ६ में सरकार को पूर्ण अधिकार दिया गया है और यह निर्णय करने का भी अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजन शब्दों का अभिप्राय क्या है । किन्तु भाग ७ बिलकुल अलग है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मैं यही निवेदन करुंगी कि एक व्यापक विधेयक यथाशीघ्र लाया जाये क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है कि अन्य भागों का भी संशोधन किया जाये ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं साथ ही माननीय मंत्री महोदय को उनके भाषण के लिये भी । उन्होंने अपने भाषण में सभी कठिनाइयों का उल्लेख कर दिया है । उन्होंने अपने भाषण में बहुत से आश्वासन दिए हैं । म यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात को देखें कि इस अधिनियम का पालन राज्यों में तथा केन्द्र से इतने अच्छे ढंग से हो कि लोगों को शिकायत करने का कम से कम अवसर मिले ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** गुजरात राज्य में ३ लाख से भी अधिक ऐसे मामले हैं जिनमें १ पाई भी क्षतिपूर्ति की नहीं दी गई है और अब सात साल हो गये हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया है । लगभग ६,०००–७,००० लोगों को भूमि से वंचित कर दिया गया है । पिछले २ वर्ष से खान तथा ईंधन मंत्रालय ने जो भूमि ली है उसके लिये भी अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

कृषि एक सब से बढ़िया उद्योग है क्योंकि इसमें आय अधिक होती है अतः इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह विधेयक शीघ्राशीघ्र लागू किया जाये ।

†**श्री दाजी :** इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये मैं ने प्रस्ताव किया था । लेकिन मेरी वह इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती ।

इस विधेयक में परस्पर विरोधी बातें हैं । इस कारण सरकार पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है और आशा है कि वह उसके प्रशासन में असाधारण सतर्कता से काम लेगी ।

क्षतिपूर्ति देने में जो विलम्ब है उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिये । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि गैर-सरकारी समवायों के लिये अर्जित की जानेवाली भूमियां केवल भाग ७ के अन्तर्गत अर्जित की जाये भाग २ के अन्तर्गत नहीं ।

श्री बाल्मीकी : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का प्रभाव अधिकतर मेरे क्षेत्र पर होने जा रहा है । किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का किसी बड़े नगर के पास होना एक दुर्भाग्य ही है और खतरे से खाली नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बड़े बड़े नगर फैलते जा रहे हैं उन के फैलाव हमें रोकना ही पड़ेगा और विशेष कर ग्रामों का और ग्रामीण किसानों तथा मजदूरों के हित का ध्यान रखना होगा । मुझे इसका पूरा विश्वास है, जैसा कि मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया है, कि मेरे-क्षेत्र में जो किसान और हमारे दूसरे मज़दूर भाई हैं उन से जा कर मैं यह कह सकूंगा कि उन के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकेगा । हमें इस का भी पूरा विश्वास होना चाहिये कि जिन किसान, मजदूरों या गरीब आदमियों की जमीनें ली जायेंगी, उन को पूरा पूरा मुआवजा, और बाजार भाव से भी अधिक दिया जायेगा । इस देश के अनेक भागों में घूमने के कारण मैं अपने क्षेत्र के आस पास और दूसरे स्थानों पर ऐसे बहुत से केसेज जानता हूं जिन में लोगों की जमीनें एअरोड्रोम या दूसरे कामों के लिये ली गई हैं लेकिन उन को उस के बाद बसाया नहीं गया है, उखाड़ा गया है, उन्हें ठीक तरह से मुआवजा भी नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री बाल्मीकी]

आज भी किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, खास तौर से दिल्ली की मास्टर प्लैन की वजह से, दिल्ली के विकास की वजह से, किसानों के ऊपर नोटिस सर्व हो रहे हैं तथा इस प्रकार के दूसरे कारणों से भी किसानों के लिये खतरा पैदा हो गया है। उन किसानों को आश्वासन मिलना चाहिये कि उन के पास जितनी भी फायदेमन्द खेती के काबिल जमीनें हैं उन्हें किसी तरह से भी खतरा नहीं होगा। केवल उन्हीं जमीनों को लिया जायेगा जो कि बंजर या उजड़ हैं, परती हैं और खेती के काबिल नहीं हैं। और अगर कभी उन को लिया भी जायेगा तो उन के लिये विशेष रूप से पेशगी मुआवजा देने की कोशिश की जानी चाहिये। उनका हर प्रकार से पुनर्वास होना चाहिये।

मैं एक और विशेष बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगरों के अन्दर आज गरीब आदमियों के पास भी जमीनें हैं छोटी छोटी, जैसे कि दिल्ली में ही देख लीजिये, उन पर मालदार लोगों और अधिकारियों या दूसरे लोगों की कुचेष्टायें जो होती हैं, उन से भी उनकी रक्षा की चेष्टा की जायेगी, इस का आश्वासन भी मिलना चाहिये। मुझे पता है कि इस प्रकार के जो केसेज यहां होते हैं उन्हें सरकारी ढंग से किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती है। मुझे आशा है कि आप के द्वारा उन्हें सुरक्षा मिलेगी और जब भी इस के सम्बन्ध में रूल बनाये जायेंगे तब हर प्रकार से उन की सुरक्षा का ध्यान रक्खा जायेगा।

आपका जो यह बिल है, मैं आशान्वित हो कर उस का स्वागत तो करता हूं लेकिन फिर भी मेरे मस्तिष्क में यह भय है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो हालांकि गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये आप को विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन लोगों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा बहुत नहीं होती है। आप के मस्तिष्क में यह बात अवश्य है, लेकिन इस प्रकार से आप गरीब आदमियों के हित, किसान मजदूरों के हित, की रक्षा करने के लिये जागरूक रहेंगे और उनका ध्यान रखेंगे और उन के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं मानता हूं कि सरकार पर बहुत भारी दायित्व आ जाता है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जो आश्वासन यहां सभी को देती है उनको पूरा करे अन्यथा उसका स्थायी रहना संभव नहीं होगा। इसलिये सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अंत में मैं यही आशा करता हूं कि यह विधेयक पारित कर दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** निर्धारित कार्यक्रम में हम कुछ पिछड़ गये हैं क्योंकि बहुत सा समय भूमि अर्जन विधेयक, भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन, तथा संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक पर खर्च हो गया है। इसलियें हमें कार्यक्रम में इस प्रकार हेरफेर करनी होगी ताकि हम राज्य सभा को भेजे जाने वाले काम को ४ ता० तक भेज सकें। ताकि वह भी संसद् की समाप्ति से पूर्व कार्यवाही कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस कारण मेरा सुझाव है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम क्षेत्र आयोग के प्रतिवेदन पर ६ सितम्बर, को अथवा कुछ पहले जैसे ही विधायनी काम पूरा हो विचार किया जाये।

इसी प्रकार रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक तथा बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर कल विचार किया जाये। आशा है कि सभा इन कठिनाइयों को देखते हुए विचार करेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आगामी सप्ताह के सरकारी कार्यक्रम के बारे में भी क्या आप अगले सप्ताह कोई वक्तव्य देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

†**श्रीमती रेणुका राय** : सरकारी संस्था नों सम्बन्धी संकल्प कब लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नहीं लिया जायेगा। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवारे, ३१ अगस्त, १९६२/९ भाद्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, ३० अगस्त, १९६२

८ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९७	पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों का निष्क्रमण	२३५५—५८
६९८	औद्योगिक सहकारिता कर्मचारी दल	२३५९—६०
६९९	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम को लागू करना	२३६०—६१
७००	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत हस्पताल	२३६१—६२
७०१	रैफ्रीज़रेटरों का आयात	२३६२—६४
७०२	छोटे पैमाने के उद्योग	२३६४—६६
७०३	त्रिपुरा में भारतीय जंगल की गश्ती पार्टी पर पाकिस्तानियों का हमला	२३६६
७१२	पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा से अपहृत भारतीय नागरिक	२३६६—६७
७१५	त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा हमले	२३६७—६९
७०४	आकाशवाणी का हिन्दी प्रसारण	२३६९—७३
७०५	स्कूलों में टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा	२३७३—७४
७०६	भारत में आर्थिक विवरण	२३७४—७६
७०७	जापान को लौह-अयस्क का निर्यात	२३७७—७९
७०९	बर्लिन में फिल्म समारोह	२३७९—८०
७१०	प्रेस परामर्शदात्री समिति	२३८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
७०८	नेफा में विमानों द्वारा खाद्य पदार्थों का गिराया जाना	२३८०
७११	भूतपूर्व संसद् सदस्यों के कब्जे में बंगले	२३८१
७१३	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक भारतीय चौकी पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना	२३८१—८२
७१४	आयात किये गये पुर्जों के लिये उच्चाधिकार प्राप्त तालिका (पैनल)	२३८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७१६ तिब्बती शरणार्थियों का आना २३८२–८३

७१७ हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल २३८३

७१८ निर्यात संवर्द्धन २३८३

७१९ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . २३८३–८४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०११ उपभोक्ता वस्तुओं का आयात . २३८४

२०१२ पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास . . २३८४

२०१३ सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना २३८५

२०१४ सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र . २३८५

२०१५ व्यापार बोर्ड . . . २३८५

२०१६ आकाशवाणी केन्द्र, विजयवाड़ा के हिन्दी कार्यक्रम २३८६

२०१७ राज्यों के विकास ऋण . . २३८६

२०१८ बड़ाजरमदा बानसपानी खण्ड में लौह अयस्क . २३८७

२०१९ इल्मेनाइट का उत्पादन . . २३८७–८८

२०२० काफ़ी बोर्ड मजदूर संघ . . २३८८

२०२१ वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन . . २३८८

२०२२ नेफा में डाक्टर . . २३८९

२०२३ चाय और पटसन का निर्माण . . २३८९–९०

२०२३ नेफा में हिन्दी का प्रयोग . . . २३९०

२०२५ सहायक रोजगार अधिकारी . २३९१

२०२६ "उद्योग व्यापार पत्रिका" २३९१

२०२७ उद्योगों का विकास . . २३९१–९२

२०२८ 'त्रावन कोर रेयन्स' २३९२

२०२९ आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी संघ . . २३९२–९३

२०३० काफी बोर्ड को हुई हानि . . . २३९३

२०३१ प्रशिक्षण योजनाओं का समन्वय . . २३९३–९४

२०३२ रबड़ की कृषि २३९४

२०३३ हिन्दी चल-चित्रों के हिन्दी में प्रमाण-पत्र . . . २३९४

२०३४ मिदनापुर जिले में नमक का कारखाना . . . २३९५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०३५	मनीपुर लोक निर्माण विभाग की मशीनें	२३९५
२०३६	बर्मा और पाकिस्तान की सेनाओं में मिज़ो पहाड़ी के लोग	२३९५–९६
२०३७	मध्य प्रदेश को धनराशि	२३९६
२०३८	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार	२३९६
२०३९	आसाम में गांवों में आवास व्यवस्था	२३९६–९७
२०४०	कताई के कारखाने	२३९७
२०४१	बाल फिल्म सोसाइटी	२३९७
२०४२	कत्थे के कारखाने	२३९८
२०४३	कोयला खान क्षेत्र में स्थिति	२३९८
२०४४	राज्यों में आवास-योजनायें	२३९८–९९
२०४५	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	२३९९
२०४६	मोटर गाड़ी के कारखाने के श्रमिकों की मजूरी	२३९९–२४००
२०४७	इस्पात का आयात	२४००
२०४८	प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा के लिये भवन	२४००
२०४९	नई दिल्ली की आराम बाग लेन में क्वार्टर	२४००–०१
२०५०	आमों का निर्यात	२४०१
२०५१	मास्को में औद्योगिक प्रदर्शनी	२४०१–०२
२०५२	आकस्मिक श्रमिक रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना	२४०२
२०५३	ढलाई के काम का प्रशिक्षण	२४०२
२०५४	सूती कपड़े का निर्यात	२४०३
२०५५	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	२४०३–०४
२०५६	शिवराजपुर, गुजरात में मेंगनीज अयस्क खानें	२४०४
२०५७	टेरीलीन का निर्माण	२४०४–०५
२०५८	गांवों में मकान बनाने की योजना	२४०५
२०५९	हिमाचल-प्रदेश में उद्योग	२४०५–०६
२०६०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पताल	२४०६
२०६१	कपड़े का निर्यात	२४०६–०७
२०६२	मैसूर राज्य में बेरोजगारी	२४०७
२०६३	मैसूर राज्य में गृह-निर्माण योजनायें	२४०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर क्रमशः (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६४ औद्योगिक बस्तियां . . २४०७–०८

२०६५ मैसूर में छोटे पैमाने के उद्योग . २४०८–०९

२०६६ मैसूर में हथकरघा उद्योग . २४०९

२०६७ राष्ट्रीय उत्पाद कता परिषद् . . २४०९

२०६८ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में श्रम विधियों का लागू किया जाना . २४०९–१०

२०६९ निर्यात-संवर्धन . . २४१०

२०७० प्रादेशिक श्रम संस्थायें . . . २४१०–११

२०७१ सीमेंट पाइप का कारखाना . . . २४१ –१२

२०७२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली में भेजना २४१२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २४१२–१४

(१) श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने २७ अगस्त, १९६२ को त्रिपुरा में पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र के कथित अतिक्रमण की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री प० श० चक्रवर्ती ने २४ अगस्त, १९६२ को दक्षिण बुलीहारी कोयला खान में हुई दुर्घटना की ओर, जिसके परिणामस्वरूप छै श्रमिक मारे गये, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४१४

(एक) कतरन (स्क्रैप) सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, १९६२ ।

(दो) दिनांक २७ अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या एससी (बी)–– २०(२)/६२, जिसमें उपरोक्त प्रतिवेदक पर दिये गये निर्णय दर्ज हैं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बधी समिति का प्रतिवेदन–– उपस्थापित २४१४

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २४१४–१५

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) ने २२ जून, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुरस्थापित	२४१५
(१) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	
(२) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
विधेयक पारित	२४१५—६१

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर खंड वार विचार जारी रहा। **खंड** २ में दो संशोधनों पर मत विभाजन हुआ, पक्ष में ३९, विपक्ष में १४१। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९६२/८ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसका पारित किया जाना तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार